

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

Cement Corporation of India Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi

54th
1965-2018

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-18



एक कदम स्वच्छता की ओर



54th

Annual Report 2017-18

Contents

	Page No.
Board of Directors	3
Chairman's Speech	8
Director's Report	10
Secretarial Audit Report	28
Report on Corporate Governance	31
Management Discussion & Analysis	38
Annual Accounts 2017-18	44
Cash Flow Statement	81
Auditor's Report and Management's Replies	83
C&AG's Comments	94
Our Employees — Our Greatest Assets	96
Salient Features of our Units	99

Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi

REGISTERED OFFICE

Cement Corporation of India Ltd.
Core 5, Scope Complex, 7, Lodhi Road
New Delhi-110003
CIN No. U74899DL1965GOI004322

AUDIT COMMITTEE

Shri Mahender Gupta (Chairman)
Shri A.M. Manichan (Member)
Shri B.V. N. Prasad (Member)

STATUTORY AUDITORS

Principal Auditor

M/s. Kapoor Bhushan & Company
Chartered Accountants
DP-55, Maurya Enclave, Pitampura
Delhi-110034

Remuneration Committee

Shri Mahender Gupta (Chairman)
Shri A.M. Manichan (Member)
Shri B.V. N. Prasad (Member)

COST AUDITORS

M/s. Jugal K. Puri and Associates
Cost Accountants
K-19 (G.F.), South Extension Part-II
New Delhi-110049

M/s N.S.V. Krishna Rao & Co.
Cost Accountants
H. No.1-1-780/7-1&2, Flat No.308,
Sumanjali Apartments, Gandhi Nagar,
Hyderabad-500080

M/s S. Dhal & Co.
Cost Accountants
Plot No. 458, 1st Floor
Madhusudan, Nayagar Nayapally
Bhubneshwar-751012

BRANCH AUDITORS

M/s N Samba Shiv & Co.
Chartered Accountants,
Adilabad-504001

M/s. DCG & Co.
Chartered Accountants,
New Delhi-110002
M/s. P.P. Bansal & Co.
Chartered Accountants,
Rohtak-124001

M/s. C. Venkat Krishna & Co.
Chartered Accountants,
Hyderabad-500034
M/s. Jhanwar & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-492004

M/s. P Gaggar & Associates
Chartered Accountants,
Guwahati-781001
M/s. K. K. Attal & Associates,
Chartered Accountants,
Bidar -585401

M/s. S.K. Tanwani & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-492001

Bankers

State Bank of India
ICICI Bank
Corporation Bank
Punjab National Bank
Dena Bank
Central Bank of India
IndusInd Bank

BOARD OF DIRECTORS



Shri Manoj Misra
Chairman & Managing Director



Smt. Ritu Pandey
Director (w.e.f. 27.02.17)



Shri B.V.N. Prasad
Director (HR)



Shri S. Sakthimani
Director (Finance)/CFO



Shri A.M. Manichan
Director



Shri Mahender Gupta
Independent Director
(w.e.f. 29.06.16)



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

HEAD OF DEPARTMENT (CORPORATE OFFICE)



Dr. Mamta Kochar
Chief Vigilance Officer



Shri V.K Pandey,
Executive Director



Shri Saju S. Dominic
GM(HR)



Ms. S. Saraswathi Devi
GM-Rajban



Shri Vivek Kumar
Addl. GM(T&P)



Shri S.K Sahu
Addl. GM(Opns)



Shri Alok Shukla
Addl. GM(Mktg)



Shri M.K Patra
Addl. GM (Fin)



Shri Ajit Shukla
AGM -Bokajan




Shri C.B Jaggi
DGM (HR)




Shri J. Behera
DGM (MM)


पन्यावर्त / TURNOVER




निवल लाभ / NET PROFIT



सीमेंट उत्पादन CEMENT PRODUCTIONS



MAN POWER



AWARDS GALORE

A) 15th North East Metalliferous Mines Safety Week, 2017-18 was celebrated from 08.01.2018 to 13.01.2018 and following prizes have been awarded to our Mines (Bokajan Unit) on the Final day Function on 24th March 2018 for the year 2017-18 at Shillong.

1. Explosive Handling 3rd Prize
2. Trade Test 3rd Prize



B) Dillai Prabhat Limestones Mines of Bokajan Unit have been awarded with following Prizes on the Final Day Function of 9th Mines Environment & Mineral Conservation Week 2017-18 held on 17.03.2018 at Shillong .

1. Community Development 1st Prize
2. Publicity & Propaganda 3rd Prize



C) Mines of Rajban Unit have been awarded with following Prizes on the Final Day Function of 9th Mines Environment & Mineral Conservation Week 2017-18.

1. Waste Dump Management & Reclamation 2nd Prize
2. Mineral Conservation 3rd Prize
3. Publicity & Propaganda 3rd Prize
4. Appreciation prize for Swachhta

D) Mines of Rajban Unit have been awarded by Directorate of Mines Safety in the Mine Safety Week 2017-18

1. For Vocational Training 1st Prize
2. For Noise , Air Pollution & Lighting 2nd Prize





Chairman's speech at the 54th Annual General Meeting

Dear Shareholders,

I have the pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors to the 54th Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your august presence in this meeting goes on to underline your support and interest in the Company's endeavour; and I am thankful to everyone.

The Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2018 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance highlights

Your company has achieved the long cherished dream of turning to net worth positive. This has happened in more than over two decades of hard work and continued focus against all odds; and I would like to thank the

invaluable human capital of the company who have put in their best efforts to reach a level where we are today.

Your company did have its share of challenges in the form of slowdown in real estate sector, migration to GST regime and rising input put costs.

Your company worked on its inherent strengths to mitigate the challenges. Your company produced 7.53 lakh MT of cement with a sales turnover of ₹329.58 crore and net profit of ₹17.99 crore.

Quality

Quality is of utmost importance in CCI. Your Company has Quality Management System in place for all the three operating plants at Tandur, Rajban and Bokajan with ISO certification. Periodical training programs are conducted to instil the commitment towards quality among employees.

Human resource

In its continued commitment towards development of human resources and their skill development, in the year gone by, your company has organised 2111 man days of in-house training program. Apart from this, various employees had also been nominated for external training on various subjects. A cross section of employees were also nominated for several seminars and conferences in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides above, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board in its 332nd Board Meeting held on 7th December, 2016. The policy has been implemented in the Corporation. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stake holders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you that

PLACE : NEW DELHI
DATE : 24th September 2018

Independent External Monitors (IEM) has been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than ₹10 lakh. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises, for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful the overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II and all other Authorities and Agencies,.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Company.

Thanking you all again,

Jai Hind.

Sd/-
(MANOJ MISRA)
CHAIRMAN & MANGING DIRECTOR

BOARD REPORT

To the Members of Cement Corporation of India Ltd.

On behalf of the Board of Directors of your company, I'm pleased to present to you the 54th Annual Report of your Company along with the audited financial statements for the year ended 31st March, 2018 and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. Summary of Financial results

The Company's key financial results for the year under review along with previous year's figures is given hereunder:

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	For the year 2017-18	For the year 2016-17
1	Net Sales	323.01	337.44
2	Other Income (including exceptional income)	69.33	106.91
3	EBIDTA	26.68	51.23
4	Less: Interest	2.61	2.25
5	EBDTA	24.07	48.98
6	Less: Depreciation & Amortisation	6.08	6.65
7	Profit before tax	17.99	42.33
8	Less: Tax expenses	0.00	0.00
9	Profit after Tax	17.99	42.33

- 1.1 The sales turnover during the year 2017-18 inclusive of excise duty is ₹ 329.58 crores as against ₹ 372.54 crores in the previous year.

- 1.2 Corporation has earned a net profit of ₹17.99 crores during the year 2017-18 as against net profit of ₹ 42.33 crores during the previous year. The cement production during the year is 7.53 lakhs MT as against 7.91 lakh MT during the previous year.
- 1.3 Without considering the exceptional income, in the current year the company has Earnings Before Interest Depreciation Tax and Amortisation (EBIDTA) of ₹15.24 crore against the loss of ₹13.46 crore in the previous year.
- 1.4 The Net worth of the corporation turned positive after about 2 decades; now stands at ₹3.64 crores.

2. Dividend

Company has accumulated losses in the profit and loss, hence no dividend will be declared for the financial year 2017-18.

3. Review of business operations and future prospects

The operating at the three operating units Bokajan, Rajban and Tandur continued on with their plant operation.

The Capacity utilization of Cement (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating unit individually are stated below.

A. Production (Operating plants)

	Bokajan		Rajban		Tandur		Operating plants total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Capacity Utilization of Cement (%)	56.57	40.20	54.33	67.90	50.63	54.20	52.08	55.60
Clinker Production (MT)	105690	80240	133010	150135	514311	525920	753011	756295
Cement Production (MT)	112010	79545	134750	168500	506315	542486	753075	790531
Dispatch (MT)	113121	77972	131471	170684	502472	549522	747067	798181

Your company has taken up certain project activities at different operating plants. The status of some important projects are briefed under.

a) Technological Up-Gradation at Tandur

As envisaged in the Sanctioned Scheme, technological up-gradation scheme at Tandur has been taken up for implementation.

Twenty two schemes have been completed so far, other schemes are at different stages of implementation.

Upgradation of Railway siding at Tandur Plant is being executed by the Indian Railways under depositary work scheme, the work of which is under progress.

b) MOU entered Between CCI & NTPC

The MOU is to lay down the basic understanding for setting up of a Venture between CCI & NTPC (directly or through subsidiary) for upgrading a 0.4 MTPA Cement production unit at Akaltara or any other non-operational unit of CCI for utilization of Lime Stone, Fly Ash & Gypsum for mutual benefit of Venture partners and supply of lime stone to NTPC FGD Plant for conversion into Gypsum.

c) MOU entered Between CCI & RINL

The MOU is to lay down the basic understanding for setting up of Venture between CCI & Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) for setting up the 2 MTPA Cement Grinding Unit at the premises of Vizag Steel Plant for optimum utilization of Blast Furnace Slag and Fly ash in two phases of 1 MT each and for mutual benefit of both the PSUs. M/s. NCCBM Ltd. has been engaged for preparation of Techno Economic Feasibility Report (TEFR) for setting up a new Cement Grinding Unit at RINL, Vizag.

d) Bokajan Expansion Project

As per BIFR Sanctioned Scheme, the installed capacity of Bokajan Unit is to be enhanced to 1200 tpd of clinker, which inter alia envisages enhancement in the cement grinding capacity at Bokajan and Setting up of Silchar Grinding Unit with 50 tph capacity.

The Work Order for capacity Expansion of Bokajan Cement Factory was awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd. Bangalore on turnkey basis at a total cost of ₹ 142.40 crore. However, there is inordinate delay in execution of the contract with part supply of equipment and part construction of Civil works by the contractor. Arbitration proceeding is going on for this matter.

e) Silchar Grinding Unit

The work order for setting up of Silchar Grinding Unit of 50 TPH was also awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd Bangalore on turnkey basis at a total cost of ₹ 39.68. No significant progress have been made in the project implementation.

Non-Operating Units

The cement plants of the following non-operating units of the company continued to be closed without any operation.

1. Mandhar
2. Kurkunta
3. Nayagaon
4. Akaltara
5. Charkhi Dadri
6. Delhi Cement Grinding Unit
7. Adilabad.

Status of Sale of Non-Operating Units

As per the order of Ministry of Labour & Employment, GOI, Non-Operating units i.e. Mandhar, Kurkunta, Nayagaon, Akaltara, Charkhi Dadri and Delhi Grinding units have been closed on 31.10.2008. The Adilabad Unit also stands closed w.e.f. 31.10.2008 vide order dated 20.02.2017.

As per the directive of NITI Aayog, the disinvestment process has been initiated for the following units.

1. Mandhar
2. Kurkunta
3. Nayagaon
4. Charkhi Dadri
5. Bathinda Grinding Unit

B. Profitability


The company has earned a net profit of ₹17.99 Crore in the year 2017-18. This was ₹42.33 crore in the previous year.

C. Sales

The total cement sale during the year was 7.47 lac MT as against 7.98 Lac MT during the last financial year, a negative growth of 6.4%. The negative growth is attributed to sluggish demand in the prevalent market and consequent drop in price of cement.

A comparative chart showing cement sales by the company in the financial year 2017-18 compared to previous year 2016-17 is given below.

CCI Cement Sales as whole for F/Y 17-18 vs F/Y 16-17



D. Industry highlights and outlook

Globally the advanced economic countries strengthened their position further building on their growth momentum since 2016. With increased Asian manufacturing output supported by a good flow of investment, higher trade was witnessed globally.

Not lagging behind, the Indian Economy GDP is also pegged at 7.4% for 2018. International Monetary Fund has also estimated that Indian Economy is poised to grow at 7.8% in 2019.

India, as the second largest cement producer in the world has added ~90 million tonnes capacity in over past five years. After a big lull, the industry reported a rise in cement demand. The Government's thrust on infrastructure development remains a key driver of this growth. The Housing for All scheme by 2022 is also likely to have favourable impact on cement consumption during Financial Year 18-19.

The year also witnessed the introduction of GST, by far the single largest tax reform in Indian history since independence. The sentiments were subdued due to teething problems for a quarter, however cement demand picked up subsequently. The year also saw India showing an improvement of 30 ranks from 130 to 100 in the World Bank report for "Ease of Doing Business Index". This is expected to result in higher FDI inflows during Financial Year 18-19. The World Bank report is also to be seen against Moody's upgrading India's sovereign rating from Baa3 to Baa2.

E. Marketing and its environment

Cement demand improved significantly from November 2017 and higher cement sale was recorded in almost all markets till February 2018. This was a result of higher growth in infrastructure sector and increased demand from retail builders. Most of the markets of Rajban unit have shown increase in trade sale while government orders have shown a downward trend. Your company also entered into a MoU for cement sale through M/s National Small Industries Corporation Ltd (NSIC) and with Telangana Govt for Affordable 2BHK Housing Scheme.

Bokajan unit registered growth of 45% in cement sales due to buoyant demand in North Eastern markets. However, Southern markets remained highly competitive and prices dropped in last quarter of Financial Year.

We are happy to inform that production of PPC was started from Tandur unit during the current Year with encouraging acceptance in many markets. PPC is both an eco-friendly and cost effective cement.

F. Quality

- Quality aspects are given utmost importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control activities from raw material to finished product stage are being carried out in company's own well equipped laboratories by qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed Government laboratories such as NTH, NCB etc.
 - In Rajban Unit - Coal Quality improved slightly compared to last year.
- a) All the three Operating units are ISO certified. Tandur unit is also certified with SA 8000.
 - b) Total energy consumption and energy consumption per unit of production for operating units is produced below.

Electricity

Purchased	Year 2017-18	Year 2016-17
i) Units (in lakhs)	1096.21	1081.49
ii) Total amount (in lakhs)	6559.90	*6417.00
iii) Rate per Unit	5.98	5.93
Own Generation		
i) Through Diesel Generation Unit (KWH)	108039	126932
ii) Unit / liter of diesel oil (KWH/liter)	2.88	2.56
iii) Cost per Unit (₹./KWH)	19.59	18.66

Coal

i) Qty. Consumed (Tonne) Coal	171765	170208
ii) Total Cost (₹. In Lakhs)	9275.95	9170.21
Average rate (₹./MT)	5952.43	5387.65
Consumption per Unit of Production		
i) Electricity (KWH/tonne of packed Cement incl. Township)	142.22	136.81
ii) Booked coal (kg./kg. of clinker/Production)	0.2281	0.2251
iii) Coal quality(UHV) (K.Cal / kg. of coal)	4543.47	4462.47

* Excluding arrear power bill of ₹ 12.31 crore.

4. Capital structure

The Corporation has not received any amount as equity from Govt. of India during the year and company' share capital at the year-end stood at ₹ 811.41 crores.

5. Remuneration policy

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th

November, 2008 No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009 The PRP is based on the Performance / profitability of the Company as well as individual performance rating which is aligned to the organization's objectives.

As per guidelines issued vide OMW-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017 on Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, the 3rd PRC for Executives, Supervisors & Non-Supervisors has been approved by the Board and is yet to be implemented.

6. Human resource management & industrial relations

Your Company lays greater emphasis on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. In your company there are 640 employees possessing a variety of skills, qualifications and competence. Your Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. The Corporation has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.

The Industrial Relations remained peaceful throughout the year in all the units of the

Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations. There was no loss of man days lost during the year.

7. Human resource development

Through Human Resource Development, your company has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future. The Final report in this regard has been submitted by the ASCI to the Management and the same has been sent to the Government for approval. After receiving the approval, suitable manpower restructuring will be taken up.

Employee Welfare/ Engagement Initiatives

The Human Resource Department has come up with numerous initiatives for the welfare of employees, by organizing various cultural events, Sports activities, health check-up camps and health talks which have been organized at units as well as Corporate Office.

During the Financial Year 2017-18, CCI has also organized Foundation Day, National Voters Day, Constitution Day, Swachhta Pakhwada, Hindi Pakhwada etc.

The few snippets from the events are given below:



Cultural Programme by Children of CCIL family members on Foundation Day at CCI, Bokajan



Pledge Ceremony on National Voters Day at CCI, Rajban



Celebration of Samvidhan Diwas at CCI Corporate Office.



Cleanliness drive during Swachhta Pakhwada



The art work by the children during Swachhta Hi Sewa Campaign



Free Health Check-up Camps

Prime Minister's Shram Award



Shri Chandra Engti was graced with prestigious Prime Minister's Shram Shree Award, 2016 by President of India at Vigyan Bhawan on 26.02.2018.

8. Training and development

As part of Human Resource development, your company focuses on the skill development of employees across all levels. During the year 2017-18, total 2111 mandays of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees were also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

9. Grievance redressal mechanism

Effective internal machinery for grievances redressal has been evolved and established in Cement Corporation of India Ltd., for its employees.

CCI is maintaining grievance handling system very effectively and employees are given an opportunity at every stage to raise grievances relating to wage matters, working conditions leave, work assignments and welfare amenities etc. Majority of grievances are redressed informally in view of the participative nature of environment existing in the units. The system is comprehensive, simple and flexible and has proved effective in promoting harmonious relationship between employees and management.

10. Welfare of women

Your Company is fully committed and conscious of its social responsibility for welfare of women. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various Units/Offices of the Corporation.

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club where

various social and recreation activities are being carried out for the women. The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these various clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for welfare of women. So far as Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is concerned, the committee established to inquire any such issues, has not received any complaint during 2017-18.

11. Official language implementation

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation also taken active part in the activities of Official Language Implementation Committee. Hindi Week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work.

12. Corporate social responsibility

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level which are as follows:

- a. Promotion of Sanitation by organizing Camp & Garbage Tanks in or near Govt. Primary Schools (CCI), Adarsh Colony & Muglonwala Village.
- b. Provision for safe drinking water in Govt. Primary Schools (CCI) by installing RO system.
- c. Construction & renovation of toilets in Govt. Primary Schools with Nadi Kandon & CCI Colony with lighting arrangements.
- d. Medical Health checkup camps for residents of Kando villagers, Malagi Panchavat villagers, Muglonwala Panchayat villagers.

- e. Construction of Septic Tank and Soak pit at Nandi Colony.
- f. Water Supply Pipeline Work at Chandravancha Village.
- g. Medical Camp at Chandravancha Village & Karankote.
- h. Two Toilet blocks at temple premises near CCI Township.
- i. Fitting of LED street lights at Chandravancha Village.

(i) Like other disciplines, Vigilance is also an important management function. The prime function of the vigilance is to create vigilance awareness amongst its employees at all levels in the organization and to promote the culture of honesty, efficiency and transparency in the working environment of the corporation.

(ii) The Vigilance Department of the Corporation is headed by Chief Vigilance officer and has different roles to play Viz. preventive, punitive, detective and proactive. Central Vigilance commission has been emphasizing that there is an urgent need to impress upon preventive vigilance activities. Only when such systems are put in place, the employees can work properly, effectively and in the best interest of the Corporation. As a part of preventive Vigilance, various rules, procedures and practices which afford scope for malpractices were examined. Vigilance Department functions as an integral part of the management aiming at promoting the culture of honesty, managerial effectiveness, transparency and efficiency in the functioning of the corporation. Through formal as well as informal interactions, vigilance awareness is inculcated amongst the employees at all levels in the Corporation and main emphasis is on preventive vigilance and system improvement with a view to eliminate the scope for indulging in malpractices. Existing System and procedure are examined with a view to plug in the loopholes and simplifying the system for transparency in the functioning of all departments of the Corporation.

13. Conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

14. Statement concerning development and implementation of risk management policy of the company

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

15. Details of policy developed and implemented by the company on its corporate social responsibility initiatives

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created various activities and taken up various initiatives at its plants level.

(iii) On the punitive side, speedy disposal of complaints and disciplinary proceedings was ensured including consultation with CVC and DHI. During the period under review ten complaints were brought forward from previous year and fifteen complaints were received during the year. Thus, out of twenty five complaints fourteen complaints were disposed off and the remaining eleven complaints are carried forward in the next year. Further, the nature of cases relates to irregularities in sale/ purchase of clinker, cement, recruitment and promotion, amendment in CDA Rules, etc. Minor penalty was imposed on four

16. Activities and achievements of the vigilance department.

officials during the year 2017-18.

- (iv) List of officers of 'Doubtful Integrity' and 'Agreed List' prepared and follow-up action taken thereof.
- (v) E-procurement e-auction are implemented. Integrity pact has been implemented. As per CVC guidelines IEMs have been appointed. CCI's website takes care of all statutory requirement of RTI Act and various functional areas.
- (vi) Half yearly Review of Vigilance activities is undertaken by the Board of Directors of CCI covering all the activities, including complaints received / disposed off, disciplinary action taken, brief regarding important cases, training and manpower in vigilance as well as the areas of concern. Complaints received from CVC, DHI and other sources are examined in terms of Government of India guidelines and disciplinary action initiated against the erring officials found guilty during disciplinary proceedings.
- (vii) Timely action is taken to safeguard the interest of the Corporation in legal cases emanating from Vigilance Cases.
- (viii) Annual Property returns are being obtained from employees for the Current financial year.
- (ix) All prescribed monthly, quarterly and Annual Returns pertaining to Vigilance activities are being sent to CVC, DHI etc. in time.
- (x) Necessary Co-operation/ assistance provided to CBI in terms of DOPT's instructions by way of deputing CCI employees to secret official duty.
- (xi) Vigilance awareness Week was celebrated from 30th October (Monday), 2017 to 04th November, 2017 with the theme 'My Vision- Corruption Free India' and organized seminars, debate, workshops, competition on essay writing/ slogan etc. at Corporate Office and all Operative units, nearby Schools & Colleges.

17. E-procurement / integrity pact

The e-procurement facility has been in place in the organization. M/s MSTC, New Delhi is the service provider for e-procurement portal. All e-tenders are invited through their portal.

A format of vendor registration is displayed in CCI Website. The vendors are registered at units as well as at Corporate Office, as and when they apply.

The integrity Pact has been implemented. Two IEMs have been appointed to oversee the implementation of Integrity Pact.

18. Internal financial control

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate.

Outside firm of Chartered Accountants are appointed by Audit Committee duly approved by Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc

19. Particulars of loans, guarantees or investments

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2017-18.

20. Explanation or comments on qualifications, reservations or adverse remarks or disclaimers made by the auditors and the practicing company secretary in their reports

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report. (Annexure B)

21. Particulars of contracts or arrangements made with related parties

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

22. Company's policy relating to directors appointment, payment of remuneration and discharge of their duties

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

23. Annual return

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

24. Number of board meetings conducted during the year under review

The Company has conducted 9 Board Meetings during the financial year 2017-18.

25. Management discussion and analysis report

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

26. Directors responsibility statement

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

(e) The directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information; and

(f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

27. Subsidiaries, joint ventures and associate companies

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

28. Deposits

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2017-18.

29. Directors

There was no change in the composition of board of directors of your company during the year 2017-18.

30. Declaration of independent directors

Shri Mahender Gupta joined the Board as Independent Director w.e.f. 29.06.2016 and has given Declaration of Independence under Section 149 (7) of the Companies Act, 2013.

31. Links to company website

Annual Reports as well as various policies of the Company are posted on the Company's website www.ccltd.in

32. Implementation of right to information act, 2005

Your Company has always been endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

33. Foreign exchange earnings and outgo:

Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Hence there is no export sales. However, close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. At present, entire sale of cement is in the domestic market.

34. Auditors:

Statutory auditors

M/s. Kapoor Bhushan & Co., chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2017-18 and M/s. S.K. Tanwani & Co., M/s. Jhanwar & Co, M/s. K K Attal & Associates, M/s. P Gaggar & Associates, M/s C Venkat Krishna & Co. &, M/s P P Bansal & Co., M/s DCG & Co., M/s. N. Sambashiv & Co. were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

Cost auditors

M/s. Jugal K Puri & Associates, Cost Accountants,

Delhi were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s S Dhal & Co., Cost Accountant for Bokajan & M/s N S V Krishna Rao, Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2017-18.

Secretarial auditors

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Balika Sharma & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2018. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

“The Composition of Board of Directors/ Audit committee could not be duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013 and as per DPE guidelines due to lack of required Independent Director on the Board. Request to fill the vacancies were sent to Administrative Ministry. However the Administrative Ministry has appointed one Part-time non-official director (Independent Director) on the Board of CCI w.e.f. 29.06.2016.”

35. Disclosure of composition of audit committee and providing vigil mechanism

The Audit Committee consists of the following Directors:

- a. Shri Mahender Gupta (Independent Director), Chairman.
- b. Shri A.M. Manichan, Member.
- c. Shri. B.V.N. Prasad, Member

The Company has a laid down Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the

company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

36. Acknowledgements

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, DGS&D, PESB, , BIFR, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s Kapoor Bhushan & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-

(Manoj Misra)

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Date :

Place: New Delhi

CSR ACTIVITIES

1. A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **“A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating”**.

CCI integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

Web-link address to the CSR Policy is: <http://ccilttd.in/page.php?id=194>

2. The Composition of the CSR Committee.
The Corporate Social Responsibility committee at the Board level consists of the following directors:
 - a) Shri Mahender Gupta, Independent Director, Chairman
 - b) Shri A. M. Manichan, Director (Govt. Nominee), Member
 - c) Shri B.V.N.Prasad, Director (HR), Member
3. Average net profits of the company for the last three financial years: ₹4531 lakhs
4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item 3 above): ₹91 lakhs
5. Details of CSR spent during the financial year:
 - (a) Total amount spent for the financial year: ₹9 lakhs
 - (b) Amount unspent, if any: ₹ 82 lakhs
 - (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(₹ in Lakh)

1	2	3	4	5	6	7
S.no	CSR Project or activity	Projects or programs(1) Local area or other	Amount outlay (Budget) Project	Amount Spent	Cumulative Expenditure up to the reporting period	Amount spent : Direct or through implementing agency
1	Under Swach Bharat Mission	a) Toilets	-	2.96	2.96	Direct
		b) Septic Tank and Soak Pit	-	1.00	1.00	Direct
2	Health	Medical Camps	-	1.91	1.91	Direct
3	Drinking Water	a) Water Cooler and RO System	-	1.41	1.41	Direct
		b) Pipeline for Water Supply	-	1.65	1.65	Direct
	Total		-	8.93	8.93	

(S. Sakthimani)
Director Finance / CFO

(Manoj Misra)
C&MD

Particulars are required under Companies (Disclosure of particulars in the report of the Board of Directors) Rules 1988.

1. Resource Efficiency

- Power and Coal Consumption: In order to have resource optimization, technology up-gradation / energy conservation measures are under various stages of for implementation. Installation of multichannel burner and energy efficiency fans are in progress and the work is expected to be completed in three month. Insulation of various ducts, duct replacement, immersion tube replacement / installation etc. are in progress. Installation of dynamic separator, low pressure drop cyclone, fly-ash handling system etc. have also been taken up for implementation.
- Technical experts are being deputed to all 3 plants to identify steps that can be taken up for energy conservation, resource optimization and higher capacity utilization.

Environment improvement -

- Installation of Reverse Air Bag House (RABH) has been planned in units to minimize the dust losses and as a step towards resource conservation. Besides major up-gradation is planned in ESP at Bokajan to be done by M/s. Andrew Yule.
- Installation of Sewage Treatment plant (STP) has been completed in Tandur and has been taken up in Rajban unit.
- Besides the above the following actions have been completed / taken-up for general plant efficiency improvement.
 - i) In Bokajan, the laying of railway siding inside the plant has been completed for enabling easy movement and minimize losses in transportation and handling of coal and other raw materials.
 - ii) Railway siding up-gradation work is in advance stage of completion in Tandur unit.
 - iii) Multi-axle truck loading has been started in Rajban unit.
 - iv) Installation of table top X-ray Analyzer has been taken up in all the three plants.

- v) Installation of truck loaders is also being planned.

Usage of Secondary Raw Materials and Recycling:-

- i) Fly-ash which is waste material from thermal power plants is being utilized for manufacture of Portland Pozzolana Cement (PPC). Besides mill scale, iron dust etc. are used as additives in raw mix.
- ii) The waste from STP is being recycled for gardening etc. in Plant Township.

A. Conservation of Energy

Energy conservation steps taken in the year 2017-18

Bokajan Plant

- High Wattage Luminaries have been replaced with LED bulbs.
- Total savings in 88 KWH/day.

Rajban Plant

- Installation of LED street light and LED tube fitting in place of conventional HPSV & florescent tubes.
- Replacement of standard efficiency LT motors in cement mill auxiliary circuit 10 HP/5 HP, Reciprocating Compressor 30 H.P, EH-100 used for all air sealing and 100 HP GCT Pump motor with energy efficient motors.
- Procurement of Solar Street fitting for plant and township to be initiated.
- Investment on energy conservation equipment is ₹8.94 lakhs.

Tandur Plant

- Various energy saving measures have been taken up, such as replacement of High wattage Light fittings 450/150/60/100 watt with Watt 100/40/20/40 watt fittings 320 nos. installed at a cost savings of ₹11,01,461.00.
- Capital Investment on Energy Conservation Equipment for Financial Year 2017-18.
- Procured & Installed as replacement of 40 Watts LED Street Light 200 Nos., 40 Watts Led Well Glass Fitting 40 Nos, 100 Watts LED Flood Light Fitting 30 nos. 20 LED Tube Fitting 200 nos & Ceiling Fans 50 nos. at Plant and Colony area at cost of ₹ 8,29,733.00.

**TOTAL ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION (FORM-A)
FOR THE REPORT OF BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2017-2018**

Electricity

Particulars	Bokajan	Rajban	Tandur	CCI as a whole
a) Purchased				
I) UNITS (KWH)	216,28,106.50	189,67,530.00	690,25,860.00	1096,21,496.50
II) TOTAL AMOUNT (₹.in lakh)	1785.40	1267.40	3507.10	6559.90
III) RATE PER UNIT (₹./kwh)	8.20	6.68	5.08	5.98
b) Own generation				
I) Through Diesel Generation Units (KWH)	81739.00	26300.00	0.00	108039
II) total diesel consumption in litre	23354.00	14139.78	0.00	37493.78
III) units/litre of diesel oil (KWH/ litre)	3.50	1.86	0.00	2.88
IV) cost per unit ₹./KWH	14.02	28.78	0.00	19.59

Coal

Particulars	Bokajan	Rajban	Tandur	CCI as a whole
i) QTY Consumed (MT)	24618.00	26703.00	120444.00	171765
ii) TOTAL COST (₹.in lakh)	1281.36	2063.61	5930.98	9275.95
iii) AVERAGE RATE (₹./MT)	5205.01	7728.00	4924.27	5952.43

Consumption per unit of production

Particulars	Bokajan	Rajban	Tandur	CCI as a whole
i) Electricity (KWH / Tonne of Packed Cement including township)	193.77	133.48	133.14	142.219
ii) Booked Coal (% of clinker Production)	23.29	20.10	23.42	22.81
iii) Coal quantity (UHV) (K.Cal / kg of coal)	5354.00	4953.00	4271.00	4543.47

Production figures in 2017-18 (Tonnes) at different operating plants are as under:

Plant	Clinker	Cement
Bokajan	105690	112010
Rajban	133010	134750
Tandur	514311	506315
Total	753011	753075

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT PURSUANT TO PROVISION OF THE COMPANIES ACT, 2013

Management's replies to the observations stipulated in the Revised Audit Report dated 06-09-2018 are given here under :-

S.No	Qualifications	Management Reply
1.	<p>BASIS FOR QUALIFIED OPINION - a,b,c,d</p> <p>a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, DDA sue moto transferred the land measuring 14.20acres to SDMC on dated 11-04-2017cost of land transferred to claim recoverable from outside party. Physical possession of land measuring land 6.74 allotted for railway siding which is still with the company. [Refer Point No.3 of Note-30].</p> <p>b. Non Determination and non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI'S Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point No.5 of Note 30].</p> <p>c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 30].</p> <p>d. The balance of certain trade receivable Loan and advances. Trade Payables, Deposits to and from parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.22 of Note 30].</p>	<p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p> <p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p> <p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p> <p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p>
2.	<p>BASIS FOR QUALIFIED OPINION - e</p> <p>e.The company has seven factories and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required become market value expected is normally more than the book value of the Assets. [Refer Point No.11 of Note 30].</p>	<p>The position regarding impairment of Assets of Non-operating units has been adequately explained in point no. 11 of Note 30 of the Annual Accounts.</p>
3.	<p>BASIS FOR QUALIFIED OPINION - f</p> <p>f. The company had issued 3554325 Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 1000/- each for a value of ₹ 355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 30].</p>	<p>The matter regarding re-issue of preference shares has been taken with DHI, which has also been adequately explained in point no. 13 of Note-30 of Annual Accounts</p>

<p>4.</p>	<p>BASIS FOR QUALIFIED OPINION – g,h</p> <p>g. No effect has been given in accounts for claims / counter claims lodged by the company for ₹ 73.14 crores against various parties which are under Arbitration/pending in Courts etc. As the matters are pending before court, the same can not be assessed at this stage. [Refer Point No.1 of Note 30].</p> <p>h. In Note No. 29, the Company has included an Amount of ₹ 340.28 crores under Contingent Liabilities as claims against the Company not acknowledged as debts on Account various claim. The matter is pending before court and outcome of this can not quantified at this stage.</p>	<p>Matter relate with claims / counter claims of the Corporation which is under sub-judice and cannot be assessed at this stage, the same has been disclosed in Note 29 and Note 30 of Annual Accounts</p> <p>Matter relate with claims of the Corporation which is under sub-judice and cannot be assessed at this stage, the same has been disclosed in Note 29 and Note 30 of Annual Accounts</p>
	<p>EMPHASIS OF MATTER</p> <p>b) Assessments for the AY 2006-07 & 2007-08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Company have been reduced by ₹ 973.00 crores against which the company had filed appeals which are pending before Appellate Authorities. Appellate Authorities vide order dated 23-12-2016 set –aside the orders and remand back to Assessing officer for reassessment for the both the financial years. [Refer Point No.2 (ii) of Note 30].</p> <p>c) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI and it was completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction. However, sale of these non-operating units are under progress as per direction given by NITI Aayog (Refer point no.11 of Note 30).</p> <p>d) In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company spent ₹ 9 lakhs during the year 2017-18 towards Corporate Social Responsibility, hence an amount of ₹ 82 lakhs is unspent based on average net profit of last 3 years. (Refer Point no. 23 of Note 30)</p>	<p>b) The position has been adequately disclosed in the relevant point no. 2 (ii) of Note 30 forming part of the Financial Statement.</p> <p>b) As per direction of DIPAM/ NITI Aayog sale of non-operating units are under progress. The assets valuer's Legal Advisor and Technical Advisor have been appointed.</p> <p>b) CCI is BIFR referred company, however short fall in CSR activity u/s 135 of Companies Act. 2013 is being explained in Board Report as compliance of the Act.</p>

**FORM NO. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN**

As on the financial year ended on 31 March, 2018

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :

- i) **CIN:-** U74899DL1965GOI004322
- ii) **Registration Date:-** 18/01/1965
- iii) **Name of the Company:-** CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
- iv) **Category/ Sub-Category of the Company:-** MANUFACTURING SECTOR
- v) **Address of the Registered office and contacts details:-**
CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD, NEW DELHI-110003
- vi) **Whether listed company Yes / No:-** No
- vii) **Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:-** N.A.

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/services	% to total turnover of the company
1	Cement	2394	100%
2	Clinker	2394	

3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING / SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
			NIL		

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
(b) Central Govt Equity Shares Preference Shares	-	45,59,749	45,59,749	100%	-	45,59,749	45,59,749	100%	NIL
	-	35,54,325	35,54,325	100%	-	35,54,325	35,54,325	100%	
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
(f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
Sub-total(A) (1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) Foreign									
a) NRIs- Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Bank/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Any other....	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total(A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+(A) (2)	0		0	0	0	0	0	0	
A. Public share holding									
1. Institutions									
(a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
(b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(c) Central Govt./State	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
(e) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	
(f) FIs	0	0	0	0	0	0	0	0	
(g) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0					
(h) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stressed Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Non- Institutions									
a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Individuals	0	0		0	0	0	0	0	
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) others (Specify)									
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	
HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grand Total (A+B+C)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

SL NO.	Share holder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of Pledged/encumbered to total shares	
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	Total	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. Of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year				
2	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	NO CHANGE			
3	At the end of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	For Each of the Top 10 Shareholders				
2	At the beginning of the year				
3	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc):				
4	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year				
2	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment /transfer/ bonus/sweat equity etc):	NIL			
3	At the End of the year				

5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrues but not due for payment

(₹ in Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial				
i) Principal Amount	-	17215	-	17215
ii) Interest due but not paid	-	12385	-	12385
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	Nil	29600	-	29600
Change in Indebtness during the financial year				
• Addition		1500		1500
• Reduction				
Net Change				
Indebtness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	-	15715		15715
ii) Interest due but not paid	-	12385		12385
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	Nil	28100		28100

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Shri Manoj Misra	Shri B.V.N. Prasad	Shri. S. Sakthimani	Total Amount
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income tax Act, 1961	30.09	26.71	23.93	80.74
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission				
	- As % of profit	NIL	NIL	NIL	NIL
	- Others, specify....				
5.	Others , please specify				
	(i) Contribution to PF	2.61	2.39	2.14	7.14
	(ii) Medical Reimbursement	0.91	0.39	0.17	1.47
	Total (A)	33.62	29.50	26.25	89.38
	Ceiling as per the Act				

B. Remuneration to other directors:

(₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Name of Director Sh. Mahender Gupta
	3. Independent Directors • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify	1.56
	Total (1)	1.56
	4. Other Non-Executive Directors(BIFR Nominee) • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify	
	Total (2)	0.00
	Total (b)=(1+2)	1.56
	Total Managerial Remuneration	
	Overall Ceiling as per the Act	


C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	CEO/C&MD Shri Manoj Misra	COMPANY SECRETARY Shri. Ajay Kumar Sharma	Dir(Fin.)/ CFO Shri. S. Sakthimani
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income – tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	30.09 - -	11.88 - -	23.93 - -
2.	Stock Option	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-	-
5.	Others, please specify (i) Contribution to PF (ii) Medical Reimbursement	2.61 0.91	1.18 1.41	2.14 0.17
	Total	33.62	14.48	26.25

7. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority[RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY	NIL				
Penalty					
Compounding					
B. DIRECTORS	NIL				
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT	NIL				
Penalty					



Balika Sharma and Associates

Company Secretaries

Address: Flat No. 211 pocket A/3,
Sector-7, (Rohini, New Delhi, (Pin Code-110085)

Mobile: 9811387946

{E-mail: balikasharma@gmail.com}

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Ad, 2013 and RukNo.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members of,
Cement Corporation of India Limited

**Reg. Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road
New Delhi-110003**

CIN: U74899DL1965GOI004322


We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation of India Limited, (hereinafter called "the Company")**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, e-Forms and returns tiled and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year commencing **from 1st April, 2017 and ended on 31st March, 2018** complied with the statutory' provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, e-forms and returns filed and other records maintained by **Cement Corporation of India Limited** ("the Company") for the financial year ended on 31st March, 2018 according to the provisions of:

1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

- 2) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- 3) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- 4) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- 5) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
 - g) The Securities and Exchange Board of India



Balika Sharma and Associates

Company Secretaries

Address: Flat No. 211 pocket A/3,
Sector-7, (Rohini, New Delhi, (Pin Code-110085)
Mobile: 9811387946
{E-mail: balikasharma@gmail.com}

(Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
and

- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
- 6) Being an Unlisted Government Company, the above mentioned acts given in para 2, 3, 4 and 5 are not applicable to the Company.
- 7) We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We have examined compliances of the provisions of para (i) as they had been notified by Central Government with effect from 01st July, 2015 but we have not examined compliances of the provisions of para (ii) as these are not applicable to the Company (being Unlisted Government Company).

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India, ii) The Listing Agreements entered into by the Company with N.A. Stock Exchange(s), if applicable;

We further report that

During the year under review, the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors; except Independent Directors.

The Company has only one Independent Director. However, the Company has already requested the Administrative Ministry to appoint requisite number of Independent Directors on the Board of Company and the confirmation on same is awaited.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines as stated above.

Acts, Rules and Regulations stated above at para no. 5 are not applicable to the Company; however we have been informed that there was no transaction reported under the provisions of FEMA, during the year under report.

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure I and forms an integral part of this report.

Sd/-

Balika Sharma & Associates

Company Secretaries

FCS No: 4816

C.P.No : 3222

Place: New Delhi

Date: 15.05.2018

ANNEXURE I

To,
The Members of,
Cement Corporation of India Limited
Reg- Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road New Delhi-110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Management of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations & happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: New Delhi
Date: 15.05.2018

Sd/-
Balika Sharma

Company Secretaries
FCS No: 4816
C.P.No : 3222

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The Board firmly believes that good Corporate Governance is fundamental in ensuring that the company is well managed in the interest of all of its stakeholders. The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/ Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of

section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2018, the Board of CCI comprised of six (6) Directors out of which three are functional directors including the Chairman & Managing Director and two Part-time official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry, Government of India and one Independent Director.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 20.09.2017)	No. of Directorship held as on 31.03.2018	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2018
Functional Directors:						
1.	Shri Manoj Misra, Chairman & Managing Director	9	9	Yes	1 (Member Scope)	NIL
2.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources)	9	9	Yes	NIL	NIL
3.	Shri S. Sakthimani Director (Finance)	9	9	Yes	NIL	NIL
Government Nominee Directors:						
4.	Shri A. M. Manichan	9	8	No	2	NIL
5.	Smt. Ritu Pande (w.e.f 27.02.2017)	9	6	Yes	6	NIL
Independent Director						
6.	Shri. Mahender Gupta (w.e.f 29.06.2016)	9	9	Yes	0	NIL

The company held nine Board Meetings i.e. on 12.04.2017, 29.06.2017, 25.7.2017, 12.09.2017, 20.09.2017, 21.11.2017, 15.12.2017, 27.02.2018 and 20.3.2018 during the year under report and time gap between two Board Meetings was not more than three months.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the functional director/CMD.
- Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board meeting for their confirmation. The minutes of committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An action-taken report on the important decisions of the Board/Committee members is presented in subsequent meetings. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Capital budgets, Annual Plan, MOU
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Award of large contracts.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the independent Directors were paid sitting fees at the rate of ₹ 6000/- (₹ Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof respectively during the financial year 2017-18.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2017-18)
Functional Directors:			
1.	Shri Manoj Misra, Chairman & Managing Director	Chairman cum Managing Director	1. SCOPE (Member)
2.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources)	Director (HR)	NIL
3.	Shri S. Sakthimani Director (Finance)	Director (Fin)	NIL
Government Nominee Directors			
4.	Shri A.M. Manichan	Govt. Nominee Director	1. Instrumentation Limited 2. Hindustan Cables Ltd
5.	Smt. Ritu Pande (w.e.f 27.02.2017)	Govt. Nominee Director	1. Bridge & Roof 2. Jagdishpur Paper Mills 3. Hindustan News Print 4. HCl 5. Hindustan Paper Mills 6. PRATHAM (HEC)
Independent Director			
6.	Shri. Mahender Gupta (w.e.f. 29.06.2016)	Independent Director	M/s Continental Hygiene Concepts (Partner)

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2017-18.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

As per the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013, the Company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) **Shri. Mahender Gupta (Independent Director) as Chairman**
- 2) **Shri B.V.N. Prasad, Director (HR) as Member**
- 3) **Shri A.M. Manichan (Govt. nominee) as Member**

The above Audit Committee was reconstituted on 14.07.2016 consisting of Shri. Mahender Gupta as Chairman, Shri A.M. Manichan and Shri. B.V.N. Prasad as Members.

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2017-18, seven Audit Committee Meetings were held on 12.04.2017, 29.06.2017, 20.07.2017, 12.09.2017, 20.9.2017, 15.12.2017, and 27.02.2018 attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Shri. Mahender Gupta	7	7
2. Shri B.V.N. Prasad	7	7
3. Shri A.M. Manichan	7	5

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

During the year 2017-18, five Remuneration Committee Meetings were held on 12.04.2017, 29.06.2017, 12.09.2017, 27.02.2018 and 20.3.2018 attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Shri. Mahender Gupta	5	5
2. Shri B.V.N. Prasad	5	5
3. Shri A.M. Manichan	5	5

The Remuneration Committee was reconstituted on 14.07.2016 as follows:

- 1) **Shri Mahender Gupta (Independent Director) as Chairman**
- 2) **Shri A.M. Manichan (Govt. nominee Director) as Member**
- 3) **Shri B. V. N. Prasad (Director, HR) as Member**

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2017-18 are given below:-

(₹ In lakhs)

S. No	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri Manoj Misra	24.76	5.32	0.00	0.00	0.91	2.61	33.6
2.	Shri B.V.N. Prasad	22.66	4.05	0.00	0.00	0.39	2.39	29.49
3.	Shri S. Sakthimani	20.30	3.62	0.00	0.00	0.17	2.14	26.23
	Total	67.72	12.99	0.00	0.00	1.47	7.14	89.32

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have an Corporate Social Responsibility Committee. The Company is having only one Independent Director. Accordingly, CSR Committee consisting of the following Directors have been constituted:-

- a) Shri Mahender Gupta, Chairman (Independent Director)
- b) Shri A. M. Manichan, Director (Govt. Nominee)
- c) Shri B.V.N.Prasad, Director (HR)

During the year 2017-18, two Corporate Social Responsibility Committee Meetings were held on 12.04.2017 and 21.9.2017 attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Shri. Mahender Gupta	2	2
2. Shri A.M. Manichan	2	2
3. Shri B.V.N. Prasad	2	2

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Meeting of Independent Directors

Since there is the only one independent director on the board of the Company, the meeting of Independent Directors could not be held.

8. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

9. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	51 st AGM	52 nd AGM	53 rd AGM
Date & Time	30 th September, 2015 at 12.30 PM	27 th September, 2016 at 12.15 PM	20 th September, 2017 at 3.00 PM
Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Special Resolution(s) passed	No	No	No

10. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the accounting standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments &

observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2018.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2017-18 and last three years.

11. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance, CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

12. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.cciitd.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

13. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of

policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in


14. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2017-18 which is **Annexed** herewith.

for and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 26th September, 2018

Sd/-
(Manoj Mishra)
(Chairman & Managing Director)



Amit Agrawal & Associates

Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA

Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : + 91 - 9811272307

E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of

Cement Corporation of India Limited,
New Delhi - 110003

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cement Corporation of India Limited** having its registered office at Core-5, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, for the financial year ended on **31.03.2018**, as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry Of Heavy Industries & Public Enterprises, Government Of India, May 2010 (as Emended from time to time).
2. The Compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE guidelines except the following:
 - a. There was one independent director on the Board of Company during the financial year 2017-18.
 - b. As per the DPE guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company has only one Independent director.
4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Amit Agrawal & Associates :
(Company Secretaries)

FCS Amit Agrawal
(Proprietor)
CP No. 3647

Place: Delhi
Date : 09.07.2018

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Overview and Outlook

Globally the advanced economic countries strengthened their position further building on their growth momentum since 2016. With increased Asian manufacturing output supported by a good flow of investment, higher trade was witnessed globally.

Not lagging behind, the Indian Economy GDP is also pegged at 7.4% for 2018. International Monetary Fund has also estimated that Indian Economy is poised to grow at 7.8% in 2019.

India, as the second largest cement producer in the world has added ~90 million tonnes capacity in over past five years. After a big lull, the industry reported a rise in cement demand. The Government's thrust on infrastructure development remains a key driver of this growth. The Housing for All scheme by 2022 is also likely to have favourable impact on cement consumption during Financial Year 18-19.

The year also witnessed the introduction of GST, by far the single largest tax reform in Indian history since independence. The sentiments were subdued due to teething problems for a quarter, however cement demand picked up subsequently. The year also saw India showing an improvement of 30 ranks from 130 to 100 in the World Bank report for "Ease of Doing Business Index". This is expected to result in higher FDI inflows during Financial Year 18-19. The World Bank report is also to be seen against Moody's upgrading India's sovereign rating from Baa3 to Baa2.

2. Financial Review and Analysis

Cement Corporation of India continues to generate profit year on year, despite a challenging scenario, though the net profit of the Corporation slipped to ₹17.99 crore from ₹42.33 crore net profit earned in financial year 2016-17. The cement despatches during the year stood at 7.53 lakh MT against 7.91 lakh MT for the previous Financial year with capacity utilization of 52%.

3. Risks and Concerns

The risk management has to take into account

business environment, operational controls and compliance procedures. The major risks are assessed through a systemic procedure of risk identification and classification. The risk assessment is not limited to threat analysis only but also identifies potential opportunities. The company has identified the following risks for your organization:

a. **Primary Raw Material and Energy Cost.**

Limestone is the primary raw material required for cement production. All the three operating units of CCI are having their captive mines for limestone shall etc. However coal availability at economic prices affects the energy cost as cement is an energy intensive industry. The fuel prices have continued to rise during the year driven by global demand scenario. We are also in the process of using a mix of pet coke to ease the pressure of coal price increases.

CCI is also the process of installing energy saving equipments to reduce power consumptions. The other measures undertaken for energy conservation include replacements of energy inefficient motors with energy efficient ones, installation of demand controllers for effective control of maximum demand and arresting leakages in pre-heater tower to maintain oxygen percentage at optimal level. Conventional lights are being replaced by energy efficient LED lights and solar plants are also in the pipeline to reduce energy cost and reduce carbon footprint of the organization.

b. **Low demand and over capacity:** The cement industry continues to be plagued with over capacity particularly in Southern markets. This is likely to maintain pressure on cement prices thereby impacting bottom lines.

c. **Competition:** With the entry of new players in the cement market and capacity expansion by the existing players, competition in Indian cement market, which is the world's second

largest cement producer, continues to be a challenge. The increased competition may create pressures on margins and market shares. CCI continues to enhance its brand equity through enhanced marketing activities and also endeavours to maintain high standards of quality, delivery schedules and customer satisfaction.

- d. **Project Execution:** Your Company has undertaken expansion of Bokajan unit in the cement deficit North Eastern Region of the country. This expansion project is exposed to the risk of time overruns. Any time over run may affect revenue and lost profits for the delayed period.
- e. **Human Resources:** With continuous superannuation of employees, company's value to deliver value and enhance profitability in a competitive environment, depends on its ability to attract, retain and nurture talent. Conversely attrition and non-availability of suitable talent can affect performance of CCI. We are continuously benchmarking the past HR practices across the industry and making necessary improvements to attract and retain best talent.
- f. **Regulatory and Compliance:** With the ever evolving regulatory framework in the country, the risk of non-compliance and penalties looms large and carries reputational risks also. The company is regularly reviewing the developments being brought about in the regulatory framework and necessary action is taken accordingly.

4. Internal control system

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems and reports to the Audit Committee. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the

operating procedures. The recommendations of internal auditors are implemented with direction of Audit Committee.

5. Corporate social responsibility

The company has a Corporate Social Responsibility & Sustainability policy as approved by the Board of Directors.

6. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The growth prospects of the cement industry are linked to the growth of the economy. The outlook in the short-term remains a challenge. However, the long-term driver for cement industry remains intact. Importantly, the government's focus on infrastructure development and housing augurs well for the industry.

Cautionary Statement

Statements in this 'Management Discussions & Analysis' describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

Ten Year Digest

₹ in lakhs

Particulars	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
Statement of Profit & Loss										
Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286	33426	32356
Other income including exceptional income	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893	3462	4402
Raw material consumed	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969	3630	3412
Stores & packing material consumed	1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703	1640	1670
Employees Remuneration & benefits	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997	4597	5724
Interest	261	225	223	297	295	446	911	3683	3752	3738
Depreciation	608	665	790	636	906	811	744	774	899	1107
Other manufacturing expenses	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340	17095	15852
Profit(+)/Loss(-)	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713	5275	5255
Balance Sheet										
Paidup Share Capital*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140	81140	81140
Reserves & Surplus	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)	(100823)	(106098)
Loans	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172	46875	44083
Net Fixed Assets	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224	10734	11474
Current Assets	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269	49033	41763
Current Liabilities and provisions	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137	36059	37404
Capital W.I.P.	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051	1577	1329
Other Assets (Includign DRE)	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795	1907	1963
Capital Employed	23875	21284	25890	20535	17338	16588	16612	16356	27533	19499
No. of employees	640	665	747	813	907	906	907	988	1078	1159
* Includes Equity Shares of ₹45,598 lakh and Redemable Preference Share of ₹35,543 lakh										

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (Revised)

To The Members,
Cement Corporation of India Ltd
New Delhi

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company")** CIN No –U74899DL1965 Gol004322 which comprises the Balance Sheet as at **March 31, 2018**, and Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurukunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General Of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us. This revised Independent Auditor's report has been issued to comply the observations made by the Comptroller and Auditor General Of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records,

relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

BASIS FOR QUALIFIED OPINION:-

- a. *Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, DDA sue moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on dated 11-04-2017 cost of land transferred to claim recoverable from outside*

party. Physical possession of land measuring land 6.74 allotted for railway siding which is still with the company. [Refer Point No.3 of Note-30].

- b. Non Determination and non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI'S Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point
- c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 30]
- d. The balance of certain trade receivable Loan and advances. Trade Payables, Deposits to and from parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.22 of Note 30].
- e. The company has seven factories and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because market value expected is normally more than the book value of the Assets. [Refer Point No.11 of Note 30].
- f. The company had issued 3554325 Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 1000/- each for a value of ₹ 355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 30].
- g. No effect has been given in accounts for claims / counter claims lodged by the company for ₹ 73.14 crores against various parties which are under Arbitration/pending in Courts etc. As the matters

are pending before court, the same can not be assessed at this stage. [Refer Point No.1 of Note 30].

- h. In Note No. 29, the Company has included an Amount of ₹ 340.28 crores under Contingent Liabilities as claims against the Company not acknowledged as debts on Account various claim. The matter is pending before court and outcome of this can not quantified at this stage.

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2018, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

EMPHASIS OF MATTER

We draw attention to following matters referred to in the Notes to the financial statements:

- a) The financial statements of the company have been prepared on going concern basis despite:
 - I. It being declared a sick company within the meaning of clause (O) of Section 31 of sick industrial companies (special provision) act 1985.
 - II. Company has paid up capital and reserves more than accumulated losses.
 - III. BIFR sanctioned scheme pursuant to its order dated 3rd May 2006 for sale of seven factories of the Company including two units under Nayagaon expansion.

The company's ability to remain going concern is largely contingent on the successful implementation of revival scheme as envisaged in the BIFR package [Refer Point no. 9 of Note 30]. The financial statements do not include any adjustment relating to recoverability and classification of recorded assets and liabilities that may be necessary if the company is unable to continue as going concern.

- b) *Assessments for the AY 2006-07 & 2007-08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Company have been reduced by ₹ 973.00 crores against which the company had filed appeals which are pending before Appellate Authorities. Appellate Authorities vide order dated 23-12-2016 set –aside the orders and remand back to Assessing officer for reassessment for the both the financial years. [Refer Point No.2 (ii) of Note 30].*
- c) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI and it was completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction. However, sale of these non-operating units are under progress as per direction given by NITI Aayog (Refer point no.11 of Note 30).
- d) In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company spent ₹ 9 lakhs during the year 2017-18 towards Corporate Social Responsibility, hence an amount of ₹ 82 lakhs is unspent based on average net profit of last 3 years. (Refer Point no. 23 of Note 30)

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation give to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.
- We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I and Annexure II on the directions and sub directions

issued by the Comptroller and Auditor General of India.

- As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
 - As per our observation, there is no such financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the company.
 - With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
 - With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note No 29 to the financial statements.
- ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There has not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and Rules made there under.
- iv. The disclosure requirements relating to holdings as well as dealings in specified bank notes were applicable for the period from 8 November 2016 to 30 December 2016 which are not relevant to these consolidated financial statements. Hence, reporting under this clause is not applicable.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.

Chartered Accountants

FRN: 001676N

Sd/-

(CA P.B.KAPOOR)

Partner

M.No 010858

PLACE: DELHI

DATE: 6th September'2018

Annexure to the Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2018]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

- I. In respect of its fixed assets:
 - (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets.
 - (b) As explained to us, fixed assets (except at some units) have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased programme of verification adopted by the management which, in our opinion, provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
 - (c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company excepts some of the units as mentioned in the branch audit reports. Some Title deeds of land of the Company are yet to be executed. [Refer Point No.3 of Note 30]
- II. In respect of its inventory:
 - (a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and A&B category of stores, spare parts and raw materials were physically verified at the end of the year by the Management. As regard inventory of C category of spare parts, the management has a system of physical verification so that all items are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly, a part of such inventory was physically verified during the year. There are no inventories lying with third parties.
 - (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has maintained proper records of its inventories and no material discrepancies were noticed on physical verification of stocks as compared to book records.

- III. In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013:

According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to companies, firms, limited liability partnership or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

- IV. In respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.

- V. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not accepted deposits and does not have any unclaimed deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Company.

- VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

- VI. In respect of statutory dues:

- (a) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

Nature of Statute	Nature of dues	Amount (₹ In Lakhs)
Local Sales Tax	Sales Tax	4162.32
Corporation Tax	NALA Tax	70.05
Corporation Tax	Property Tax	788.73
Service Tax	Service Tax	2.29
Excise & Customs	Excise Duty	11.20

Nature of Statute	Nature of dues	Amount (₹ In Lakhs)
Corporation Tax	Royalty	1046.91
Corporation Tax	Entry Tax	5.53
Income tax	Interest on Late payment of Income tax	0.23
Central Sales tax	CST	18.51
Local sales Tax	Surcharge / Additional tax	4.35
Industries (Development and Regulation) Act, 1951	Cess on Cement	18.03
Mining dues	Mining Department	225.03

(b) According to the information and explanations given to us, there were no undisputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears /were outstanding as at 31 March, 2018 for a period of more than six months from the date they became payable except in the following cases:

Particulars	Nature Of Dues	Where Pending	Amount (₹ in Lakh)
Sales Tax	Sales Tax	APST Tribunal / Financial Commissioner/ Appropriate Authority	1557.96
ESI Contribution	ESI Contribution on contract labour	Hon'ble BIFR and Regional Director- ESIC	72.84
Income tax penalty	Mismatch Demand	Commissioner of Income Tax	49.29
Property Tax	Property Tax	Local Panchayat	175.30
Service Tax	GTA Service	Commissioner (Appeal) Central Excise & Service Tax	38.73
Excise & Customs	Excise Duty	Appellate Authority	538.70

VIII. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has defaulted in the repayment of principal amount of loans and interest thereon in respect of dues, as per details given here as under:

Particulars	Amount in Lakhs	Period of Default
Inter Corporate Borrowings	625.00	More than 15 years
Govt. Of India including interest	27475.00	From 2011

IX. Based on our audit procedures and according to the information given by the management, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or taken any term loan during the year.

X. According to the information and explanations given to us, we report that no fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

XI. The provision of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to Government Companies. According, the provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the Corporation.

XII. The Company is not a Nidhi Company and Nidhi Rules, 2014 not applicable to it as such the provision of Clause 3(xii) of the Order are not applicable on the Company.

XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.

XIV. The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provision of Clause 3 (xiv) of the order are not applicable.

XV. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, provision of Clause 3 (xv) of the order are not applicable.

XVI. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.

Chartered Accountants

FRN: 001676N

Sd/-

PLACE: DELHI

(CA P.B.KAPOOR)

DATE: 6th September'2018

Partner

M.No 010858

Report on Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD** ("the Company") as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over

financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;
2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the corporation; and

3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.

Chartered Accountants

FRN:

001676N

Sd/-

(CA P.B.KAPOOR)

Partner

M.No 010858

PLACE: DELHI

DATE: 6th September'2018

CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.

New Delhi

Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2018

1	Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/ lease deeds are not available?	The Company has clear title deeds excepts the land which are reported in the financial statement at point no 3 of note no 30. According to information and explanation given to us, reasonable steps have been taken by the Company for getting the titles of these land in its favour.
2	Whether there are any cases of waiver/ write off of debtors/ loans/ interest etc., if yes, the reasons there for and amount involved.	During the year company settled outstanding dues and got waiver of ₹ 5.37 crores.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant (s) from the Govt. or other authorities.	The Company is not having any major inventories lying with third parties. According to Information and explanations given to us, there are no gifts/ grants received from Government or other Authorities during the year.

Annexure -II

CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.

New Delhi

Sub-Directions under section 143(5) of Companies Act 2013 for the year 2017-18.

On the basis of the Books of accounts of the Company, the reply to the following questions and/or information are given below:-

1. Employee Benefits

Information/inputs furnished to Actuary, viz number of employees, average salary, retirement age and assumptions made by the Actuary regarding discount rate, future cost increase, mortality rate, etc for arriving at the provision for liability of retirement benefits, viz gratuity, leave encashment, post-retirement benefits has been duly verified for the Corporation from the actuarial valuation and found in order.

2. BIFR Scheme

The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/S IFCI(OA) and approved by Govt. Of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which interalia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up-gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units . Further Sanctioned Scheme is under implementation.

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
I. EQUITY AND LIABILITIES			
1) SHAREHOLDERS' FUNDS			
a) Share Capital	1	81141	81141
b) Reserves & Surplus	2	(78846)	(80690)
2) Share Application Money Pending Allotment		0	0
		-----	-----
		2295	451
3) NON CURRENT LIABILITIES			
a) Long Term Borrowings	3	15090	15715
b) Other Long Term Liabilities	4	25875	26688
c) Long Term Provisions	5	7149	8043
		-----	-----
		48114	50446
4) CURRENT LIABILITIES			
a) Short Term Borrowings	6	625	1500
b) Trade Payables	7	1581	1559
c) Other Current Liabilities	8	5837	6376
d) Short Term Provisions	9	3342	3200
		-----	-----
		11385	12635
TOTAL		61794	63532
II. ASSETS			
1) NON CURRENT ASSETS			
a) Fixed Assets			
i) Tangible Assets	10	10418	11449
ii) Capital work in Progress	11	8117	6706
iii) Intangible Assets -Under Development	11 A	0	0
b) Non-Current Investments	12	228	228
c) Long term loans and Advances	13	2731	2752
d) Other non current Assets	14	41	41
e) Unamortised expenses	15	1931	1833
TOTAL NON CURRENT ASSETS		23466	23009
2) CURRENT ASSETS			
a) Current Investments	16	0	0
b) Inventories	17	13955	13352
c) Trade Receivables	18	1177	1225
d) Cash and Bank Balances	19	17826	21695
e) Short Term loans and Advances	20	4584	3415
f) Other Current Assets	21	786	836
TOTAL CURRENT ASSETS		38328	40523
	TOTAL	61794	63532

Significant Accounting Policies (Note No 32) and the accompanying Notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements.

Sd/-
MANOJ KUMAR PATRA
HEAD OF FINANCE

Sd/-
AJAY KUMAR SHARMA
COMPANY SECRETARY

Sd/-
S. SAKTHIMANI
DIRECTOR (FIN)/ CFO

Sd/-
MANOJ MISRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

As per our report of even date attached
For KAPOOR BHUSHAN & CO
Chartered Accountants
FRN NO -001676N

PLACE : NEW DELHI
DATE: 31 July, 2018

Sd/-
(CA P B KAPOOR)
Partner
M No. 010858

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017
REVENUE			
I Revenue from Operations			
a) Sale of Products		32958	37254
Less :- Excise Duty		813	3624
		-----	-----
b) Other Operating Revenues		32145	33630
		156	114
Net from operation		32301	33744
II Other Income	22	5794	4228
III Total Revenues		38095	37972
EXPENSES			
Cost of Materials Consumed	23	4224	4191
Change in Inventories of Finished Goods ,			
Work-In-Progress and Stock In Trade	24	(930)	313
Employee Benefits Expense	25	6847	7690
Other Expenses	26	26430	27124
Finance Cost	27	261	225
Depreciation and Amortisation	10	603	659
IV Total Expenses		37435	40202
V Profit/(Loss) before Exceptional and Extraordinary Items		660	(2230)
VI Exceptional Items	28(A)	1139	6463
VII Profit /(Loss) before Extraordinary Items		1799	4233
VIII Extraordinary items	28(C)	0	0
IX Profit / (Loss) before tax		1799	4233
X Tax Expense of continuing operations		0	0
XI Profit / (Loss) for the year from continuing operations		1627	1660
XII Profit / (Loss) from discontinuing operations	28(D)	172	2573
XIII Tax expense of discontinuing operations		0	0
XIV Profit / (Loss) from discontinuing operations (After Tax)		172	2573
XV Profit / (Loss) for the year		1799	4233
XVI Earning Per Share (₹)		14	(49)

Significant Accounting Policies (Note No 32) and the accompanying Notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements.

Sd/-
MANOJ KUMAR PATRA
HEAD OF FINANCE

Sd/-
AJAY KUMAR SHARMA
COMPANY SECRETARY

Sd/-
S. SAKTHIMANI
DIRECTOR (FIN)/ CFO

Sd/-
MANOJ MISRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

As per our report of even date attached
For KAPOOR BHUSHAN & CO
Chartered Accountants
FRN NO -001676N

PLACE : NEW DELHI
DATE: 31 July, 2018

Sd/-
(CA P B KAPOOR)
Partner
M No. 010858

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH '2018

(₹ in lakhs)

SL NO.	PARTICULAR	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
I.	CASH FROM OPERATING ACTIVITIES						
	Net Profit before Tax as per Statement	1627	1660	172	2573	1799	4233
	Add:-Adjustment for						
	Depreciation and amortisation(net)	476	532	132	133	608	665
	Profit on disposal of Fixed Assets	0	(1)	0	0	0	(1)
	Provision for doubtful debts/ loans and advances	57	14	235	0	292	14
	Finance Cost	148	113	113	112	261	225
	DRE Adjusted	224	176	0	0	224	176
	Less :-						
	Interest income and Misc. Recd.	(3291)	(3209)	(711)	(720)	(4002)	(3929)
	Other- Excess Provision Written Back	(1181)	(247)	(611)	(51)	(1792)	(298)
	Exceptional Income	0	(6463)	(1139)		(1139)	(6463)
	Operating Profit Before Working Capital change:-						
	Changes in Working Capital :	(1940)	(7425)	(1809)	2047	(3749)	(5378)
	<i>Adjustment For (Increase)/decrease in operating Assets :-</i>						
	Inventories	(741)	143	138	0	(603)	143
	Trade receivable	48	(86)	0	0	48	(86)
	Short and Long term Loans & Advances	19	(490)	(82)	(2)	(63)	(492)
	Other Current Assets	50	0	0	0	50	0
	Other Non Current Assets	0	0	0	0	0	0
	<i>Adjustment For Increase/(decrease) in operating Liabilities :-</i>						
	Trade Payable	31	392	(9)	9	22	401
	Other Long and Current Liabilities	(219)	1586	(597)	(174)	(816)	1412
	Short and Long Term Provision	789	1188	36	12	825	1200
	DRE (Addition)	(322)	(198)	0	0	(322)	(198)
	Net Cash From Operating Activities	(2285)	(4890)	(2323)	1892	(4608)	(2998)
II.	Cash Flow From Investing Activities						
	Purchase of Fixed Assets	(116)	(196)	0	0	(116)	(196)
	Interest and Other Receipts	3291	3390	712	720	4003	4110
	Receipts on sale of Fixed Assets	0	1	0	0	0	1
	Work in Progress	(1645)	(1081)	0	0	(1645)	(1081)
	Net Cash After Investing Activities	(755)	(2776)	(1611)	2612	(2366)	(164)
III.	Cash from Financing Activities						
	Share Capital	0	0	0	0	0	0
	Fund transferred to non-operating units	(1614)	2619	1614	(2619)	0	0
	Grant received from Govt. of India	45	0	0	0	45	0
	Secured & Unsecured Loan	(1500)	(1275)	0	0	(1500)	(1275)
	Interest and Other Receipts	0	0	0	0	0	0
	Interest Paid	(48)	(10)	0	0	(48)	(10)
	Net Cash from Financing Activities						
	Net Increase(+)/Decrease(-) in Cash & Cash Equivalents	(3872)	(1442)	3	(7)	(3869)	(1449)
	Cash And cash Equivalents (opening)	21692	23134	3	10	21695	23144
	Cash And Cash Equivalents (Closing)	17820	21692	6	3	17826	21695

Particulars	Continuing Operation	Discontinuing Operation
Reconciliation of Cash and Bank Balances :-		
Cash in hand	2	1
Cheques in hand	0	158
Bank Deposits	14998	19171
Current accounts	917	1359
Bank balance held under -Guarantees	1609	706
- Letter of Credits	300	300
Total	17826	21695

1. Additional working capital, as when needed, is proposed to be met out of own cash resources.
2. Bank deposits includes deposits of ₹ 673.97 lakhs (previous year ₹ 13942.01 lakhs) whose maturity period is more then 12 months.

Sd/-
MANOJ KUMAR PATRA
HEAD OF FINANCE

Sd/-
AJAY KUMAR SHARMA
COMPANY SECRETARY

Sd/-
S. SAKTHIMANI
DIRECTOR (FIN)/ CFO

Sd/-
MANOJ MISRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

As per our report of even date attached
For KAPOOR BHUSHAN & CO
Chartered Accountants
FRN NO -001676N

PLACE : NEW DELHI
DATE: 31 July, 2018

Sd/-
(CA P B KAPOOR)
Partner
M No. 010858

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above CASH FLOW STATEMENT of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED derived from the audited annual financial statements for the year ended March'31,2018 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached
For KAPOOR BHUSHAN & CO.
Chartered Accountants
F R N-001676N

NEW DELHI
DATED: 31-07-2018

Sd/-
(CA P B KAPOOR)
Partner
M N- 010858

NOTE 1 : SHARE CAPITAL

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
AUTHORISED		
5000000 EQUITY SHARES (PREVIOUS YEAR 5000000) of ₹ 1000 EACH	50000	50000
4000000 0.01% NON-CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERENCE SHARE OF ₹1000/- EACH (PREVIOUS YEAR 4000000)	40000	40000
	90000	90000
ISSUED, SUBSCRIBED & FULLY PAID UP		
4559749 EQUITY SHARES OF ₹ 1000 EACH FULLY PAID UP (PREVIOUS YEAR 4559749 SHARES)	45598	45598
3554325 0.01% NON-CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERENCE SHARE OF ₹1000/- EACH (PREVIOUS YEAR 3554325 SHARES)	35543	35543
TOTAL	81141	81141

RECONCILIATION OF NUMBER OF EQUITY SHARES OUTSTANDING AT THE BEGINNING AND AT THE END OF THE YEAR

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	4559749	4559749
ADD : NUMBER OF SHARES ALLOTTED DURING THE YEAR	0	0
NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AS AT THE END OF THE YEAR	4559749	4559749

RECONCILIATION OF NUMBER OF PREFERENCE SHARES OUTSTANDING AT THE BEGINNING AND AT THE END OF THE YEAR

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	3554325	3554325
ADD : NUMBER OF SHARES ALLOTTED DURING THE YEAR	-	-
NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AS AT THE END OF THE YEAR	3554325	3554325
	-----	-----
DETAILS OF SHAREHOLDER HOLDING MORE THAN 5% SHARE IN THE CORPORATION :-		
NAME / CLASS OF SHARE HOLDER-GOVERNMENT OF INDIA		
- EQUITY SHARE	100%	100%
- PREFERENCE SHARES	100%	100%

NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
A) OTHER CAPITAL RESERVE		
AS PER LAST BALANCE SHEET	0	0
ADD: RECEIPT DURING THE YEAR	45	0
SUB TOTAL	45	0
B) SURPLUS / (DEFICIT) IN STATEMENT OF PROFIT AND LOSS		
AS PER LAST BALANCE SHEET	(80690)	(84923)
LESS : PROFIT DURING THE YEAR	1799	4233
SUB TOTAL	(78891)	(80690)
TOTAL (A+B)	(78846)	(80690)

NOTE 3 : LONG TERM BORROWINGS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
Unsecured*		
GOVT. LOANS	15090	15090
INTER CORPORATE BORROWINGS	0	625
TOTAL	15090	15715

Details of Loans & Borrowings:-

* As per Sanctioned Scheme payment of above Principal Amount of Plan Loan & Borrowing to be made out of sale proceeds of Non-Operating Units

(₹ in lakhs)

S.No	Particulars	Loan Balance Amount	Default Period	2017-18		2016-17	
				Principal	Interest	Principal	Interest
1	M/s. Goa Shipyard Limited	2125	1995	625	0	2125	0
2	Govt. of India	15090	From 1975	15090	0	15090	0
3	Govt. of India	0	From 2011	0	12385	0	12385
	Total	17215		15715	12385	17215	12385

NOTE 4 : OTHER LONG TERM LIABILITIES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
Trade Payable		
-MSMEs	80	81
-OTHERS	2706	2673
SECURITY & EARNEST MONEY RECEIVED	2007	2053
ADVANCE FROM CUSTOMERS	401	634
SALES TAX PAYABLE	657	657
POWER	1285	2268

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
ROYALTY PAYABLE	777	507
INTEREST ACCRUED AND DUE ON BORROWING- GOVT LOAN	12385	12385
INTEREST ACCRUED AND DUE ON BORROWING- OTHERS	0	0
OTHERS PAYABLE	5577	5430
Total	25875	26688

NOTE 5 : LONG TERM PROVISIONS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
GRATUITY	2897	3464
CAPITAL WORK IN PROGRESS	11	11
EARNED LEAVE LIABILITY	1484	1732
OTHERS	2757	2836
TOTAL	7149	8043

NOTE 6 : SHORT TERM BORROWINGS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
FROM BANKS	0	0
INTER CORPORATE DEPOSITS	625	1500
TOTAL	625	1500

NOTE 7 : TRADE PAYABLES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
Trade Payable		
MSMEs	42	0
DEPOSITS	0	3
OTHERS	1539	1556
TOTAL	1581	1559

NOTE 8 : OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
ADVANCE FROM CUSTOMERS	973	984
SECURITY AND EARNEST MONEY DEPOSITS RECEIVED	1079	899
GST/SALES TAX PAYABLE	682	573
POWER DUES	1495	2170
DUES TO EMPLOYEES	524	461
ROYALTY PAYABLE	38	288
OTHERS PAYABLE	1046	1001
TOTAL	5837	6376

NOTE 9 : SHORT TERM PROVISIONS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
GRATUITY	993	1159
EARNED LEAVE LIABILITIES	434	480
OTHER PROVISIONS	1904	1550
BONUS	11	11
TOTAL	3342	3200

NOTE 10 : FIXED ASSETS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	GROSS BLOCK					DEPRECIATION/AMORTIZATION					NET BLOCK	
	AS AT 01-04- 2017	ADDITIONS/ ADJUST- MENTS	DEDUC- TIONS/ SALES	TFR IN / TFR OUT	AS AT 31-3-2018	AS AT 01-04-2017	FOR THE YEAR	ADJ./ DISPOSAL	TFR IN / TFR OUT	DEP.PROVI- SION AS AT 31-3-2018	AS AT 31-3-2018	AS AT 31-3-2017
WORKS												
LAND FREEHOLD	1294	0	0	0	1294	146	0	0	0	146	1148	1148
LAND LEASEHOLD	481	0	319	0	162	158	0	0	0	158	4	323
ROAD AND CULVERTS	654	0	21	0	633	622	0	20	0	602	31	32
PLANT BUILDINGS	8884	0	797	0	8087	8142	92	718	0	7516	571	742
NON - PLANT BUILDINGS	1054	0	198	0	856	682	11	92	0	601	255	372
WATER SUPPLY, DRAINAGE & SEWERAGE	1119	0	38	0	1081	972	3	36	0	939	142	147
RAILWAY SIDING	2095	0	0	0	2095	1608	25	0	0	1633	462	487
ELECTRICAL INSTALLATION	1980	0	130	0	1850	1890	1	124	0	1767	83	90
PLANT & MACHINERY	46889	98	1308	0	45679	39872	416	1283	0	39005	6674	7017
AERIAL ROPEWAY	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
RAILWAY ROLLING STOCK	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
QUARRY EQUIPMENTS	2519	0	0	0	2519	2378	0	0	0	2378	141	141
VEHICLES	428	0	1	0	427	393	8	1	0	400	27	35
FURNITURE & FIXTURE	264	10	10	0	264	255	2	10	0	247	17	9

PARTICULARS	GROSS BLOCK					DEPRECIATION/AMORTIZATION					NET BLOCK	
	AS AT 01-04-2017	ADDITIONS/ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/SALES	TFR IN / TFR OUT	AS AT 31-3-2018	AS AT 01-04-2017	FOR THE YEAR	ADJ./ DISPOSAL	TFR IN / TFR OUT	DEP. PROVISION AS AT 31-3-2018	AS AT 31-3-2018	AS AT 31-3-2017
OFFICE EQUIPMENT'S	487	6	8	0	485	432	16	8	0	440	45	55
MISC. EQUIPMENT'S	917	1	15	0	903	791	11	15	0	787	116	126
P&M COSTING UP TO ₹5000	53	1	4	0	50	53	1	4	0	50	0	0
TOTAL WORKS	70247	116	2849	0	67514	59472	586	2311	0	57747	9767	10775
TOWN SHIP												
LAND FREEHOLD	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	15
LAND LEASEHOLD	32	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	32
ROADS AND CULVERTS	39	0	0	0	39	37	0	0	0	37	2	2
RESIDENTIAL & WELFARE BUILDINGS	1754	0	3	0	1751	1147	22	2	0	1167	584	607
WATER SUPPLY, DRAINAGE & SEWERAGE	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
ELECTRICAL INSTALLATIONS	42	0	0	0	42	40	0	0	0	40	2	2
VEHICLES	122	0	0	0	122	116	0	0	0	116	6	6
FURNITURE & FIXTURE	19	0	0	0	19	17	0	0	0	17	2	2
OFFICE EQUIPMENT'S	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	0	0
MISC. EQUIPMENT'S	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
TOTAL TOWNSHIP	2205	0	3	0	2202	1531	22	2	0	1551	651	674
TOTAL WKS&TNSHIP	72452	116	2852	0	69716	61003	608	2313	0	59298	10418	11449
PREVIOUS YEAR	72269	196	(13)	0	72452	60350	665	0	(12)	61003	11449	11919

DEPRECIATION CHARGED TO:-	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Statement of Profit & loss Account	603	659
IEDC Account	0	0
QUARRY (Note 23)	5	6
Total	608	665

NOTE 11 : CAPITAL WORKS IN PROGRESS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018
MECHANICAL CONSULTANCY	120	11	0	0	131
CIVIL ENGINEERING WORKS	2998	531	0	0	3529
PLANT & MACHINERY	3278	1202	0	98	4382
INCL. AWAITING ERECTION					
ERECTION EXPENSES OF PLANT & MACHINERY	1	0	0	0	1
INCIDENTAL EXPENDITURE	136	0	0	0	136
PENDING ALLOCATION (REFER ANNEXURE)					
CAPITAL STORES	12	0	0	0	12
OTHERS	164	0	0	0	164
TOTAL	6709	1744	0	98	8355
PROVISION - WIP					
CIVIL ENG.. WORKS	3	235	0	0	238
TOTAL	6706	1509	0	98	8117

NOTE 11(A) : CAPITAL WORKS IN PROGRESS (Intangible Assets)

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018
SOFTWARE DEVELOPMENT	2	0	0	0	2
TOTAL	2	0	0	0	2
LESS PROVISION :-					
SOFTWARE DEVELOPMENT	2	0	0	0	2
TOTAL	0	0	0	0	0

ANNEXURE OF NOTE 11 : INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION PERIOD

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
EMPLOYEES REMUNERATION AND BENEFITS		
SALARIES, WAGES & ALLOWANCES	0	0
TOTAL REMUNERATION	0	0
POWER	1	0
MISCELLANEOUS EXPENSES	0	0
LEGAL EXPENSES	0	0
SECURITY EXPENSES	22	11
NET EXPENDITURE DURING THE YEAR	23	11
BAL. TFD. TO NAYAGOAN EXPANSION	23	11
ADDITION DURING THE YEAR	0	0
SUMMARY OF IEDC ACCOUNT		
OPENING BALANCE OF IEDC	136	136
ADDITION DURING THE YEAR	0	0
LESS :- CAPITALISED DURING THE YEAR	0	0
ADJUSTMENT DURING THE YEAR	0	0
CLOSING BALANCE OF IEDC TFD. TO CAPITAL WIP	136	136

NOTE 12 : NON-CURRENT INVESTMENTS

(₹ In lakhs)

PARTICULARS	MARKET VALUE AS AT 31-3-2018	BOOK VALUE AS AT 31-3-2018	MARKET VALUE AS AT 31-3-2017	BOOK VALUE AS AT 31-3-2017
	LONG TERM INVESTMENTS			
QUOTED SHARES (FULLY PAID) AT COST				
(I) 31 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH OF ANDHRA CEMENT CO LTD. MARKET VALUE @ 9.70 per Share on NSE (Previous year ₹9.00 per Share)	@	@	@	@
(II) 280 EQUITY SHARES(incl,180 BONUS SHARES) OF ₹10/- EACH OF ACC LTD. Converted from 28 shares of ₹ 100each. New shares certificates are awaited MARKET VALUE ON NSE @ ₹1507.50 PER SHARE ON NSE (Previous Year ₹ 1446.05 per Share)	4	@	4	@
UNQUOTED SHARES (FULLY PAID) AT COST				
(I) 1 EQUITY SHARE OF ₹10 OF ASSAM BENGAL CEMENT CO LTD*	-	@	-	@
(II) 79 EQUITY SHARES OF ₹ 10- EACH OF JAIPUR UDYOG LTD.	-	@	-	@
(III) 40 EQUITY SHARES OF ₹5/- EACH OF SONE VALLEY CEMENT CO. LTD.	-	@	-	@
(IV) 5531520 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH OF A P GAS POWER CORPORATION LTD. (INCL 2315520 BONUS SHARES)	322		322	
(1610680 SHARES SOLD INCLUDING 134000 BONUS SHARES) BALANCE HELD 3920840 SHARES OF ₹ 10/- EACH (INCLUDING 2181520 BONUS SHARES)	94	228	94	228
TOTAL - NON CURRENT INVESTMENTS		228		228
AGGREGATE OF QUOTED INVESTMENTS				
COST	-	@	-	@
MARKET VALUE	4	-	4	-
AGGREGATE OF UNQUOTED INVESTMENTS				
COST	228	-	228	-
TOTAL - NON CURRENT INVESTMENTS		228		228
@ AMOUNT LESS THAN ₹ 100000/-				

* YET TO BE TRANSFERRED IN THE NAME OF THE CORPORATION

NOTE 13 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
CAPITAL ADVANCES		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	61	61
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	259	379
- DOUBTFUL	13	13
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	13	13
SUB TOTAL	320	440
DEPOSITS		
- CENTRAL EXCISE		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	222	235
- DOUBTFUL	98	98
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	98	98
SUB TOTAL	222	235
OTHER DEPOSITS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	1329	1234
- DOUBTFUL	25	25
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	25	25
SUB TOTAL	1329	1234
CONTRACTORS & SUPPLIERS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	42	48
- DOUBTFUL	251	251
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	251	251
SUB TOTAL	42	48
BALANCE WITH GOVT. DEPTT.		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	244	222
- DOUBTFUL	173	175
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	173	175
SUB TOTAL	244	222
INSURANCE & CLAIMS OTHERS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	36	40
- DOUBTFUL	179	179
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	179	179
SUB TOTAL	36	40

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
LOANS & ADVANCES TO EMPLOYEES		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	1	1
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	1	1
CLAIMS RECOVERABLE -RAILWAYS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- DOUBTFUL	402	402
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	402	402
SUB TOTAL	0	0
ED RELIEF RECOVERABLE		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	108	108
- DOUBTFUL	24	24
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	24	24
SUB TOTAL	108	108
RECOVERABLE FROM EMPLOYEES		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	2	6
- DOUBTFUL	8	8
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	8	8
SUB TOTAL	2	6
RECOVERABLE FROM OUTSIDE PARTY		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	427	418
- DOUBTFUL	765	765
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	765	765
SUB TOTAL	427	418
SHORTAGE LOSSES PENDING INVESTIGATION		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- DOUBTFUL	590	590
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	590	590
SUB TOTAL	0	0
GRAND TOTAL	2731	2752

NOTE 14 : OTHER NON CURRENT ASSETS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
LONG TERM TRADE RECEIVABLE		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- DOUBTFUL	1501	1501
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL RECEIVABLE	1501	1501
TOTAL	0	0
INTEREST ACCRUED AND DUE ON LOANS & ADVANCES (UNSECURED CONSIDERED GOOD)	41	41
TOTAL	41	41

NOTE 15 : UNAMORTISED EXPENSES :

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
QUARRY DEVELOPMENT EXPENDITURE		
Opening Balance	1833	1811
ADDITIONS	322	198
Sub-Total	2155	2009
LESS: ADJUSTED/CAPITALIZED	224	176
TOTAL	1931	1833

NOTE 16 : CURRENT INVESTMENTS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
CURRENT INVESTMENTS :		
NON TRADE INVESTMENTS	0	0
TOTAL	0	0
1) QUOTED INVESTMENTS	0	0
2) UNQUOTED INVESTMENTS	0	0
AGGREGATE AMOUNT	0	0
TOTAL	0	0

NOTE 17 : INVENTORIES

(As Verified , Valued and Certified by the Management)

(₹ in lakhs)

<u>PARTICULARS</u>	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
a) STORES AND SPARES		
- IN STOCK	6523	6733
- IN TRANSIT	20	9
TOTAL	6543	6742
b) WORK IN PROGRESS		
- IN STOCK	3641	2793
- IN TRANSIT	0	0
TOTAL	3641	2793
c) FINISHED GOODS		
- IN STOCK	1109	897
- IN TRANSIT	88	209
TOTAL	1197	1106
d) RAW MATERIALS		
- IN STOCK	884	1013
- IN TRANSIT	3	7
TOTAL	887	1020
e) LOOSE TOOLS		
- IN STOCK	0	1
- IN TRANSIT	0	0
TOTAL	0	1
f) PACKING MATERIALS		
- IN STOCK	166	49
- IN TRANSIT	0	0
TOTAL	166	49
g) COAL		
- IN STOCK	1250	1361
- IN TRANSIT	0	0
TOTAL	1250	1361
h) SCRAP		
- IN STOCK	282	291
- IN TRANSIT	0	0
TOTAL	282	291
TOTAL INVENTORY	13966	13363
LESS : UNREALISABLE INVENTORY	11	11
GRAND TOTAL	13955	13352

NOTE 18 : TRADE RECEIVABLES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
A) TRADE RECEIVABLES OUTSTANDING FOR A PERIOD EXCEEDING SIX MONTHS :-		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	166	99
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCES FOR BAD AND DOUBTFUL RECEIVABLES	0	0
TOTAL (A)	166	99
B) OTHERS TRADE RECEIVABLES :		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	76	135
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	935	991
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL RECEIVABLES	0	0
TOTAL (B)	1011	1126
TOTAL (A+B)	1177	1225

NOTE 19 : CASH AND BANK BALANCES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
CASH AND CASH EQUIVALENTS		
CASH IN HAND	2	1
CHEQUES /DD IN HAND	0	158
BANK DEPOSITS*	14998	19171
BALANCE WITH BANKS ON CURRENT ACCOUNT	917	1359
TOTAL	15917	20689
OTHER BANK BALANCES		
BANK BALANCES HELD AS MARGIN MONEY IN FORM OF FDR'S AGAINST GUARANTEE / LETTER CREDIT		
GUARANTEES	1609	706
LETTER OF CREDIT	300	300
GRAND TOTAL	17826	21695

*Note : Bank deposits includes deposits of ₹ 673.97 lakhs (previous year ₹13942.01 lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

NOTE 20 : SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
BALANCE WITH GOVT. DEPTT.		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	506	164
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	506	164
CONTRACTORS & SUPPLIERS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	503	747
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	503	747
CLAIMS RECOVERABLE-RAILWAYS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	0	0
DEPOSIT OTHERS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	413	402
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	413	402
INSURANCE & CLAIMS OTHERS		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	106	102
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	106	102
LOANS & ADVANCES TO EMPLOYEES		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	9	15
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	6	1
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	15	16
ED / VAT RELIEF RECOVERABLE		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	303	192
- DOUBTFUL	0	0

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	303	192
RECOVERABLE FROM EMPLOYEES		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	23	30
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	8	10
- DOUBTFUL	0	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
SUB TOTAL	31	40
RECOVERABLE FROM OUTSIDE PARTY		
- SECURED, CONSIDERED GOOD	0	0
- UNSECURED, CONSIDERED GOOD	2707	1752
- DOUBTFUL	57	0
LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	57	0
SUB TOTAL	2707	1752
GRAND TOTAL	4584	3415

NOTE 21 : OTHER CURRENT ASSETS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
INTEREST ACCRUED ON TERM DEPOSIT	786	836
TOTAL	786	836

NOTE 22 : OTHER INCOME

(₹ in lakhs)

Particulars	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017
INCOME FROM :-		
REFUND UNDER BUDGETARY SUPPORT SCHEME	313	0
RENT FROM PROPERTY	1892	1601
INTEREST ON LOANS AND ADVANCES- EMPLOYEES	8	9
RECEIPTS FROM TOWNSHIP	41	49
PRIOR PERIOD INCOME (NET) (NOTE NO 28 B)	0	0
EXCESS PROVISION WRITTEN BACK	1792	304
BANK INTEREST	1388	1733
MISCELLANEOUS INCOME	360	531
PROFIT ON SALE OF DISCARDED ASSETS	0	1
TOTAL	5794	4228

NOTE 23 : COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017
OPENING BALANCE	1013	1089
ACQUISITION DURING THE YEAR		
LIMESTONE RAISING, QUARRYING & TRANSPORTATION @ (REFER DETAILS BELOW)	3219	3162
OTHER RAW MATERIALS PURCHASED	878	953
SUB TOTAL	5110	5204
LESS: ADJUSTMENT OF RAW MATERIAL	(2)	0
LESS CLOSING STOCK	884	1013
TOTAL RAW MATERIALS CONSUMED	4224	4191

@ LIMESTONE RAISING, QUARRYING & TRANSPORTATION

LIMESTONE RAISING & PAYMENTS TO CONTRACTORS	742	656
EMPLOYEES REMUNERATIONS & BENEFITS		
SALARIES, WAGES & BONUS	455	478
GRATUITY PAID	130	40
BENEFITS TO EMPLOYEES	0	0
CONTRIBUTION TO PROVIDENT FUND	34	35
CONTRIBUTION TO PENSION FUND	9	10
LEAVE ENCASHMENT	40	13
MEDICAL EXPENSES	25	25
PROVISION FOR GRATUITY	0	0
PROVISION FOR EARNED LEAVE	0	0
STORES CONSUMED	693	601
GROSS AMOUNT	221	249
LESS:AMOUNT INCLUDED UNDER REPAIRS	90	128
	131	121
POWER	75	58
FUEL	22	30
RATES & TAXES	18	46
PAYMENT TO CONTRACTOR	355	297
ROYALTY & CESS	1172	1217
QUARRY DEVELOPMENT EXPENDITURE WRITTEN OFF	224	176
TRAVELLING EXPENSES	2	2
OTHER EXPENSES	12	22
DEPRECIATION	5	6
	1885	1854
REPAIRS - MACHINERY	57	74
- BUILDINGS	0	4
- OTHERS	33	50
	90	128
SUB TOTAL	3541	3360
LESS: QUARRY DEVELOPMENT. EXPENDITURE	322	198

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
TOTAL		3219		3162

NOTE 24 : CHANGE IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
SEMI-FINISHED GOODS				
- CLOSING STOCK	3641		2793	
- OPENING STOCK	2793		2749	
	-----	848	-----	44
FINISHED GOODS				
- CLOSING STOCK	1,109		897	
- OPENING STOCK	897		1,174	
	-----	212	-----	(277)
FINISHED GOODS IN TRANSIT				
- CLOSING STOCK	88		209	
- OPENING STOCK	209		168	
	-----	(121)	-----	41
SCRAP STOCK				
- CLOSING STOCK	282		291	
- OPENING STOCK	291		412	
	-----	(9)	-----	(121)
TOTAL ACCRETION/(DECRETION)		930		(313)

NOTE 25 : EMPLOYEES BENEFITS EXPENSES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
SALARIES, WAGES & BONUS		4749		4604
GRATUITY PAID		705		664
BENEFITS TO EMPLOYEES		10		9
PROVISION FOR EARNED LEAVE		11		196
CONTRIBUTION TO PROVIDENT FUND		306		324
CONTRIBUTION TO PENSION FUND		68		75
MEDICAL EXPENSES		262		293
LEAVE ENCASHMENT		405		450
PROVISION FOR GRATUITY		20		831
STAFF WELFARE EXPENSES		311		244
TOTAL		6847		7690

NOTE 26 : OTHER EXPENSES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
POWER		6559		7716
COAL		9276		9170
FUEL OIL		22		24
RENT		22		20
EXCISE DUTY		0		124
RATES & TAXES		183		404
INSURANCE		26		21
SUB-TOTAL		16088		17479
REPAIRS & MAINTENANCE				
PLANT & MACHINERY	1179		966	
BUILDINGS	196		110	
OTHERS	247		217	
TOTAL	-----	1622	-----	1293
OTHER PRODUCTION EXPENSES		804		913
TOOLS & TACKLES WRITTEN OFF		0		1
TRAVELLING EXPENSES		128		143
SELLING EXPENSES				
FREIGHT ON CEMENT	3003		2846	
HANDLING CHARGES	230		309	
GODOWN CHARGES	165		158	
SALES PROMOTION & PUBLICITY	23		32	
OTHER SELLING EXPENSES	8		5	
TOTAL SELLING EXPENSES	-----	3429	-----	3350
VEHICLES RUNNING EXPENSES		33		34
AUDITORS REMUNERATION				
AUDIT FEE	6		6	
REIMBURSEMENT OF EXPENSES	1		0	
IN OTHER CAPACITY	2		1	
TOTAL AUDITORS REMUNERATION	-----	9	-----	7
COST AUDIT FEE	1		1	
COST AUDIT EXPENSES	0		0	
TOTAL COST AUDIT EXPENSES	-----	1	-----	1
SUBSCRIPTION TO CRI & OTHERS		8		10
ADJUSTMENT OF RAW MATERIAL		2		0
COMMUNICATION CHARGES		30		34
PRINTING & STATIONERY		31		36
HIRE CHARGES ON DATA PROCESSING		10		8
LEGAL AND PROFESSIONAL FEES		118		122
SECURITY EXPENSES		685		528
TRAINING OF WORKERS & SUPERVISORS		3		10
MISCELLANEOUS EXPENSES *		289		303
PAYMENT TO CONTRACT LABOUR		1191		1096
EXPENSES ON CLOSED-PROJECT		23		11
PROVISION FOR DOUBTFUL RECEIVABLES & ADVANCES		292		14

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
PRIOR PERIOD EXPENSES (NET) [Refer Note No. 28(B)]		7		160
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES		9		0
SUB-TOTAL		24812		25553
STORES AND SPARE PARTS				
GROSS AMOUNT	1620		1469	
LESS: INCLD. UNDER REPAIRS & MAINT.	1048		927	
NET STORES & SPARES CONSUMED	-----	572	-----	542
PACKING MATERIALS		1046		1029
TOTAL		26430		27124
* Includes Entertainment Expenses		0		0
Director Siting Fees		2		1

NOTE 27 : FINANCE COST

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
INTEREST ON				
- DEPOSITS FROM STOCKISTS		13		14
- OTHERS		248		211
TOTAL		261		225

NOTE 28 : EXCEPTIONAL, EXTRA ORDINARY ITEMS & ADJUSTMENT RELATING TO PAST YEARS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
NOTE 28(A) : EXCEPTIONAL ITEMS				
INCOME				
WAIVER OF INTEREST ETC.		537		6463
PROFIT ON SALE OF ASSETS		602		0
TOTAL EXCEPTIONAL INCOME		1139		6463
EXPENSES				
TOTAL EXCEPTIONAL EXPENSES		0		0
NET EXCEPTIONAL ITEMS INCOME/ (EXPENSES)		1139		6463

NOTE 28(B) : PRIOR PERIOD ITEMS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017
INCOME		
EMPLOYEES' REMUNERATION & BENEFITS	0	0
STORES & SPARES	0	6
DEPRECIATION	0	0
RATES AND TAXES	0	0
INTEREST	0	0
POWER & FUEL	0	0
TOTAL PRIOR PERIOD - INCOME	0	6
EXPENSES		
REPAIRS & MAINTENANCE	2	0
RAW MATERIALS	0	0
STORES & PACKING MATERIALS	1	66
DEMURRAGE	0	0
EMPLOYEES' REMUNERATION & BENEFITS	0	25
ROYALTY	2	0
DEPRECIATION	0	0
SELLING EXPENSES	0	0
INTEREST	0	0
POWER & FUEL	0	19
SALES TAX	0	37
FREIGHT CHARGES	0	0
INSURANCE	0	0
OTHERS	2	19
TOTAL PRIOR PERIOD EXPENSES	7	166
NET PRIOR PERIOD INCOME/(EXPENSES)	(7)	(160)

MOTE 28 (C) : EXTRA ORDINARY ITEMS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017
EXTRA-ORDINARY ITEMS		
INCOME		
EMPLOYEES, REMUNERATION & BENEFITS	0	0
INTEREST	0	0
ROYALTY MRT & CESS ON LIMESTONE	0	0
POWER & FUEL	0	0
EXCESS PROVISION WRITTEN BACK	0	0
OTHERS	0	0
EXCISE DUTY	0	0
TOTAL EXTRA-ORDINARY INCOME	0	0
EXPENSES		
LOSS DUE TO BURGLARY/THEFT AT AKO	0	0
TOTAL EXTRA-ORDINARY EXPENSES	0	0
NET EXTRA-ORDINARY INCOME/(EXPENSES)	0	0

Note - 28 (D) Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operation for the year Ended 31.03.2018

(₹ in lakhs)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
A. Revenue :-						
Turnover (Net)	32145	33630	0	0	32145	33630
Other Operating Revenue	156	114	0	0	156	114
Accretion/(Decretion) to Semi-Finished Goods and Finished Goods	967	(313)	(37)	0	930	(313)
Total Income	33268	33431	(37)	0	33231	33431
B. Expenses :-						
Operating Expenses	35966	37034	2138	2630	38104	39664
Impairment Loss	0	0	0	0	0	0
Total Expenses	35966	37034	2138	2630	38104	39664
C. Profit/(Loss) before Interest & Tax from Operating Activities	(2698)	(3603)	(2175)	(2630)	(4873)	(6233)
Interest Expenses	147	113	114	112	261	225
D. Profit / (loss) Before Tax	(2845)	(3716)	(2289)	(2742)	(5134)	(6458)
E. Income Tax	0	0	0	0	0	0
F. Profit / (Loss) from Operating Activities After Tax	(2845)	(3716)	(2289)	(2742)	(5134)	(6458)
G. Other Income	4472	3457	1322	771	5794	4228
H. Exceptional items-Income /(Expenditure)	0	1919	1139	4544	1139	6463
I. Extra Ordinary items-Income/(Expenditure)	0	0	0	0	0	0
J. Net Profit / (Loss) from Operating Activities	1627	1660	172	2573	1799	4233

NOTE 29: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2018	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
A) Contingent Liabilities		
a) Claims against the company not acknowledged as debts		
1) Income Tax Demand (P.Y. u/s 271(1) (c) for AY 2007-08)	49	2961
2) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	1983	1995
3) Bokajan Expansion Contract	11200	0
4) Norton Polymers Ltd. - Arbitration Matter	587	587
5) Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara & Mandhar	1152	36449
6) Power wheeling charges etc. in respect of Tandur	9178	5266
7) Others- Miscellaneous Cases	9879	9480
b) Other money for which company is contingently liable	0	0
TOTAL(A)	34028	56738
B) Commitments		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	15837	15739
b) Other Commitments (specific nature)	0	0
TOTAL(B)	15837	15739
TOTAL (A+B)	49865	72477

(a) An effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.

NOTE 30 : NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

1. The claims/ counter claims lodged by the Corporation for ₹ 7313.99 Lakhs (Previous year ₹ 7663.19 lakhs) which are under arbitration/ pending in Courts etc. and the outcome will be known only on award / decree etc., hence effect are not given in the Accounts.
2. (i) The Sales Tax liability on account of non-receipt of 'C' , 'D' and F/ B-II forms etc. till the Balance Sheet date for ₹ 17.97 Lakhs (Previous year ₹ 220.35 lakhs) which are expected to be received before final assessment is completed and/or appeals are finalized, hence provision not made.
 - (ii) In terms of orders of the Assessing Officers (Income Tax Deptt.) for the Assessment Years 2006-07 & 2007-08, the Assessing Officers assessed income of ₹885,00,87,850/- and ₹ 87,98,64,000/- respectively and adjusted the same with brought forward losses of the company. In view of the same, the assessed losses of the company have been reduced by ₹ 972,99,51,850/-. The company has filed an appeal before Appellate Authorities. ITAT in vide order dtd.23-12-2016 and set-aside both the assessment. In view of above the assessment officer will re-assess the matter for the both the Assessment year.
 - (iii) The contract of Bokajan Cement Factory had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited, Bangalore in the year 2010 for ₹ 142.40 Crore. However, the said work is still under progress. In the meanwhile, M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. As per terms of contract arbitrator has been appointed and arbitration proceedings has started. CCI will also lodge the counter claim for loss/damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work. CCI in the process of ascertaining the said loss/damage. The claim lodged by M/s. Promac Engineering Industries Limited against the corporation is ₹ 112 crore and the same is shown in contingent liability under Note No. 29.
3. Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. DHI has given the direction for dis-investment of Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA suo moto vide their letter dated 11-04-2017 transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). Consequent upon the approval of Department of Heavy Industries (DHI) and approval in EGM, all fixed assets and inventories of the unit are sold for ₹ 9 crore on 'as is where is' basis. The cost of land of 14.20 acres is now transferred to 'recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. Profit on this sales transaction is shown as exceptional income in Note no.28. Remaining 6.74 acres of land is still in possession of the corporation. Since, the Land details of the corporation is under reconciliation.
4. Mining lease deemed to have been granted for all the Govt. company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03-12-2015, accordingly mining leases of CCI's are deemed to have been granted and still valid.
5. The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No. 7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration not made in the accounts .
6. Liability for un-paid Excise Duty amounting to ₹ nil (Previous year ₹ 51.28 lakhs) has been provided for in respect of nil (Previous year 10290.852 MT) of closing stock of naked cement lying in Silos as on 31st March, 2018. Liability for cess amounting to ₹0.06 (Previous year ₹ 0.04 lakhs) has also been provided for on cement stock of 8604.618 MT (Previous year 10290.852 MT) as on 31st March 2018. However, the said treatment does not vitiate true and fair view of Profit & Loss Statement of the Corporation.
7. The shares of various Companies (face value of ₹ 37.79 lakhs), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as

security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹ 214.00 lakhs taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹2.80 lakhs (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.

8. The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹ 266.58 lakhs excluding Electrical Installation of ₹ 5.70 lakhs, is being amortized provisionally by way of depreciation. Considering as a deemed owner, however the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.
9. A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.96. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which *inter alia* envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units.
- 10 (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
- (ii) Plan Loan from Government of India (interest free) amounting to ₹150.90 crores (Previous year ₹ 150.90 crores) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 3rd May 2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹ 123.85 crores on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.
11. Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

i)	Mandhar (Chhatisgarh)	06/06/1996
ii)	Charkhi Dadri (Haryana)	14/08/1996
iii)	Akaltara (Chhatisgarh)	09/12/1996
iv)	Nayagaon & Nayagaon Expansion	30/06/1997
v)	Kurkunta (Karnataka)	01/11/1998
vi)	Adilabad (Telengana)	05/11/1998
vii a)	Delhi Grinding Unit	08/02/1999
vii b)	Bhatinda (Punjab) Grinding Unit	Not commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of a potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

12. The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cement Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.
13. On process of implementation of Rehabilitation of Scheme, Non-cumulative Preference Share of ₹ 355.43 crores was issued on 22-03-2007 for seven year, further extension for re-issue of Preference Share has been sought from the Ministry as per Cabinet / BIFR direction.

14. Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.
15. For classification of current and non current balances under current liabilities, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.
16. Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under As-17 is not applicable.
17. Unadjusted / Unclaimed amount of advances are reviewed and an amount of ₹83.65 lakhs (Previous year ₹ 260.28 lakhs) which was lying in books of accounts for more than a decade have been written back in the current year and shown in Note -22 of the Account under other income.
18. i) Power dues of Nayagaon unit of ₹964.19 lakh has been settled on OTS for ₹ .551.90 lakh. and balance amount of ₹412.29 lakh has been written back and shown in "Exception Income "Note no. 28A.
- ii) As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29.05.2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' has been sent DHI for approval. As on date, the necessary approval from DHI is still awaited. However, provision on estimated basis has made in the accounts.

19. Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 5 & 9

(₹in crores)

Units	Opening Balance		Adjustment/ paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Gratuity	46.23	40.34	16.09	4.04	8.76	9.93	38.90	46.23
Bonus	0.11	0.22	0.03	0.19	0.03	0.08	0.11	0.11
Capital work in progress	0.11	0.24	0.00	0.13	0.00	0.00	0.11	0.11
E. L. liability	22.12	20.29	5.47	1.23	2.53	3.06	19.18	22.12
Others	43.86	40.30	39.19	18.55	41.94	22.11	46.61	43.86

20. Details of interest due / paid to MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

(₹ In lakhs)

S. No.	Description	Current Year	Previous Year
1.	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	122	81
2.	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	325	311
3.	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	0	0
4.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	0	0
5.	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	14	14
6.	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	325	311

21. Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of P.F. at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability of gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated EL, HPL etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefit

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summarize position of various defined benefits recognized in the statement of Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:-

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹ in lakhs)

	Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
a) Current service cost	154.95	151.87	131.75	116.05	0.82	0.92
b) Interest cost	338.22	313.63	164.84	161.19	1.86	2.18
c) Net actuarial (gain) /loss recognized in the period	(414.49)	201.03	(162.21)	308.77	(4.43)	(0.67)
d) Expenses recognized in the statement of profit & losses	78.68	1305.29	134.38	586.02	(1.74)	2.42

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹ in lakhs)

	Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
a) Present value of obligation as at the end of the period	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.82
b) Funded status/ Difference	(3776.74)	(4509.66)	1903.77	(2197.84)	(19.74)	(24.82)
c) Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(3776.74)	(4509.66)	(1903.77)	(2197.84)	(19.74)	(24.82)

C. Change in present value obligation

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
a)	Present value of obligation as at the beginning of the period	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.83	27.24
b)	Interest cost	338.22	313.63	164.84	161.19	1.86	2.18
c)	Current service cost	154.95	151.87	131.75	116.05	0.82	0.92
d)	Benefits paid	(811.61)	(716.07)	(428.44)	(403.10)	(3.35)	(4.84)
e)	Actuarial (gain)/ loss on obligation	(414.49)	201.03	(162.21)	308.77	(4.43)	(0.67)
f)	Present value of obligation as at the end of the period	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.82

D. Amount for the current period

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
a)	Present value of obligation as at the end of the period	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.82
b)	Surplus/(Deficit)	(3776.74)	(4509.66)	(1903.77)	(2197.84)	(19.74)	(24.82)

E. Actuarial Assumptions

S.No.	Description	As at 31.3.2018
i)	Retirement Age	60 years
ii)	Age	Withdrawal rate: % Upto 30 years - 00.00 From 31 to 44 - 1% Above 44 - 1%
iii)	Discounting rate	7.70 %
iv)	Future salary increase	6%
v)	Expected return on plan assets	-

22. Balances shown under advances, trade payable and trade creditors etc. are subject to confirmation/reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.
23. The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) are shown in Note No. 26 in the Accounts, and summarized statement as per Companies Act 2013 is given below:-

(₹ in lakhs)

	Current Year	Previous year
a) Average Net Profit of Corporation for last three year.	4531	3660
b) Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act. 2013)	91	73
c) Total amount spent during the year as given below:-	9	0
d) Amount unspent (b-c)	82	73

(₹ in Lakhs)

S. No.		In Cash		Yet to be paid in cash		Total	
		Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
i)	Construction/acquisition of any assets	0	0	0	0	0	0
	On purposes other than above						
	i) Toilets – Under Swachh Bharat Mission	2.96	0	0	0	0	0
	ii) Health (Medical)-Camp	1.91	0	0	0	0	0
	iii) Water Cooler and RO System	1.41	0	0	0	0	0
	iv) Septic Tank and Soak Pit	1.00	0	0	0	0	0
	v) Pipeline for water supply	1.65	0	0	0	0	0

24. In accordance with Accounting Standard-18 “ Related Party Disclosures “ of the Companies (Accounting Standard) Rules 2006, it is certified by the Management that no related party transactions have been made during the year”. The details of Key Managerial Personnel are given below:-

Amount (₹ in lakh)

S.No	Name of Key Person	Designation	Current Year	Previous Year
1	Sh. Manoj Misra	C&MD	33.63	32.66
2	Sh. B V N Prasad	Director (HR)	29.51	28.98
3	Sh. S.Sakthimani	Director (Fin) /CFO	26.26	24.97
4	Sh. Ajay Kumar Sharma	Co. Secretary	14.49	14.22

:- In addition, C&MD and full time Director are also allowed to use of company vehicle for non-duty journey upto 1000 kms. per month on payment of ₹2000/- per month.

25. The Earning per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under :-

S.No	Particulars	31 st March' 2018	31 st March' 2017
1	Number of equity share outstanding during the year	4559749	4559749
2	Face Value of Equity Share	1000	1000
3	Net Profit after tax for the year (₹in lakhs)	1799	4233
4	Less:- Amount of dividends on non- cumulative Preference shares (₹ in lakhs)	4	4
5	Net Profit after tax attributable to equity shareholders (3-4)* (₹ in lakhs)	1795	4229
6	Basic and diluted earnings per share in rupees	14	(49)

*Excluding extraordinary /Exceptional items ₹ 1139 lakhs (Previous year ₹ 6463)

26. Figures of the previous years have been split up and regrouped wherever necessary so as to correspond to the current year figures.

Sd/-
MANOJ KUMAR PATRA
HEAD OF FINANCE

Sd/-
AJAY KUMAR SHARMA
COMPANY SECRETARY

Sd/-
S. SAKTHIMANI
DIRECTOR (FIN)/ CFO

Sd/-
MANOJ MISRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

As per our report of even date attached
For KAPOOR BHUSHAN & CO
Chartered Accountants
FRN NO -001676N

Sd/-
(CA P B KAPOOR)
Partner
M No. 010858

PLACE : NEW DELHI
DATE: 31 July, 2018

NOTE 31 : QUANTITATIVE DETAILS

Particulars	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
	QUANTITY M.TONNES	VALUE ₹ (IN LAKHS)	QUANTITY M.TONNES	VALUE ₹ (IN LAKHS)
1. ACTUAL PRODUCTION				
1.1 PORTLAND CEMENT - ORDINARY	683475	M.TONNES	705196	M.TONNES
- POZZOLANA	69600	M.TONNES	85335	M.TONNES
TOTAL	753075	M.TONNES	790531	M.TONNES
2. CLINKER (A PRE CEMENT STAGE MATERIAL & NOT AN ADDITIONAL PRODUCT)	753011	M.TONNES	756295	M.TONNES
2.1 CLINKER PURCHASED	0	M.TONNES	0	M.TONNES
3. CEMENT DESPATCHES	747166	M.TONNES	798179	M.TONNES
	QUANTITY M.TONNES	VALUE ₹ (IN LAKHS)	QUANTITY M.TONNES	VALUE ₹ (IN LAKHS)
4. OPENING STOCK				
STOCK AT FACTORY				
- CEMENT OPC	12678	473	19111	656
- CEMENT PPC	2223	86	3438	125
STOCK AT DUMPS				
- CEMENT OPC	4273	336	9894	393
- CEMENT PPC	0	0	0	0
IN TRANSIT OPC	8719	207	3385	149
IN TRANSIT PPC	48	2	408	19
- SET/DAMAGED CEMENT				
- CEMENT OPC	6038	2	5993	0
- CEMENT PPC	3016	0	3016	0
	36995	1106	45245	1342
- CLINKER	133209	2154	135928	2111
- CLINKER (PURCHASE)	0	0	0	0
TOTAL	133209	2154	135928	2111
5. NET SALES INCL. SELF CONSUMPTION / TRANSFER				
(A) CEMENT OPC	679348	32145	711738	33630
(B) CEMENT PPC	68338	0	86873	0
(C) SELF CONSUMPTION OPC	333	0	83	0
(D) SELF CONSUMPTION PPC	0	0	37	0
TOTAL	748019	32145	798731	33630
(F) CLINKER	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0
6.a) CLOSING STOCK -CEMENT				
STOCK AT FACTORY				
CEMENT OPC	17380	617	12678	473
CEMENT PPC	3533	140	2223	86
STOCK AT DUMPS				
CEMENT OPC	9200	352	4273	336
CEMENT PPC	0	0	0	0
IN TRANSIT OPC	2787	88	8719	207
IN TRANSIT PPC	0	0	48	2
SET / DAMAGED CEMENT OPC	4292	0	6038	2
SET / DAMAGED CEMENT PPC	3016	0	3016	0
TOTAL	40208	1197	36995	1106
b) CLOSING STOCK-CLINKER				
CLINKER IN STOCK	161325	3169	133209	2154

Particulars	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2017 TO 31st MARCH 2018		FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	
c) -CEMENT - USED FOR TESTING	0	0	0	0
- STOCK TRANSFER TO UNIT OPC	0	0	0	0
- SHORTAGES DURING TRANSIT OPC	0	0	0	0
- SHORTAGES DURING TRANSIT PPC.	199	0	50	0
- CEMENT SOLD AS SCRAP	1644	0	0	0
-CLINKER SOLD AS SCRAP	4002	37	0	0
TOTAL	5845	37	50	0
7. CLINKER - USED FOR CEMENT GRINDING	720893	21239	759014	21742
8. RAW MATERIALS CONSUMED				
- LIMESTONE	1113966	3337	1111904	3131
- LATERITE	5877	26	11484	49
- IRON ORE	20519	367	16535	417
- GYPSUM	13280	290	14204	351
- SHALE	29114	101	21770	78
- FLY ASH	16426	75	15211	124
- BURNT CLAY	22137	28	26197	41
- OTHERS	0	0	0	0
TOTAL RAW MATERIAL CONSUMED		4224		4191
9. VALUE OF IMPORTS CALCULATED ON CIF BASIS				
IN RESPECT OF				
i) RAW MATERIALS	0	0	0	0
ii) COMPONENTS & SPARE PARTS	0	0	0	0
iii) CAPITAL GOODS	0	0	0	0
10. VALUE OF ALL IMPORTED RAW-MATERIALS, SPARE PARTS & COMPONENTS CONSUMED DURING THE YEAR				
AND VALUE OF ALL INDIGENOUS RAW-MATERIALS SPARE PARTS AND COMPONENTS SIMILARLY CONSUMED				
AND THE PERCENTAGE OF EACH TO TOTAL CONSUMPTION				
- IMPORTED	0	16	0	14
- INDIGENOUS	100	6465	100	6266
TOTAL	100	6481	100	6280
11. AMOUNT REMITTED IN FOREIGN CURRENCY	0	0	0	0
12. EARNING IN FOREIGN EXCHANGE	0	0	0	0

Sd/-
MANOJ KUMAR PATRA
HEAD OF FINANCE

Sd/-
AJAY KUMAR SHARMA
COMPANY SECRETARY

Sd/-
S. SAKTHIMANI
DIRECTOR (FIN)/ CFO

Sd/-
MANOJ MISRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

As per our report of even date attached
For KAPOOR BHUSHAN & CO
Chartered Accountants
FRN NO -001676N

PLACE : NEW DELHI
DATE: 31 July, 2018

Sd/-
(CA P B KAPOOR)
Partner
M No. 010858

NOTE 32 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting.

The accounts are prepared on historical cost convention adopting the accrual method of accounting except for the following items which are accounted for on cash basis.

- i) Liquidated damages/penalties/claims other than Railway & Insurance made are accounted for on realization and included in miscellaneous Income.
- ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

2. Revenue Recognition.

Sales are stated inclusive of Excise Duty up to 30-06-2017 and excluding VAT,/ Sales Tax & GST. Excise duty is shown separately.

3. Land & Amortization.

- i) Land given free by the state Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.
- ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

4. Investments.

- i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

5. Borrowing Costs.

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

6. Inventories.

- a) Valuation
 - i) Stores, spare parts and raw-materials except as indicated in (ii) below are stated at weighted average cost. The obsolete/unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.

- ii) Clunker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation, it is stated at Nil value.

- iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.

- iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles.

Tools and tackles are written off over a period of three years.

7. Depreciation.

- i) The financial statements have prepared under historical cost convention on accrual basis in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the Companies Act., 2013.

- ii) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use.

- iii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded, /Sold / demolished/ destroyed.

- iv) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.

- v) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

8. Deferred Revenue Expenditure.

- i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.

- ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works

like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.

- iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupees one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of high-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- v) In case there is no un-utilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 1/4/2003 will be recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

9. Prior Period/Extra-ordinary Adjustments.

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹ 10,000/-. In case, the amount is more than ₹ 10,000/- the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its account under natural head of accounts of current year / prior period / extra ordinary Expenditure / Receipts.

10. Accountal of Foreign Exchange Transaction.

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to IEDC, (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss . Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

11. Government Grants/ Subsidies.

- i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.
- ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.
- iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.
- iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

12. Claims of the Corporation.

- i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.
- ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

13. Deposit Works.

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital-work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

14. Staff Benefits.

- i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service as on 1st January of each year in accordance with the actuarial valuation.
- ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which

is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service as on 1st January of each year in accordance with the actuarial valuation.

- ii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

15. Premium on Redemption of Debentures.

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss /IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

16. Pre-paid Expenses.

Expenditure of ₹ 10,000/- or less in each case incurred in advance of the following year(s) are charged off as expenses of the current year.

17. Accounting for Bad & Doubtful Recievables/ Loans / Advances etc.

- i) Provision is made for doubtful recievables/loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.
- ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

18. Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers.

- i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.
- ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.
- iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement)

Sd/-
MANOJ KUMAR PATRA
HEAD OF FINANCE

Sd/-
AJAY KUMAR SHARMA
COMPANY SECRETARY

Sd/-
S. SAKTHIMANI
DIRECTOR (FIN)/ CFO

Sd/-
MANOJ MISRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

- iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

19. Classification of Expenditure .

- i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares except as shown as in (ii) below, are charged to Statement of Profit & Loss .
- ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance is capitalized e.g. an increase in capacity.
- iii) Salaries and Wages
Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.
- iv) Other Sundry Expenses
Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

20. Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant.

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

21. Allocation of Corporate Office Expenditure.

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

As per our report of even date attached
For KAPOOR BHUSHAN & CO
Chartered Accountants
FRN NO -001676N

(CA P B KAPOOR)
Partner
M No. 010858

PLACE : NEW DELHI
DATE: 31 July, 2018



संख्या / No. : MABD/CABZ/1-2/2018-19/232
 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
 कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
 एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
 नई दिल्ली
 INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
 COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
 AUDIT BOARD - II, NEW DELHI

दिनांक / DATE 19/9/2018

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
 सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 कोर 5 स्कोप काम्पलेक्स 7,
 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रोषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(नन्दना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
 एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II
 नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED. FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 6 September 2018 which supersedes their earlier Audit Report dated 31 July 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2018 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

N. Munshi

(Nandana Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 19.09.2018

Our Employees-Our Greatest Assets

Human Resources

“Human Resources” are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of “Human Resources” is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resource is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between ‘Actual’ and ‘potential’ “Human resources” may also be branded as “Mother Resources” through the medium of which other scarce resources viz. machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realisation of the Potentialities of this “Mother Resources” is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management’s positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed profession-wise and age-wise 32.34 % of the total employees strength of CCI represent technically and professional qualified, degree/diploma holders. As such 33.90% of total strength of the organisation are in the age group of 26-50 year. However, average age of our employees comes to 48 years. The broad distribution of CCI’s human force is as under:

Professional Profile			
Sl.No.	Particulars	No. of Employees	
		As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
1	PHDs	1	2
2	Post Graduate Engineers	2	2
3	Graduate Engineers	75	69
4	MBAs	30	28
5	Professional Diploma Holders	16	18
6	Post Graduates	26	30
7	CA/ICWA/SAS/ACS	14	10
8	Engineer Diploma Holders	70	66
9	Graduate	90	98
10	ITI Certificate Holders	131	127
11	Others	185	215
	Total	640	665

The Age wise and category wise distribution of employees as on 31.03.2018								
Row Labels	<30	30-35	36-41	42-47	48-53	54-60	Grand Total	Average Age
Executives	8	30	9	18	28	71	164	48
Supervisors	27	12	5	2	25	116	187	50
Non Supervisors	16	51	29	10	55	128	289	48
Total	51	93	43	30	108	315	640	48
Percentage	8	15	7	5	17	49	100	

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
	REPRESENTATION OF SCs/ STs/OBCs.				No. of appointments made during the calendar year									
	(AS ON 01/01/2018)				By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	167	22	3	20	20	2	0	5	52	7	1	0	0	0
Group B-TOT	195	27	13	38	10	1	0	3	78	9	5	0	0	0
Group C-TOT	185	38	28	29	8	1	2	3	24	2	11	0	0	0
GROUP D-TOT	113	15	28	34	35	5	7	16	6	1	3	0	0	0
Total	660	102	72	121	73	9	9	27	160	19	20	0	0	0

NAME OF THE UNIT CCI LIMITED																			
Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2018																			
Group-wise manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2018																			
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)								PROMOTION						
	(AS ON 01/01/2018)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)					NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	
Group A	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Group B	195	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Group C	185	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Group D	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	660	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)
 ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)
 iii) OH stands for orthopacdicly Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)

SALIENT FEATURES OF OUR UNITS

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant.

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(1.08)	3,25	(1,40)

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	1,98	1,98	1.98
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(2.17)	3,67	(1,13)

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighboring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1,98	1.98
Production (in lakh tonnes)	1.12	0.80	1.03
Value of Production (in lakhs)	56.39	37,52	44,39
Profit/(Loss) (in lakhs)	(6,86)	(19,75)	35

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.35	1.69	1.91
Value of Production (in lakhs)	74.67	90,97	88,83
Profit/(Loss) (in lakhs)	2,21	10,22	11,88

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (in lakhs)	0.15	3,36	(1,18)

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (in lakhs)	2.31	3,00	25

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (in lakhs)	2.92	7,89	2,13

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(2.78)	3,60	(142)

The production remained suspended due to unit being unviable.

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)

This unit went into commercial Production from April, 1984

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (in lakhs)	238	98	(5,12)

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2017-18	2016-17	2015-16
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	5.06	5.42	6.19
Value of Production (in lakhs)	2,00,07	2,04,68	2,53,88
Profit/(Loss) (in lakhs)	20,92	26,11	49,15

Vision

To emerge as a leading cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

Mission

To augment the wealth creation for the Company, deliver superior product and sustain market value.



A view of Tandur's Lime Stone Mines



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

Cement Corporation of India Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi

54^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

विषय सूची

	पेज संख्या
निदेशक मंडल	99
अध्यक्ष का भाषण	104
निदेशक का रिपोर्ट	106
सचिवालयी लेखा रिपोर्ट	124
निगमित शासन पर रिपोर्ट	132
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण	139
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	142
वार्षिक लेखे 2017 –18	151
नगदी प्रवाह विवरण	153
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	187
हमारे कर्मचारी – हमारी महानतम परिसंपत्तियां	189
हमारी यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं	191

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कोर 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003

सीआईएन संख्या यू74899डीएल1965जीओआई004322

लेखापरीक्षा समिति

श्री महेंद्र गुप्ता (अध्यक्ष)
श्री ए. एम. मनिचान (सदस्य)
श्री बी वी. एन. प्रसाद (सदस्य)

सांविधिक लेखापरीक्षक

प्रधान लेखापरीक्षक

मैसर्स कपूर भूषण और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट, डीपी-55, मौर्या एन्क्लेव,
पीतमपुरा, दिल्ली – 110034

समिति

श्री महेंद्र गुप्ता (अध्यक्ष)
श्री ए एम मनिचन (सदस्य)
श्री बी. वी. एन. प्रसाद (सदस्य)

मूल्य लेखापरीक्षक

मैसर्स जुगल के. पुरी एंड असोसिएट्स
लागत लेखाकार
के-19 (जी एफ) साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1।
नई दिल्ली – 110049

मैसर्स एन एस वी कृष्णा राव एंड कंपनी

लागत लेखाकार
मकान संख्या 1-1-780/7-1 और 2,
फ्लैट संख्या 308,
सुमांजलि अपार्टमेंट, गांधी नगर
हैदराबाद – 500080

मैसर्स एस. धाल एंड कंपनी

लागत लेखाकार, प्लॉट सं. 458, प्रथम तल
मधुसूदन, नायागर नायापल्ली, भुवनेश्वर – 751012

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स एन संबा शिव एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट
अदिलाबाद – 5004001

मैसर्स डीसीजी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली – 110002

मैसर्स पी.पी. बंसल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट, रोहतक-: 124001
मैसर्स सी. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैदराबाद – 500034

मैसर्स झांवार एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट, रायपुर- 492004
मैसर्स पी गग्गर एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुवाहाटी – 781001

मैसर्स के के अत्तल एंड असोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिदर – 585401
मैसर्स एस के तनवानी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट, रायपुर – 492001

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

आईसीआईसीआई बैंक

कॉर्पोरेशन बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

देना बैंक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इंडसइंड बैंक

निदेशक मंडल



श्री मनोज मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्रीमती रितु पांडे
निदेशक (27.02.2017 से)



श्री बी. वी. एन. प्रसाद
निदेशक (मानव संसाधन)



श्री एस. शक्तिमनी
निदेशक (वित्त)/सीएफओ



श्री ए. एम. मनीचन
निदेशक



श्री महेंदर गुप्ता
स्वतंत्र निदेशक
(29.06.2016 से)



श्री अजय कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

विभागाध्यक्ष (निगमित कार्यालय)



डॉ. ममता कोचर
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री वी के पांडेय
कार्यपालक निदेशक



श्री साजु एस. डॉमिनिक
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)



सुश्री एस. सरस्वती देवी
महाप्रबंधन –राजबन



श्री विवेक कुमार
अपर महाप्रबंधक
(टी एंड पी)



श्री एस. के. साहू
अपर महाप्रबंधक
(प्रचालन)



श्री आलोक शुक्ला
अपर महाप्रबंधक
(विपणन)



श्री एम. के. पात्रा
अपर महाप्रबंधक
(वित्त)



श्री अजीत शुक्ला
अपर महाप्रबंधक—
बोकाजन




श्री सी. बी. जग्गी
उप महाप्रबंधक
(मानव संसाधन)




श्री जे. बेहरा
उप महाप्रबंधक
(एमएम)

पन्यावर्त / TURNOVER



निवल लाभ / NET PROFIT



पुरस्कारों की झलक

क) 15वें पूर्वोत्तर मेटलीफेरस खान सुरक्षा सप्ताह, 2017-18 का आयोजन 08.01.2018-13.01.2018 के दौरान किया गया और शिलांग में आयोजित वर्ष 2017-18 समारोह के अंतिम दिन 24 मार्च 2018 को हमारी खानों (बोकाजन यूनिट) को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :

1. विस्फोटक हथालन (हैंडलिंग) तृतीय पुरस्कार
2. ट्रेड परीक्षण तृतीय पुरस्कार

ख) शिलांग में दिनांक 17.03.2018 को आयोजित किए गए 9वें खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह 2017-18 के अंतिम दिन के समारोह में बोकाजन यूनिट की डिल्ललाई प्रभात चूनापत्थर खानों को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :

1. सामुदायिक विकास प्रथम पुरस्कार
2. प्रचार-प्रसार और अधिप्रचार तृतीय पुरस्कार

ग) शिलांग में दिनांक 17.03.2018 को आयोजित किए गए 9वें खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह 2017-18 के अंतिम दिन के समारोह में राजबन यूनिट की खानों को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :

1. अपशिष्ट डंप प्रबंधन और भूमि सुधार द्वितीय पुरस्कार
2. खनिज संरक्षण तृतीय पुरस्कार
3. प्रचार-प्रसार और अधिप्रचार तृतीय पुरस्कार
4. स्वच्छता के लिए प्रशंसा पुरस्कार प्रशस्ति पत्र

घ) खान सुरक्षा सप्ताह 2017-18 में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा राजबन यूनिट की खानों को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार
2. ध्वनि, वायु प्रदूषण और लाइटिंग के लिए द्वितीय पुरस्कार





54वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से और अपनी ओर से आपकी कंपनी अर्थात सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की 54वीं वार्षिक आम सभा के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस बैठक में आप सभी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप कंपनी के प्रयासों में रुचि रखते हैं और अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं को पहले ही प्रचालित किया जा चुका है। आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूँ कि इन्हें पढ़ लिया गया है।

कार्य निष्पादन संबंधी विशेषताएं

आपकी कंपनी ने अपने निबल मूल्य को सकारात्मक बनाने का लंबे समय से चला आ रहा स्वप्न साकार किया है। यह 2 दशकों से अधिक के कठोर परिश्रम और सभी विषम

परिस्थितियों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप संभव हुआ है; और मैं कंपनी के सर्वाधिक मूल्यवान मानव संसाधनों (पूजी), जिन्होंने कंपनी को आज इस स्थिति में पहुंचाने के लिए अपने श्रेष्ठतम प्रयास किए हैं, को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।

आपकी कंपनी को रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी का दौर, जीएसटी व्यवस्था लागू होना और इनपुट लागत का बढ़ना जैसी समस्याएं अवश्य झेलनी पड़ी हैं।

आपकी कंपनी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी अंतर्निहित क्षमताओं (सामर्थ्य) पर कार्य किया। आपकी कंपनी ने रु. 329.58 करोड़ के बिक्री कारोबार (टर्नओवर) और रु. 17.99 करोड़ के निबल लाभ के साथ 7.53 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया है।

गुणवत्ता

सीसीआई में गुणवत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपकी कंपनी

के तांदूर, राजबन और बोकाजन स्थित तीनों प्रचालनरत प्लांटों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और इसे आईएसओ प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। कर्मचारियों के बीच गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मानव संसाधन

मानव संसाधन विकास और उनके कौशल विकास की दिशा में अपनी सतत प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष में आपकी कंपनी ने इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में 2111 व्यक्ति कार्य दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया है। इसके अलावा विभिन्न कर्मचारियों को बहुत से विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण के लिए भी नामित किया गया। विभिन्न कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर कार्य के प्रकार्यात्मक क्षेत्रों से जुड़े कई सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए भी नामित किया गया।

सभी प्रचालनरत यूनिटों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों की संकल्पना और कार्यान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया। उपर्युक्त के अलावा आपकी कंपनी ने प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मचारियों की सक्षमता मैपिंग भी की है, जिससे कि उनके कौशल अंतराल को दूर किया जा सके।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी की सीएसआर नीति दिनांक 07 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई निदेशक मंडल की 232वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई। इस नीति को कॉर्पोरेशन में लागू किया गया है। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसार आपकी कंपनी ने बहुत सी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है और अपने प्लांटों के स्तर पर बहुत सी पहलें शुरू की हैं।

निगमित शासन

कंपनी का विश्वास है कि कंपनी के सभी पणधारकों के साथ सैद्धांतिक और पारदर्शी कारोबार प्रक्रियाएं निगमित शासन के सिद्धांतों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का मुख्य आधार हैं। आपकी कंपनी इस दिशा में प्रयास करने के लिए

अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है। मुझे आप सभी को सूचित करते हुए खुशी है कि कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई रु. 10 लाख से अधिक मूल्य वाली किसी भी निविदा की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी शिकायत का समाधान करने के लिए कंपनी में स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम) की नियुक्ति की गई है। मैं निदेशक मंडल की रिपोर्ट की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जहां निगमित शासन पर एक अलग खंड शामिल किया गया है।

आभार प्रदर्शन

आपके सतत सहयोग और विश्वास ने हमें उत्कृष्टता के लिए किए जा रहे हमारे सभी प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से आप सभी को और भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग के प्रति हमारे सभी प्रयासों में उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

मैं इस अवसर पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सीसीआई के उत्पादों का लगातार समर्थन किया है और उनकी सराहना की है। मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, हमारे बैंकों, साविधि एक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक और सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड – II और सभी अन्य प्राधिकरणों और एजेंसियों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

अंत में, परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से मैं कॉर्पोरेशन के समग्र विकास और वृद्धि के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा की गई भागीदारी और समर्पण की भावना प्रदर्शित करने के लिए उनकी सराहना करता हूं और उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

एक बार सभी को पुनः धन्यवाद,

जय हिंद।

हस्ता./—

(मनोज मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितंबर 2018

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट आप सभ के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए
1	निबल बिक्री	323.01	337.44
2	अन्य आय (स्वीकृत योजना के अनुसार असाधारण आय सहित)	69.33	106.91
3	ईबीआईडीटीए	26.68	51.23
4	घटाएं : ब्याज	2.61	2.25
5	ईबीडीटीए	24.07	48.98
6	घटाएं : मूल्यह्रास और अमूर्तकरण	6.08	6.65
7	कर पूर्व लाभ	17.99	42.33
8	घटाएं : कर व्यय	0.00	0.00
9	कर पश्चात लाभ	17.99	42.33

- गत वर्ष में रु. 372.54 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पाद शुल्क सहित बिक्री टर्नओवर रुपया 329.58 करोड़ है।
- कॉर्पोरेशन ने गत वर्ष के दौरान रु. 42.33 करोड़ के निबल लाभ की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 17.99 करोड़ का निबल लाभ अर्जित किया है। गत वर्ष के दौरान 7.91 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष के दौरान 7.53 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया गया है।
- चालू वर्ष में असाधारण आय पर विचार किए बिना कंपनी ने गत वर्ष में रु. 13.46 करोड़ की हानि की तुलना में ब्याज मूल्यह्रास कर और अमूर्तकरण (ईबीआईडीटीए) से पहले रु. 15.24 करोड़ का अर्जन किया है।
- लगभग दो दशकों के बाद कॉर्पोरेशन का निबल मूल्य सकारात्मक हो गया है; अब यह रु. 3.64 करोड़ है।

2. लाभांश

कंपनी के लाभ और हानि लेखा में संचित हानियां हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. व्यापार प्रचालन की समीक्षा और भावी संभावनाएं

प्रचालनरत तीनों यूनिटों अर्थात बोकाजन, राजबन और तांदूर में प्लांटों का प्रचालन जारी रहा।

प्रचालनरत यूनिटों की अलग-अलग और सामूहिक रूप से सीमेंट सदुपयोग की क्षमता (%), किलंकर उत्पादन (मीट्रिक टन), सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन) और सीमेंट का प्रेषण (मीट्रिक टन) नीचे दर्शाया गया है:

क) उत्पादन (प्रचालनरत प्लांट)

	बोकाजन		राजबन		तांदूर		प्रचालनरत संयंत्रों का योग	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
सीमेंट की उपयोग क्षमता (%)	56.57	40.20	54.33	67.90	50.63	54.20	52.08	55.60
किलंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	105690	80240	133010	150135	514311	525920	753011	756295
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	112010	79545	134750	168500	506315	542486	753075	790531
प्रेषण (मीट्रिक टन)	113121	77972	131471	170684	502472	549522	747067	798181

आपकी कंपनी ने अलग-अलग प्रचालनरत प्लांटों में कुछ निश्चित परियोजना गतिविधियां शुरू की हैं। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है :

क) तांदूर में प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन का कार्य

स्वीकृत की गई योजना के अनुसार तांदूर यूनिट में प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

इसके तहत अब तक 22 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और अन्य योजनाएं कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों पर हैं।

तांदूर प्लांट में रेलवे साइडिंग के अपग्रेडेशन का कार्य डिपोजीटरी कार्य योजना के अंतर्गत इंडियन रेलवे द्वारा किया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

ख) सीसीआई और एनटीपीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

यह समझौता ज्ञापन उद्यम भागीदारों के आपसी लाभ के लिए चूना पत्थर, फ्लाई ऐश और जिप्सम के सदुपयोग हेतु सीसीआई की अकलतरा अथवा किसी अन्य गैर प्रचालनरत यूनिट में 0.4 एमटीपीए सीमेंट उत्पादन यूनिट को अपग्रेड करने के लिए सीसीआई और एनटीपीसी (सीधे अथवा सहायक कंपनी के माध्यम से) के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए आधारभूत समझ विकसित करने और जिप्सम के रूप में परिवर्तित करने के लिए एनटीपीसी के एफजीडी प्लांट को चूना पत्थर की आपूर्ति करने के लिए किया गया है।

ग) सीसीआई और आरआईएनएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

यह समझौता ज्ञापन दोनों पीएसयू के आपसी लाभ के लिए एक मीट्रिक टन क्षमता के साथ दो चरणों में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और फ्लाई ऐश के अधिकतम सदुपयोग के लिए वाइजैग स्टील प्लांट की परिसरों में दो एमटीपीए क्षमता वाली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सीसीआई और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु आधारभूत समझ विकसित करने के लिए किया गया है।

घ) बोकाजन विस्तार योजना

बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत की गई योजना के अनुसार बोकाजन यूनिट की स्थापित क्षमता को 1200 टीपीडी

विलंकर उत्पादन क्षमता तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोकाजन यूनिट में सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता बढ़ाने और 50 टीपीएच क्षमता के साथ सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

बोकाजन सीमेंट फ़ैक्टरी के क्षमता विस्तार के लिए रु. 142.40 करोड़ की कुल लागत से टर्नकी आधार पर मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेंगलूर को कार्य आदेश दिया गया है। तथापि, उपस्करों की आंशिक आपूर्ति और संविदाकार द्वारा सिविल कार्यों के आंशिक निर्माण के साथ संविदा के क्रियान्वयन में अवांक्षणीय विलंब हो रहा है। इस मामले के लिए माध्यस्थ की कार्यवाही चल रही है।

ड) सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट

50 टीपीएच क्षमता वाली सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए रु. 39.68 करोड़ की कुल लागत से टर्नकी आधार पर मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेंगलूर को कार्य आदेश दिया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कोई प्रगति नहीं की गई है।

गैर प्रचालनरत यूनिटें

कंपनी की निम्नलिखित गैर प्रचालनरत यूनिटों के सीमेंट प्लांट बिना किसी प्रचालन के बंद बने रहे :

1. मंडार
2. कुर्कुटा
3. नयागांव
4. अकलतारा
5. चरखी दादरी
6. दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट
7. अदिलाबाद

गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री की स्थिति

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार गैर प्रचालनरत यूनिटों अर्थात मंडार, कुर्कुटा, नयागांव, अकलतारा, चरखी दादरी और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट को दिनांक 31.10.2008 से बंद कर दिया गया है। आदिलाबाद यूनिट को भी दिनांक 20.02.2017 के आदेश के जरिए दिनांक 31.10.2008 से बंद माना जाता है।

नीति आयोग के निदेशानुसार निम्नलिखित यूनिटों के लिए विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

1. मंधार
2. कुर्कुटा
3. नयागांव
4. चरखी दादरी
5. भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट

ख) लाभप्रदता


कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 17.99 करोड़ का निबल लाभ अर्जित किया है। यह गत वर्ष में रु. 42.33 करोड़ था।

ग) बिक्री

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 7.98 लाख मीट्रिक टन की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कुल 7.47 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की बिक्री की गई, जो 6.4% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। नकारात्मक वृद्धि मुख्य रूप से मौजूदा बाजार में मांग कम होने और इसके परिणामस्वरूप सीमेंट के मूल्य में हुई कमी के कारण हुई है।

पिछले वर्ष अर्थात् 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी द्वारा की गई सीमेंट की बिक्री दर्शानेवाला एक तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए समेकित रूप से सीसीआई के सीमेंट की बिक्री



घ. उद्योग संबंधी विशेषताएं और दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर उन्नत आर्थिक देशों ने वर्ष 2016 से अपने विकास की गति बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति और मजबूत की है। निवेश के बेहतर प्रवाह की सहायता से बढ़े हुए आसियान विनिर्माण आउटपुट के साथ वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर कारोबार देखा गया।

ज्यादा पीछे न होते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भी वर्ष 2018 के लिए 7.4% रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ने भी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019 में 7.8% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगी।

भारत, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, ने पिछले 5 वर्ष के दौरान 90 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता जोड़ी है। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि काफी लंबे समय से चली आ रही कम मांग के बाद उद्योग में सीमेंट की मांग बढ़ी है। अवसंरचना के विकास पर सरकार का जोर इस वृद्धि का प्रमुख चालक बना हुआ है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास योजना का भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमेंट की खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

इस वर्ष जीएसटी भी लागू किया गया, जो कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के बाद लागू की गई एकल एवं सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था है। एक तिमाही के लिए मौजूदा समस्याओं के कारण भावनाएं धराशायी हुईं।

तथापि सीमेंट की मांग में थोड़ा उछाल आया है। इस वर्ष भारत ने "व्यापार की सहूलियत सूचकांक" के लिए विश्व बैंक की रिपोर्ट में 130 के बजाय 100वां स्थान हासिल कर बेहतर प्रदर्शन किया है और अपनी रैंक में 30 अंकों का सुधार किया है। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का अंतर्वाह बेहतर रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक की रिपोर्ट को भी इस नजर से देखा जाए कि मूडी ने भारत की संप्रभु रेटिंग बीएए3 से बीएए2 कर दी है।

ड. विपणन और विपणन परिवेश

सीमेंट की मांग में नवंबर 2017 से उल्लेखनीय सुधार हुआ है और फरवरी 2018 तक लगभग सभी बाजारों में सीमेंट की बिक्री तुलनात्मक रूप से अधिक रिकॉर्ड की गई है। यह अवसंरचना क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से अति वृद्धि और खुदरा बिल्डरों द्वारा अधिक मांग के परिणामस्वरूप हुआ है। राजबन यूनिट के ज्यादातर बाजारों में बढ़ा हुआ कारोबार देखा गया है, जबकि सरकारी आदेशों में गिरावट का रुझान जारी है। आपकी कंपनी ने मैसर्स नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से सीमेंट की बिक्री के लिए और वहनीय लागत पर 2बीएचके आवास योजना हेतु तेलंगाना सरकार के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पूर्वोक्त के बाजारों में तेजी से बढ़ रही मांग के कारण बोकाजन यूनिट के सीमेंट की बिक्री में 45: की वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, दक्षिण के बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बने रहे और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मूल्यों में गिरावट हुई।

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष के दौरान तांदूर यूनिट से पीपीसी का उत्पादन शुरू किया गया, जिसे कई बाजारों में उत्साहजनक ढंग से स्वीकार किया गया। पीपीसी लागत प्रभावी के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अनुकूल सीमेंट है।

च. गुणवत्ता

सीसीआई की सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटों में गुणवत्ता संबंधी पहलुओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। भली-भांति अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा सुरक्षाप्रति प्रयोगशालाओं में कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद चरण पर नियमित रूप से गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट के नमूनों का उनकी सभी भौतिक और

रासायनिक विशेषताओं का परीक्षण निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं जैसे कि एनटीएच, एनसीबी आदि में किया जाता है।

राजबन यूनिट में- पिछले वर्ष की तुलना में कोयले की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है।

- क) सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटें आईएसओ अधिप्रमाणित हैं। तांदूर यूनिट को एसए 8000 प्रमाणपत्र भी प्राप्त हैं।
- ख) प्रचालनरत यूनिटों के लिए कुल ऊर्जा खपत और उत्पादन के प्रति यूनिट के हिसाब से ऊर्जा की खपत के विवरण नीचे दिए गए हैं :

विद्युत

खरीदा गया	वर्ष 2017-18	वर्ष 2016-17
i) यूनिट (लाख में)	1096.21	1081.49
ii) कुल रकम (लाख में)	6559.90	*6417.00
iii) प्रति यूनिट दर	5.98	5.93
स्व उत्पादन		
i) डीजल उत्पादन के द्वारा यूनिट (केडब्ल्यूएच)	108039	126932
ii) डीजल तेल का यूनिट / लीटर (केडब्ल्यूएच / लीटर)	2.88	2.56
iii) प्रति यूनिट लागत (केडब्ल्यूएच)	19.59	18.66

कोयला

i) कोयले की खपत की गई मात्रा (टन में)	171765	170208
ii) कुल लागत (₹ लाख में)	9275.95	9170.21
औसत दर (₹ एमटी)	5952.43	5387.65
उत्पादन की प्रति यूनिट खपत		
i) विद्युत (केडब्ल्यूएच / टाउनशिप सहित पैकड सीमेंट टन में)	142.22	136.81
ii) बुक किया गया कोयला (किलोग्राम / किलोकर किलोग्राम में / उत्पादन)	0.2281	0.2251
iii) कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी) (किलो कैलोरी / कोयले का प्रति किलोग्राम)	4543.47	4462.47

*रु. 12.31 करोड़ के बिजली बिल के एरियर को छोड़कर

4. पूंजीगत संरचना

कॉर्पोरेशन को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की पूंजी रु. 811०४१ करोड़ बनी रही अर्थात् इसकी पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5. मेहनताना नीति

सीसीआई में कार्यपालकों के वेतनशैर अन्य लाभ भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 प्रैल 2009 की फाईल संख्या 1(6) 009-पीई XII के अपने पत्र के जरिए जारी किए गए राष्ट्रपति जी के निदेशों पर आधारित है। 01.01. 2007 से लागू पिछला वेतन संशोधन इस मंत्रालय के दिनांक 26 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-एक्सवीआई/08 दिनांक 09 फरवरी 2009 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/09 और दिनांक 02 अप्रैल 2009 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/09 के आधार पर लागू किया गया था। पीआरपी कंपनी के निष्पादन/लाभप्रदता के साथ-साथ व्यक्ति विशेष के निष्पादन के रेटिंग पर आधारित होती है, जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप होती है।

दिनांक 01.01.2017 से सीपीएसई के निदेशक मंडल स्तर और निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों से नीचे वाले अधिकारियों तथा गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन पर दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल -XIII/17 के जरिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और गैर पर्यवेक्षकों के लिए तृतीय पीआरसी अनुमोदित कर दी गई है और उसे अभी कार्यान्वित किया जाना है।

6. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी मानव संसाधन को अत्यधिक महत्व देती है क्योंकि कर्मचारी ही किसी संगठन की सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति होते हैं। आपकी कंपनी में विभिन्न प्रकार के कौशल तथा क्षमता वाले 640 कर्मचारी शामिल हैं। मानव संसाधनों के विकास हेतु आपका कॉर्पोरेशन प्रतिबद्ध है और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपार अवसर प्रदान करता है! आपका कॉर्पोरेशन मानवीय क्षमताओं का समुचित विकास सुनिश्चित करने

तथा इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान परिसम्पत्ति माने जाने वाले कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करता है।

कॉर्पोरेशन की सभी यूनिटों में पूरे वर्ष भर औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। विभिन्न मंचों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ उपयोगी विचार-विमर्श और चर्चा की जा रही है, जिसके फलस्वरूप संचालन, शिकायत और मतभेदों के समाधान तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ।

7. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास के माध्यम से आपकी कंपनी ने विकास की दिशा में प्रयास किए हैं और एक स्वास्थ्यकर कार्य संस्कृति के निर्माण तथा अधिक लक्ष्य और उत्पादकता हासिल करने के साथ-साथ भावी चुनौतियों को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास और मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया है। इस संबंध में एएससीआई द्वारा प्रबंधन को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तथा इसे अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा गया है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उपयुक्त जनशक्ति के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कर्मचारी कल्याण/भागीदारी पहलें

कर्मचारियों के कल्याण के लिए मानव संसाधन विकास विभाग में कई पहलें शुरू की हैं। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद गतिविधियों, स्वास्थ्य जांच शिविरों तथा स्वास्थ्य वार्ताओं का आयोजन यूनिटों के साथ-साथ निगमित कार्यालय स्तर पर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीसीआई ने स्थापना दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, संविधान दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा इत्यादि का भी आयोजन किया है।

इन कार्यक्रमों की कुछ झलकियां नीचे दी गई हैं



सीसीआई, बोकाजन में स्थापना दिवस के अवसर पर सीसीआईएल के कर्मचारियों के बच्चों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम



सीसीआई, राजबुन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह



सीसीआई के निगमित कार्यालय में संविधान दिवस का आयोजन



स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता अभियान



स्वच्छता ही सेवा है अभियान के दौरान बच्चों द्वारा तैयार किए गए कलात्मक पोस्टर



निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन
प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार



श्री चंद्र एंगटी को दिनांक 26.02.2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री श्रम श्री पुरस्कार, 2016 प्रदान किया गया

8. प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन विकास के भाग के रूप में आपकी कंपनी सभी स्तर के कर्मचारियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए आपकी कंपनी ने इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में 2111 व्यक्ति कार्य दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न कर्मचारियों को बहुत से विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण के लिए भी नामित किया है। विभिन्न कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर कार्य के प्रकार्यात्मक क्षेत्रों से जुड़े कई सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए भी नामित किया गया।

सभी प्रचालनरत यूनिटों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों की संकल्पना और कार्यान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा आपकी कंपनी ने प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मचारियों की सक्षमता मैपिंग भी की है, जिससे कि उनके कौशल अंतराल को दूर किया जा सके।

9. शिकायत निवारण प्रक्रिया

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में शिकायत निवारण प्रणाली का बहुत ही प्रभावी ढंग से रखरखाव किया जा रहा है और प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी से संबंधित मामलों, कार्य की स्थितियों, छुट्टी, सौंपे गए कार्यों और कल्याण संबंधी सुविधाओं के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक चरण पर अवसर दिया जाता है। ज्यादातर शिकायतों का निराकरण यूनिटों में मौजूद प्रतिभागी प्रकृति वाले वातावरण को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। शिकायत निवारण प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है तथा कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी एवं कारगर सिद्ध हुई है।

10. महिला कर्मचारियों का कल्याण :

आपकी कंपनी महिला कल्याण के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग है। कॉर्पोरेशन की विभिन्न यूनिटों/कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अन्य लाभ बराबर दिए जाते हैं।

महिला कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सीसीआई की सभी यूनिटों में महिला क्लबों की स्थापना की गई है,

जहां महिलाओं के लिए बहुत से सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन विभिन्न क्लबों में कंप्यूटर साक्षरता, महिला और बाल स्वास्थ्य देख-रेख आदि जैसे विषयों पर व्यवसायिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन महिला कल्याण के लिए ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए समय समय पर अवसरचलात्मक और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का संबंध है, तो इस बारे में 2016-17 के दौरान हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

11. राजभाषा कार्यान्वयन :

कॉर्पोरेशन ने संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है और कॉर्पोरेशन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भी नियमित रूप से एवं सक्रिय भगीदारी करता है। अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कॉर्पोरेशन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दैनिक आधार पर आज का हिंदी वाक्य लिख गया।

12. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत के भाग के रूप में अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सदैव निभाया है, जिसके अनुसार व्यवसाय और समाज दोनों ही विकास के भागीदार बन सकते हैं। अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार आपकी कंपनी ने बहुत सी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है और अपने प्लांटों के स्तर पर विभिन्न पहले शुरू की हैं, जो निम्नानुसार हैं।

क. शिविरों का आयोजन कर और सरकारी प्राथमिक विद्यालय (सीसीआई), आदर्श कॉलोनी और मुगलों वाला गांव में अथवा इसके आसपास गारबेज टैंकों की व्यवस्था कर साफ-सफाई का बढ़ावा देना।

ख. आरओ प्रणाली की स्थापना कर सरकारी प्राथमिक विद्यालय (सीसीआई) में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।

- ग. नाड़ी कंडोन और सीसीआई कॉलोनी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रकाश व्यवस्था के साथ शौचालयों का निर्माण और नवीनीकरण करना।
- घ. कांडो के ग्रामीणों, मलागी पंचावट के ग्रामीणों, मुगलों वाला पंचायत के ग्रामीणों और ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना।
- ङ. नाड़ी कॉलोनियों में सेप्टिक टैंक और सोक पिट का निर्माण करना।
- च. चंद्रवांचा गांव में जल आपूर्ति पाईप लाईन का कार्य पूरा करना।
- छ. चंद्रवांचा गांव और कारणकोट में चिकित्सा शिविर का आयोजन।
- ज. सीसीआई की टाउनशिप के समीप मंदिर परिसर में दो शौचालय ब्लॉकों का निर्माण।
- झ. चंद्रवांचा गांव में एलईडी स्ट्रीट लाईटों की फिटिंग कराना।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत यथावश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण अनुबंध में दिए गए हैं और यह अनुबंध इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेशन के निगमित और प्रचालनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यापार प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है और इसके लिए अलग से समय निर्धारित करके कोई कार्य नहीं किया जाता है।

15. कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पहलों पर विकसित और कार्यान्वित की गई नीति के विवरण

आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत के भाग के रूप में अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सदैव निभाया है, जिसके अनुसार व्यवसाय और समाज दोनों

ही विकास के भागीदार बन सकते हैं। अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार आपकी कंपनी ने बहुत सी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है और अपने प्लानों के स्तर पर विभिन्न पहलें शुरू की हैं

16. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां

- (i) अन्य अनुशासनों की तरह सतर्कता भी एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। सतर्कता का प्राथमिक कार्य संगठन में प्रत्येक स्तर पर इसके कर्मचारियों के बीच सतर्कता संबंधित जागरूकता पैदा करना और कॉर्पोरेशन के कार्य वातावरण में ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- (ii) कॉर्पोरेशन के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है और इसे भिन्न-भिन्न भूमिकाएं अर्थात् सक्रिय, निवारक, अण्वेषक और दंडात्मक अदा करनी पड़ती हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग इस बात पर जोर देता आ रहा है कि यहां निवारक सतर्कता गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल जब ऐसी प्रणालियों को ही लागू किया जाता है, तो कर्मचारी उचित ढंग से, प्रभावशाली ढंग से और कॉर्पोरेशन के हित में कार्य कर सकते हैं। निवारक सतर्कता के भाग के रूप में ऐसे विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों की जांच की गई, जिनमें जालसाजी किए जाने की गुंजाइश थी। सतर्कता विभाग प्रबंधन के एक अभिन्न भाग के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेशन की कार्य प्रणाली में ईमानदारी, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, पारदर्शिता और दक्षता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से कॉर्पोरेशन में सभी स्तर के कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा की जाती है और निवारक सतर्कता पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है तथा इस उद्देश्य से प्रणाली सुधार किया जाता है कि जालसाजी की गतिविधियों में शामिल हो सकने की संभावना समाप्त की जा सके। मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की इस उद्देश्य से जांच की जाती है कि उनकी खामियों (लूपहोल्स) को दूर किया जा सके और कॉर्पोरेशन के सभी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के लिए प्रणालियों का सरलीकरण किया जा सके।

- (iii) दंडात्मक पक्ष की ओर ध्यान देते हुए शिकायतों और अनुशासनिक कार्यवाहियों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया गया। साथ-साथ सीवीसी और डीएचआई के साथ परामर्श किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पिछले वर्ष की दस शिकायतों को आगे लाया गया और वर्ष के दौरान 15 नयी शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 25 शिकायतों में 14 शिकायतों का निराकरण किया गया और शेष बची 11 शिकायतों का अगले वर्ष निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा मामलों की प्रकृति क्लिंकर, सीमेंट की बिक्री/खरीद में अनियमितताओं, भर्ती तथा पदोन्नति में अनियमितताओं, सीडीए नियमावली में संशोधन इत्यादि से संबंधित हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान चार कर्मचारियों पर लघु शास्तियां अधिरोपित की गईं।
- (iv) 'संदेहास्पद सत्यनिष्ठा' वाले अधिकारियों की सूची और 'सहमति सूची' तैयार की गई तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।
- (v) ई-क्रय, ई-नीलामी का कार्यान्वयन किया जाता है। सत्यनिष्ठा समझौते का कार्यान्वयन किया गया है। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार आईईएम की नियुक्ति की गई है। सीसीआई की वेबसाइट में आरटीआई अधिनियम की सभी सांविधिक आवश्यकताओं और विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- (vi) सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए सीसीआई के निदेशक मंडल द्वारा सतर्कता गतिविधियों की अर्धवार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है, जिनमें प्राप्त और निपटाई गई शिकायतें, की गई अनुशासनिक कार्रवाई, महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित सारांश, सतर्कता में प्रशिक्षण और जनशक्ति के साथ-साथ अन्य चिंताजनक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सीवीसी, डीएचआई और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और अनुशासनिक जांच के दौरान दोषी पाये गए चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई।
- (vii) सतर्कता मामलों से उत्पन्न होने वाले कानूनी मामलों में कॉर्पोरेशन के हितों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।
- (viii) चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों से वार्षिक संपत्ति विवरणियां प्राप्त की जा रही हैं।

- (ix) सतर्कता गतिविधियों से संबंधित सभी विहित मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्टें सीवीसी, डीएचआई को समय पर भेजी जा रही हैं।
- (x) गोपनीय सरकारी कार्यों के लिए सीसीआई के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए डीओपीटी के अनुदेशों के अनुसरण में सीवीआई को आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान की गई।
- (xi) 'मेरा विज्ञान - भ्रष्टाचार मुक्त भारत' की विषय वस्तु के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2017 (सोमवार) से 04 नवंबर 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और इस दौरान निगमित कार्यालय, सभी प्रचालनरत यूनिटों और आसपास के स्कूलों तथा महाविद्यालयों में सेमिनार, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कार्यशालाएं, निबंध लेखन/ नारा लेखन प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित की गईं।

17. ई-क्रय/सत्यनिष्ठा समझौता

संगठन में ई-क्रय सुविधा को लागू किया गया है। ई-क्रय पोर्टल के लिए मैसर्स एमएसटीसी, नई दिल्ली को सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है। सभी ई-निविदाएं उनके पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

सीसीआई की वेबसाइट में वेंडर पंजीकरण के लिए एक प्रपत्र डाला गया है। वेंडरों को यूनिटों के साथ-साथ निगमित कार्यालय के स्तर पर तब पंजीकृत किया जाता है, जब वे इसके लिए आवेदन करते हैं।

सत्यनिष्ठा समझौते का कार्यान्वयन किया गया है। सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए दो आईईएम नियुक्त किए गए हैं।

18. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी की रोकथाम, परिशुद्ध और अनुपालन के लिए त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग और सुशासित निगमित निकाय की दिशा में जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार सहित अपने कारोबार का क्रमबद्ध और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की बाहरी फर्म नियुक्त की जाती है। उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्षों

वाली रिपोर्टें कंपनी के प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा इस प्रकार नियंत्रण को और मजबूत किया जाता है।

कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों अर्थात् विपणन, मैन्युअल, खरीद और कार्य मैन्युअल, सामग्री, भंडार, लेखा और कार्मिक मैन्युअल को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताओं, मैन्युअलों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय किए गए हैं।

19. ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी सरकारी ऋण, गारंटियां अथवा निवेश संबंधी कार्य नहीं किया गया।

20. लेखापरीक्षकों और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्टों में अहंताओं, अवलोकनों अथवा प्रतिकूल अभ्युक्तियों या अस्वीकारोक्तियों पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बारे में प्रबंधन के उत्तर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न (अनुबंध ख) हैं।

21. संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा अथवा व्यवस्था नहीं की गई।

22. कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, मेहनताने के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कंपनी की नीति

सीसीआई केंद्रीय क्षेत्र का एक सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) है, जहां निदेशकों की नियुक्ति, देय मेहनताने और भत्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

23. वार्षिक विवरणी (रिटर्न)

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुक्रम में वार्षिक विवरणी का सारांश इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

24. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की 9 बैठके आयोजित की हैं।

25. प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

26. निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एतद्वारा अपनी जिम्मेदारी से संबंधित विवरण प्रस्तुत करता है :

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अपनाया गया है;
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं स्वायत्त हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- (ग) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है; और
- (घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे एवं एक निरंतर जारी प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- (ङ) निदेशकों द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी, जिसका कंपनी को अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और कंपनी

द्वारा प्रभवी ढंग से प्रचालित किए जा रहे थे। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित अपने व्यापार का क्रमिक रूप से दक्षता पूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत है।

(च) निदेशकों द्वारा सभी लागू सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित की जा रही थीं।

27. सहायक कंपनियां, सहायक उद्यम और एसोसिएट कंपनियां

आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां नहीं हैं।

28. जमा राशियां

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान न तो कोई जमा राशियां स्वीकार्य की हैं और न ही उनका नवीनीकरण किया है।

29. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

30. स्वतंत्र निदेशकों के बारे में घोषणा

श्री महेंदर गुप्ता ने दिनांक 29.06.2016 से निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा शुरू की और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (7) के अंतर्गत स्वतंत्रता की घोषणा की है।

31. कंपनी की वेबसाइट के लिए लिंक

वार्षिक रिपोर्टों के साथ-साथ विभिन्न नीतियों को कंपनी की वेबसाइट www.ccilttd.in पर अपलोड किया जाता है।

32. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयास करती आ रही है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19 (1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी तथा पारदर्शिता अधिकारी पदनामित किए हैं। कंपनी के सभी प्लान्टों और यूनिटों द्वारा आरटीआई के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

कंपनी के वेबसाइट पर अलग से एक लिंक उपलब्ध कराने सहित विशिष्ट आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

32. विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन

हमारे प्लान्टों की भौगोलिक स्थिति अलाभकर होने, जो समुद्री बंदरगाहों से काफी दूर हैं, के कारण प्लान्ट से निकटतम समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय मालभाड़ा काफी अधिक हो जाता है। इस वजह से हमारा एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाता है। इस प्रकार कंपनी निर्यात के माध्यम से कोई बिक्री नहीं करती है। तथापि निर्यात के क्षेत्र में निकटतम निगरानी की जा रही है, जिससे कि अवसर प्राप्त होने पर इसका लाभ उठाया जा सके। वर्तमान में पूरे उत्पादित सीमेंट की बिक्री घरेलू बाजारों में ही की जा रही है।

32. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2017-18 के लिए मैसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया और मैसर्स एसके तनवानी एंड कंपनी, मैसर्स झांवर एंड कंपनी, मैसर्स के के अट्टल एंड असोसिएट्स, मैसर्स पी गग्गर एंड असोसिएट्स, मैसर्स सी वेंकट कृष्णा एंड कंपनी और मैसर्स पी पी बंसल एंड कंपनी, मैसर्स डीसीजी एंड कंपनी, मैसर्स एन. संबाशिव एंड कंपनी को शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उनके उत्तर तथा भारत के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई हैं।

लागत लेखापरीक्षक

वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स जुगल के पुरी एंड असोसिएट्स, लागत लेखाकार दिल्ली को कॉर्पोरेशन के प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में और राजबन यूनिट के लिए भी लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। मैसर्स एस डाल एंड कंपनी, लागत लेखाकार को बोकाजन यूनिट के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया तथा मैसर्स एन एस वी कृष्णा राव, लागत लेखाकार को तांदूर यूनिट के लिए लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स बलिका शर्मा एंड असोसिएट, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध के रूप में संलग्न हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में आपके निदेशक मंडल ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:

“निदेशक मंडल में आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में डीपीई के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल / लेखापरीक्षा समिति का विधिवत रूप से गठन नहीं किया जा सका। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को इन रिक्तियों को भरने के लिए अनुरोध किया गया। तथापि प्रशासनिक मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2016 से सीसीआई के निदेशक मंडल में एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति की है”।

35. लेखापरीक्षा समिति के स्वरूप के बारे में प्रकटन और सतर्कता तंत्र की जानकारी उपलब्ध कराना

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

क. श्री महेंदर गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष

ख. श्री ए. एम. मनीचन, सदस्य

ग. श्री बी. वी. एन प्रसाद, सदस्य

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों जो अपनी चिंताओं को उजागर करते हैं, को शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षोपाय किए हैं। कंपनी में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने की भी सुविधा प्रदान की गई है, जो कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों के बारे में रिपोर्ट करने पर कंपनी की व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। कंपनी की व्हिसिल ब्लोअर नीति को कंपनी की अधिकृत वेबसाइट www.ccilttd.in पर भी होस्ट किया गया है।

36. आभार प्रदर्शन

कंपनी का निदेशक मंडल भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ रेल मंत्रालय, डीजी एस एंड डी, पीईएसबी, बीआईएफआर, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों से कॉर्पोरेशन को मिले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों पर लगातार विश्वास प्रकट करने और सहयोग प्रदान करने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल मैसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड - II का धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के समर्पण हेतु हृदय से उनकी प्रशंसा करना चाहता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता / -

(मनोज मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1. शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा और सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दिए अनुसार है :

सीसीआई की सीएसआर और स्थायित्व नीति की परिकल्पना “प्राथमिक रूप से ऐसे परियोजना क्षेत्रों, जहां कंपनी का प्रचालन चल रहा है, में स्थायी आधार पर समुदायों और पणधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करते हुए अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता” के रूप में की गई है :

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीतियों और कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची टप्प और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के अनुरूप उन्हें एकीकृत और संरक्षित करता है।

सीएसआर और स्थायित्व नीति सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा लागू की जाएगी और इसे सीसीआई के सभी कार्यकलापों, प्रक्रियाओं और लेन-देनों में परिलक्षित होना चाहिए।

सीएसआर नीति का वेबलिंक पता <http://ccilttd.in/page.php?id=194> है।

2. सीएसआर समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल स्तर की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- क. श्री महेंदर गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष
ख. श्री ए. एम. मनीचन, सदस्य
ग. श्री बी. वी. एन प्रसाद, सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निबल लाभ रु. 431 लाख रहा।
4. विहित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 में उल्लिखित राशि का 2%) : रु. 91 लाख
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण :
क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : रु. 9 लाख
ख. खर्च न की गई राशि, यदि कोई है : रु. 82 लाख
ग. वित्तीय वर्ष के दौरान राशि को खर्च किए जाने के ढंग के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(रु लाख में)

1	2	3	4	5	6	7
क्र. सं.	कसर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी	प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स (1) लोकल एरिया और इतर	अमाउंट टुतलाय (बजट) प्रोजेक्ट	अमाउंट स्पेंट	क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर उप तो थे रिपोर्टिंग पीरियड	अमाउंट स्पेंट : डायरेक्ट और थू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी
1	अंडर स्वच्छ भारत मिशन	a) टॉयलेट b) सेप्टिक टैंक एंड शोएक पिट	— —	2.96 1.00	2.96 1.00	डायरेक्ट
2	हेल्थ	मेडिकल कैम्प	—	1.91	1.91	डायरेक्ट
3	ड्रिंकिंग वाटर	a) वाटर कूलर एंड रो सिस्टम b) पिप्लिने फॉर वाटर सप्लाई	— —	1.41 1.65	1.41 1.65	डायरेक्ट
	टोटल			8.93	8.93	

(एस. शक्तिमनी)
निदेशक वित्त/सीएफओ

(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली 1988 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण

1. संसाधन कुशलता

- विद्युत और कोयला की खपत : संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्रौद्योगिकी उन्नयन/ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों पर है। मल्टी चैनल बर्नर और ऊर्जा कुशल पंखों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इस कार्य के तीन माह में पूरा होने की आशा है। विभिन्न डक्ट की स्थापना, डक्ट प्रतिस्थापन, इमर्शन ट्यूबों का प्रतिस्थापन/स्थापना इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। डायनेमिक सेपरेटर, लो प्रेशर ड्रॉप साइक्लोन, फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम इत्यादि की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग और उच्चतर क्षमता सदुपयोग के लिए किए जा सकने वाले कार्यों की पहचान के लिए सभी तीनों प्रचालनरत प्लांटों में तकनीकी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

पर्यावरण सुधार

- धूल से होने वाली हानियों को न्यूनतम करने और संसाधन संरक्षण की दिशा में एक कदम के रूप में यूनिटों में रिवर्स एयर बैग हाउस (आरएबीएच) की स्थापना की योजना बनाई गई है। इसके अलावा बोकाजन प्लांट के ईएसपी में बड़ा उन्नयन किया जाना है, जो मैसर्स एन्ड्र्यू यूले द्वारा किया जाएगा।
- तांदूर यूनिट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और राजबन यूनिट में शुरू कर दिया गया है।
- उपर्युक्त के अलावा प्लांटों की कुशलता सामान्य सुधार के लिए निम्नलिखित के लिए गतिविधियां पूरी की जा चुकी हैं/शुरू की गई हैं :
 - बोकाजन में कच्चे माल के आवागमन को सुगम बनाने और परिवहन के दौरान हानियों को न्यूनतम करने तथा कोयला एवं अन्य कच्चे माल के हथालन के लिए प्लांट के अंदर रेलवे साइडिंग बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
 - तांदूर यूनिट में रेलवे साइडिंग के उन्नयन का कार्य कार्यान्वयन के उन्नत चरण पर है।
 - राजबन यूनिट में मल्टी-एक्सेल ट्रक लोडिंग की व्यवस्था शुरू की गई है।

- टेबल टॉप एक्सरे एनालाइजर की स्थापना का कार्य सभी तीनों प्रचालनरत प्लांटों में शुरू किया गया है।
- ट्रक लोडर की स्थापना के लिए भी योजना बनाई जा रही है।

द्वितीयक कच्चे माल का उपयोग और रिसाइक्लिंग रु.

- पलाई ऐश, जो कि थर्मल पावर प्लांटों से निलने वाली एक अपशिष्ट सामग्री है, का सदुपयोग पोर्ट लैंड पोजोलाना सीमेंट (पीपीसी) के विनिर्माण के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा मिल स्केल, आयरन डस्ट इत्यादि का उपयोग कच्चे मिक्स में एडिटीव के रूप में किया जा रहा है।
- प्लांट टाउनशिप में बागवानी इत्यादि में उपयोग के लिए एसटीपी से निकलने वाली अपशिष्ट सामग्री को रिसाइकिल किया जा रहा है।

क. ऊर्जा संरक्षण

वर्ष 2017-18 में किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय बोकाजन प्लांट

- उच्च वोल्टेज वाले विद्युत प्रकाशीय उपकरणों को एलईडी बल्बों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- ऊर्जा की कुल बचत 88 किलोवाट/दिन है।

राजबन प्लांट

- पारंपरिक एचपीएसवी और फ्लूरोसेंट ट्यूबों के स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइट और एलईडी ट्यूब फीटिंग की स्थापना।
- सीमेंट मील, ऑक्जीलरी सर्किट, 10एचपी/5 एचपी में मानक ऊर्जा कुशलता वाले एलटी मोटरों से प्रतिस्थापन। सभी प्रकार की एयर सीलिंग के लिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर 30 एचपी, ईएच-100 का प्रयोग किया गया और 100 एचपी जीसीटी पंप मोटर को ऊर्जा कुशल मोटरों से प्रतिस्थापित किया गया।
- प्लांट और टाउनशिप के लिए सोलर स्ट्रीट फीटिंग के क्रय की कार्रवाई शुरू की गई।
- ऊर्जा संरक्षण उपस्करों पर रु. 8.94 लाख का निवेश किया गया है।

तांदूर प्लांट

- ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न ऊर्जा बचत उपाय किए गए हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज अर्थात 450/

150/60/100 वाट की लाईट फिटिंग का 100 /40/20/40 वाट क्षमता वाली फिटिंग द्वारा प्रतिस्थापन। इस प्रकार कुल 320 फिटिंग प्रतिस्थापित की गई, जिसकी लागत बचत रु. 11,01,461.00 है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ऊर्जा संरक्षण उपस्करों पर पूंजीगत निवेश किया गया है।

200 स्ट्रीट लाईट फिटिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए 40 वाट के एलईडी स्ट्रीट लाईट खरीदी और लगाई गई, 40 वाट क्षमता वाली 40 एलईडी वेल ग्लास फिटिंग, 100 वाट क्षमता वाली 30 एलईडी फ्लड लाईट फिटिंग, 20 वाट क्षमता वाली 200 एलईडी ट्यूब फिटिंग और 50 सीलिंग पंखे प्लांट और कॉलोनी क्षेत्र में लगाए गए, जिनकी लागत रु. 8,29,733.00 आई।

कुल ऊर्जा खपत और उत्पादन के प्रति यूनिट पर ऊर्जा की खपत (फार्म क)

वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट हेतु

विद्युत

विवरण	बोकाजन	राजबन	तांदूर	समेकित रूप से सीसीआई
क) की गई खरीद				
i) यूनिट (किलोवाट घंटा)	216,28,106.50	189,67,530.00	690,25,860.00	1096,21,496.50
ii) कुल राशि (रु. लाख में)	1785.40	1267.40	3507.10	6559.90
iii) प्रति यूनिट दर (रु. प्रति किलोवाट घंटा)	8.20	6.68	5.08	5.98
क) स्वयं का उत्पादन				
i) डीजल उत्पादन यूनिटों के माध्यम से (किलोवाट घंटा)	81739.00	26300.00	0.00	108039
ii) डीजल की कुल खपत (लीटर में)	23354.00	14139.78	0.00	37493.78
iii) डीजल तेल के प्रति लीटर यूनिट (किलोवाट घंटा प्रति लीटर)	3.50	1.86	0.00	2.88
iv) प्रति यूनिट लागत (रु. प्रति किलोवाट घंटा)	14.02	28.78	0.00	19.59

कोयला

विवरण	बोकाजन	राजबन	तांदूर	समेकित रूप से सीसीआई
i) खपत की गई मात्रा (एमटी)	24618.00	26703.00	120444.00	171765
ii) कुल लागत (रु. लाख में)	1281.36	2063.61	5930.98	9275.95
iii) औसत दर (रु. प्रति एमटी)	5205.01	7728.00	4924.27	5952.43

उत्पादन के प्रति यूनिट खपत

विवरण	बोकाजन	राजबन	तांदूर	समेकित रूप से सीसीआई
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक्ड सीमेंट के किलोवाट घंटा प्रति टन)	193.77	133.48	133.14	142.219
ii) बुक किया गया कोयला (क्लिंकर उत्पादन का %)	23.29	20.10	23.42	22.81
iii) कोयला की गुणवत्ता (यूएचवी) (किलो कैलरी / किलोग्राम कोयला)	5354.00	4953.00	4271.00	4543.47

विभिन्न प्रचालनरत प्लांटों में वर्ष 2017-18 के लिए उत्पादन के आंकड़े (टन में) नीचे दिए अनुसार हैं:

प्लांट	क्लिंकर	सीमेंट
बोकाजन	105690	112010
राजबन	133010	134750
तांदूर	514311	506315
कुल	753011	753075

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसरण में निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

दिनांक 06-09-2018 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अवलोकनों के लिए प्रबंधन के उत्तर नीचे दिए गए हैं : -

क्र.सं.	अर्हताएं	प्रबंधन उत्तर दें
1.	<p>अर्हताप्राप्त दृष्टिकोण के लिए आधार – क, ख, ग, घ</p> <p>क. कंपनी के पक्ष में कुछ यूनिटों की भूमि के अधिकार और पट्टा अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित हैं तथा भूमि संबंधी विवरणों का पुनर्मिलान किया जाना है अर्थात् वे पुनर्मिलान के अध्यक्षीन हैं। इसके अलावा डीडए ने दिनांक 11.04.2017 को ₹ 14.20 एकड़ भूमि एसडीएमसी को स्वमेव हस्तांतरित की और हस्तांतरण की लागत बाह्य पक्षकार से वसूल करने योग्य दावे में स्थानांतरित की गई। रेलवे साइडिंग के लिए आबंटित 6.74 एकड़ भूमि का वास्तविक (भौतिक) कब्जा अभी नहीं किया गया, जो अभी भी कंपनी के पास है [नोट संख्या 30 का बिंदु सं. 3 देखें]।</p> <p>ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि, जिसका प्रयोग पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क मार्ग के रूप में किया गया है, के संदर्भ में एलीनेशन आदश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देयता का निर्धारण न करने और उसके लिए प्रावधान न करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है [नोट 30 का बिंदु सं. 5 देखें]।</p> <p>ग. पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येर्रागुंतला यूनिट के संदर्भ में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित असंगतताओं के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है [नोट 30 का बिंदु सं. 12 देखें]।</p> <p>घ. व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों और उनसे प्राप्त होने वाली राशियों और अन्य देयताओं की बकाया राशियों की पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है। पुनर्मिलान न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है [नोट 30 का बिंदु सं. 21 देखें]।</p>	<p>नोट संख्या 30 में प्रासंगिक बिंदुओं के बारे में स्थिति को सही तरीके से स्पष्ट किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का अभिन्न हिस्सा है।</p> <p>नोट संख्या 30 में प्रासंगिक बिंदुओं के बारे में स्थिति को सही तरीके से स्पष्ट किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का अभिन्न हिस्सा है।</p> <p>नोट संख्या 30 में प्रासंगिक बिंदुओं के बारे में स्थिति को सही तरीके से स्पष्ट किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का अभिन्न हिस्सा है।</p> <p>नोट संख्या 30 में प्रासंगिक बिंदुओं के बारे में स्थिति को सही तरीके से स्पष्ट किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का अभिन्न हिस्सा है।</p>
2.	<p>अर्हताप्राप्त दृष्टिकोण के लिए आधार- ड.</p> <p>ड. कंपनी की 7 फैक्टरियां और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी कंपनी की एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ में नोट 30 के बिंदु संख्या 11 में ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के इंपेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपत्तियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक है [नोट 30 का बिंदु सं. 11 देखें]।</p>	<p>गैर-ऑपरेटिंग इकाइयों की संपत्तियों की हानि से संबंधित स्थिति को वार्षिक लेखाओं के नोट 30 के बिंदु संख्या 11 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।</p>
3.	<p>योग्य विकल्प के लिए आधार- च</p> <p>च. कार्पोरेशन ने 22 मार्च 2007 को 07 (सात) वर्ष के लिए 355.43 करोड़ रुपए मूल्य के प्रत्येक 100 रुपए के 3554325 संचयी रिडिमेबल प्राथमिकता शेयर भारत सरकार को जारी किए थे। जारी किए जाने की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्राथमिकता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले रिडीम किया जाना था, जो जारी किए जाने की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मंत्रिमंडल/बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्राथमिकता शेयर जारी करने के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है [नोट 30 का बिंदु सं. 13 देखें]।</p>	<p>वरीयता शेयरों को पुनः जारी करने के मामले को डीएचआई के साथ उठाया गया है, जिसे वार्षिक लेखाओं के नोट 30 के बिंदु संख्या 13 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।</p>

क्र.सं.	अर्हताएं	प्रबंधन उत्तर दें
4.	<p>योग्य विकल्प के लिए आधार – छ, ज</p> <p>छ. कंपनी द्वारा विभिन्न पक्षकारों के विरुद्ध दायर किए गए 73.14 करोड़ रुपए के दावों और प्रतिदावों, जो न्यायालयों आदि में लंबित हैं/माध्यस्थों के अधीन हैं, के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया। चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस चरण पर इनका आकलन नहीं किया जा सकता है [नोट 30 का बिंदु सं. 1 देखें]।</p> <p>ज. नोट सं. 29 में कंपनी ने विभिन्न दावों के संदर्भ में कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरुद्ध दावों के रूप में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत 340.28 करोड़ रुपए की राशि शामिल की है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इस चरण पर इसके परिणाम की गणना नहीं की जा सकती है।</p>	<p>मामला निगम के ऐसे दावों / काउंटर दावों से संबंधित है, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं और इस चरण में जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिसे वार्षिक लेखाओं के नोट 30 के बिंदु संख्या 29 में पर्याप्त रूप से प्रकट किया गया है।</p> <p>मामला निगम के ऐसे दावों / काउंटर दावों से संबंधित है, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं और इस चरण में जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिसे वार्षिक लेखाओं के नोट 30 के बिंदु संख्या 29 में पर्याप्त रूप से प्रकट किया गया है।</p>
	<p>मामले की भावना</p> <p>ख) मूल्यांकन वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए मूल्यांकन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत पूरे किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भत्तों का नुकसान हुआ है। इसके फलस्वरूप कंपनी की मूल्यांकित और आगे लाई गई हानियों में 973.00 करोड़ रुपए की कमी दर्शाई गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की थी। अपीलीय प्राधिकारियों ने दिनांक 23.12.2016 के आदेश के जरिए आदेशों को निरस्त कर दिया और दोनों वित्तीय वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता अणिकारी फिर से भेजा [नोट 30 का बिंदु संख्या 2 (पप) देखें]।</p> <p>ग) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 के आदेश के जरिए अनुमोदित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) को 2 (दो) चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007-08 तक पूरा किया जाना था, जिसे 07 (सात) गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से कार्यान्वित करने की योजना थी, अब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। तथापि, नीति आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री का कार्य प्रगति पर है [नोट 30 का बिंदु संख्या 11 देखें]।</p> <p>घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के मद में 9.00 लाख रुपए की राशि खर्च की, इस प्रकार पिछले 3 वर्ष के औसत निबल लाभ के आधार पर 82.00 लाख रुपए की राशिऐसी है, जो खर्च नहीं की गई है [नोट 30 का बिंदु संख्या 23 देखें]।</p>	<p>ख) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में नोट 30 के बिंदु संख्या 2 (पप) में स्थिति को सही ढंग से प्रकट किया गया है।</p> <p>ग) डीआईपीएएम / नीति आयोग के निर्देशानुसार गैर प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री का कार्य प्रगति पर है। परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता के कानूनी सलाहकार और तकनीकी सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं।</p> <p>घ) सीसीआई बीआईएफआर संदर्भित कंपनी है, हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों में आई कमी को अधिनियम के अनुपालन के रूप में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में स्पष्ट किया जा रहा है।</p>

फॉर्म संख्या एमजीटी- 9
वार्षिक विवरणी का सारांश
31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

1. पंजीकरण और अन्य विवरण:

- i) सीआईएन : यू 74899 डीएल 1965 जीओआई 004322
ii) पंजीकरण की तारीख : 18/01/1965
iii) कंपनी का नाम : सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : विनिर्माण क्षेत्र
v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं
viii) रजिस्टर और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण : लागू नहीं

2. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10: या उससे अधिक का योगदान देते हैं :-

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	सीमेंट	2394	100%
2	क्लिंकर	2394	

3. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/सहायक/ एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
					शून्य

4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर									
भारतीय									
क) व्यक्ति विशेष/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) केंद्र सरकार									
इक्विटी शेयर	-	45,59,749	45,59,749	100%	-	45,59,749	45,59,749	100%	'kwU;
प्राथमिक शेयर	-	35,54,325	35,54,325	100%	-	35,54,325	35,54,325	100%	
ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
घ) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
ड) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
च) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
उप जोड़. (क) (1):	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
2) विदेशी									
(क) एनआरआई- व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
(ख) अन्य - व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ग) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1) (क) (2)	0		0	0	0	0	0	0	
क. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
घ) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
ङ) उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
च) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
छ) एफआईआई	0	0	0	0					
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	
तनावग्रस्त परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़. (ख) (1) :	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. गैर संस्थागत निकाय									
क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	
i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए से अधिक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
x) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग.पपद्ध समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	
एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़. (ख) (2):	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1). (ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	
सकल योग (कख ग)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	शून्य

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए / कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए / कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	
1.	केंद्र सरकार	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	शून्य
	कुल	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	शून्य

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	वर्ष के प्रारंभ में दिनांक 01/04/2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता		
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	
1	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं		
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)			
3	वर्ष के अंत में			

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर) की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र. सं.	शीर्ष दस शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	शीर्ष दस शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
2	वर्ष के प्रारंभ में		
3	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)		
4	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के दौरान हुआ है)		

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (वित्तीय वर्ष 2017-18)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	शून्य			
3	वर्ष के अंत में				

5. कर्जदारी

बकाया/संचित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं राशियों पर ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

(रु. लाख में)

	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	-	17215	-	17215
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	-	12385	-	12385
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज				
जोड़ (i+ii+iii)	शून्य	29600	-	29600
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
वृद्धि		1500		1500
कमी				
निबल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	-	15715		15715
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	-	12385		12385
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज				
जोड़ (i+ii+iii)	शून्य	28100		28100

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का मेहनताना:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	श्री मनोज मिश्रा	श्री बी. वी. एन. प्रसाद	श्री एस. शक्तिमनी	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	30.09	26.71	23.93	80.74
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन - लाभ के : के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	2.61	2.39	2.14	7.14
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.91	0.39	0.17	1.47
	जोड़ (क) अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	33.62	29.50	26.25	89.38

ख. अन्य निदेशकों का मेहनताना:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	मेहनताने का विवरण	निदेशक का नाम श्री महेंदर गुप्ता
	3. स्वतंत्र निदेशक बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	1.56
	जोड़ (1)	1.56
	4. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर के नामिति) बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	
	जोड़ +(2)	0.00
	जोड़ ([k)=(1+2)	1.56
	कुल प्रबंधकीय मेहनताना	
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा	

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना (रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	सीईओ / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ
		श्री मनोज मिश्रा	श्री अजय कुमार शर्मा	श्री एस. शक्तिमनी
1.	सकल वेतन: (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	30.09 - -	11.88 - -	23.93 - -
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन लाभ के रूप में अन्य, विनिर्दिष्ट करें..	-	-	-
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	2.61	1.18	2.14
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.91	1.41	0.17
	जोड़	33.62	14.48	26.25

7. अपराधों के लिए शास्ति/दंड/कंपाउंडिंग:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित की गई शास्ति/दिए गए दंड/कंपाउंडिंग शुल्क के विवरण	प्राधिकार खआरडी/एनसीएलटी/न्यायालय बोर्ड,	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी			शून्य		
शास्ति					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक			शून्य		
शास्ति					
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग चूक करने वाले अन्य अधिकारी			शून्य		
शास्ति					

फार्म संख्या एमआर-3

सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली 2014 के नियम संख्या 9 के अनुक्रम में]

सेवा में,
सदस्यगण

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स,

7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

सीआईएन : यू74899डीएल1965जीओआई004322

हमने मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे यहां से आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई, जिसके जरिए मुझे निगमित संव्यवहार/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजात, कार्यवृत्त बही, भरे गए ई-फार्मों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के आधार पर और साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राथिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमें दी गई सूचना के आधार पर हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में कंपनी ने 01 अप्रैल, 2017 से शुरू और 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष अर्थात् हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध किए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र उस सीमा और ढंग से मौजूद है, जो यहां नीचे की गई रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ;द कंपनीद्ध की खाताबही, कागजातों,

कार्यवृत्त बही, कंपनी द्वारा भरे गए ई-फार्म और विवरणियों तथा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है :

- 1) कंपनी अधिनियम 2013 (द अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- 2) प्रतिभूतियां संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- 3) डिपोज़िटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप नियम;
- 4) विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप नियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, सीमापार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋणों के लिए लागू होती हैं;
- 5) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत यथाविहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :-
 - क) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का अधिकांश अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - ख) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियम, 1992;
 - ग) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (पूंजी का इश्यू और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2009
 - घ) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
 - ङ) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (कर्ज प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2008;

- च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ डीलिंग से संबंधित भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (किसी इश्यू के लिए पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- छ) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009;
- ज) भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाईबैक) विनियम, 1998;
- 6) गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते पैरा 2, 3, 4, और 5 में उल्लिखित अधिनियम कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- 7) हमने अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अंतर्गत कंपनी के अनुपालनों के लिए कंपनी द्वारा तैयार की गई प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों का उत्तर दिया है।
- हमने 01 जुलाई, 2015 से केंद्र सरकार द्वारा यथाअधिसूचित पैरा (i) के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की है, परन्तु हमने पैरा (ii) के प्रावधानों के अनुपालन की जांच नहीं की है क्योंकि वे कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं (गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते)।
- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानक;
- (ii) एन. ए. स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंज) के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करार, यदि लागू है।

इसके अलावा हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का विधि त्वत गठन किया गया है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों का उचित संतुलन है।

कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। तथापि, कंपनी ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए पहले से ही अनुरोध किया है और इसकी पुष्टि की प्रतीक्षा है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकें अनुसूचित करने के लिए पर्याप्त समय रहते नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट उन्हें कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर कोई भी स्पष्टीकरण और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है, जिससे कि बैठक में सार्थकता के साथ भागीदारी की जा सके।

इसके अलावा हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और इसकी निगरानी करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित अधिनियम, नियम और विनियम कंपनी के लिए लागू नहीं हैं; तथापि, हमें यह सूचित किया गया है कि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एफईएमए के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी लेनदेन रिपोर्ट नहीं किया गया है।

इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पड़ा जाए जो कि **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

हस्ता./-

कृते बलिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

एफसीएस संख्या 4816

सी पी संख्या 3222

स्थान : दिल्ली

तारीख : 15.05.2018

अनुबंध-1

सेवा में,
सदस्यगण

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स,

7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

सीआईएन : यू74899डीएल1965जीओआई004322

हमारी फार्म सं. एम आर-3 में दी गई समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालय रिपोर्ट का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालय रिपोर्टों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है जो सचिवालय रिपोर्टों की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया कि सचिवालय रिपोर्टों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जाए। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिपोर्टों और लेखाबही की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाक्रम के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त किए हैं।
5. निगमित प्रावधानों और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर इन प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही ऐसी कोई दक्षता अथवा प्रभावशीलता है, जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

कृते बलिका शर्मा एंड एसोसिएट्स

(कंपनी सचिव)

(सीएस-बलिका शर्मा)

(पेशेवर कंपनी सचिव)

एफसीएस संख्या 4816

सी पी संख्या 3222

स्थान : दिल्ली

तारीख : 26.05.2018

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन/सिद्धांत:

निदेशक मंडल दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है कि बेहतर निगमित शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक आधुनिक ढांचा है कि कंपनी अपने सभी पणधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तम तरीके से कार्य संचालित कर रही है और सुव्यवस्थित है। निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिद्धांत/दर्शन है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय समझदारी, उपभोक्ता की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और शेयरधारकों के प्रति वचनबद्धता में विश्वास करता है। सीसीआई भारत सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए निर्देशों के अनुसार और अपने उपर्युक्त विश्वास के साथ कार्य करता है और इसे व्यापक रूप से समाज और सरकारी एजेंसियों/विभागों, राज्य सरकारों, भारत सरकार, ऋणदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, निकायों से जुड़े सभी पणधारकों का मूल्य संवर्धन करने के लिए एक लंबा सफर तय करना चाहिए।

2. निदेशक मंडल

i. निदेशक मंडल का आकार एवं गठन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत जैसा

सारणी 1: निदेशकों की श्रेणी और विभिन्न समितियों में उनके पद और समितियों में उनके द्वारा धारित पदों का विवरण

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	एजीएम में (30.09.2017 को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में धारित पदों की संख्या	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता की संख्या
कार्यकारी निदेशक:						
1.	श्री मनोज मिश्रा निदेशक- मानव संसाधन/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9	हां	1 सदस्य - स्कोप	शून्य
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन)	9	9	हां	शून्य	शून्य
3.	श्री एस. सवित्तमणी निदेशक (वित्त)	9	9	हां	शून्य	शून्य
सरकारी नामिती निदेशक :						
4.	श्री ए. एम. मणिचन	9	8	नहीं	2	शून्य
6.	श्रीमती रितू पाण्डे (27.02.2017 से)	9	6	हां	6	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
7.	श्री महेंदर गुप्ता (29.06.2016 से)	9	9	हां	0	शून्य

परिभाषित किया गया है, उसके अनुसार सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संस्थागत अन्तर्नियम के अनुच्छेद (संगम अनुच्छेद) के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 से कम तथा 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में निदेशक मंडल के सदस्यों की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. निदेशक मंडल का स्वरूप:

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार सीसीआई के निदेशक मंडल में 6 (छह) निदेशक हैं जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक, जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के नामिती निदेशक हैं, को शामिल करते हुए तीन प्रकार्यात्मक निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और श्रेणी, इस वर्ष आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम सभा में निदेशकों की संख्या के साथ-साथ अन्य कंपनियों में निदेशक का पद धारित करने तथा समिति (लेखापरीक्षा समिति) में उनकी हैसियत आदि के विवरण **सारणी 1** में दिए गए हैं।

कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की नौ बैठकों क्रमशः 12.04.2017, 29.06.2017, 25.07.2017, 12.09.2017, 20.09.2017, 21.11.2017, 15.12.2017, 27.02.2018 और 20.03.2018 को आयोजित की गई तथा निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं था।

iii. निदेशक मंडल की बैठकों/समिति की सभाओं के लिए कार्यसूची तैयार करना और चयन करना :

निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके उपयुक्त नोटिस देने के बाद सभाएं आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान अर्थपूर्ण, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने में प्रबंधन की सुविधा के लिए विस्तृत कार्यसूची नोटिस, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। तात्कालिक महत्व के मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता होने पर लघुकालिक नोटिस पर भी सभाएं आयोजित की जाती हैं या अधिनियम अथवा इसके अनुच्छेदों में दिए गए यथालागू प्रावधानों के अनुसार उनके बीच परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

जहां कहीं भी इनकी गोपनीय प्रवृत्ति के कारण जब कभी किसी दस्तावेज को कार्यसूची नोटिस के साथ जोड़ना व्यवहारिक नहीं होता है, तो विशेष और अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में अतिरिक्त या संपूरक विषय से संबंधित ऐसे दस्तावेज सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यसूची के दस्तावेज प्रकार्यात्मक निदेशक/सीएमडी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिचालित किए जाते हैं।

सदस्यों द्वारा सूचित निर्णय लेने की दृष्टि से उन्हें सक्षम बनाने के लिए बोर्ड/समिति की बैठकों में वित्त, प्रचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं।

बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच रखते हैं। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो वे कार्यसूची में समावेशन के लिए आवश्यक समझें। जब कभी आवश्यक होता है, बोर्ड द्वारा जिन मदों पर बातचीत की जा रही है, उन पर वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों को अतिरिक्त जानकारी (इनपुट) प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

iv. निदेशक मंडल की बैठको/समिति की सभाओं में कार्यवृत्त को अभिलेखबद्ध करना :

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त, कार्यवृत्त किताब में विधिवत रिकॉर्ड किए जाते हैं। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी पुष्टि के लिए परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड की समिति की

बैठक के कार्यवृत्त भी निदेशक मंडल की सूचना के लिए उनके समझ रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था/तंत्र :

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट आगामी सभाओं में प्रस्तुत की जाती है। यह एक प्रभावशील अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा/पुनर्विचार और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है।

vi. अनुपालन:

हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि जब कार्यसूची नोटिस तैयार किए जायें तो इसके लिए विधि के सभी यथालागू प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी यथालागू प्रावधानों तथा अलग-अलग विधियों के अंतर्गत अन्य विविध सांविधिक आवश्यकताओं / अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित अपेक्षित सूचनाएं बोर्ड को लगातार प्रदान की जाती हैं :

पूंजीगत बजट, वार्षिक योजना, समझौता ज्ञापन (एमओयू) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त

कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और हर्जाना नोटिस, यदि कोई हैं, जो वास्तविक दृष्टि से आवश्यक है

घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं

प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन

निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों और कार्यों आदि में उनके द्वारा उपयोग किए गए समिति के पदों और डायरेक्टरशिप के बारे में प्रकटन

बड़ी संविदाओं का अधिनिर्णय

विधि और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विषय सांविधिक प्रावधानों का तिमाही अनुपालन प्रमाणपत्र

समय समय पर निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित अन्य मामले

vii. गैर कार्यकारी निदेशकों को क्षतिपूर्ति / मेहनताना का प्रकटन :

कंपनी ने सरकारी नामिती निदेशकों को सीटिंग फीस का भुगतान नहीं किया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक 6000/- रु. (छह हजार रुपए मात्र) की दर से अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया।

viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता के विवरण

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप/प्रकटन (2015-16)
कार्यकारी निदेशक :			
1.	श्री मनोज मिश्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	सदस्य (स्कोप)
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद निदेशक (मानव संसाधन)	निदेशक (मानव संसाधन)	शून्य
3.	श्री एस. सक्तिमणी निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	शून्य
सरकारी नामिती निदेशक :			
4.	श्री ए. एम. मणिचन	सरकारी नामिती निदेशक	(1) इंटरमेंटेशन लिमिटेड (2) हिंदुस्तान केबिल्स लिमिटेड
5.	श्रीमती रितू पाण्डे ;27.02.2017 से द्ध	सरकारी नामिती निदेशक	(1) ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन (2) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (3) हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड (4) एचसीआई (5) हिंदुस्तान पेपर मिल्स लिमिटेड (6) प्रथम (एचईसी)
स्वतंत्र निदेशक			
6.	श्री महेंदर गुप्ता (29.06.2016 से)	स्वतंत्र निदेशक	मैसर्स केंटीनेंटल हाईजीन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड (भागीदर)

ix. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। सीसीआई की कार्यशैली से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण विकास सीसीआई के निदेशक मंडल (सरकारी) और (गैर सरकारी), जैसा भी मामला हो, सीसीआई के निदेशक मंडल में शामिल अंशकालिक निदेशकों को समय-समय पर सीसीआई प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

x. आचार संहिता

कंपनी व्यावसायिक नीतिशास्त्र के सर्वोच्च मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय को करने के प्रति और सभी अनुप्रयोग विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात की पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों ने आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

xi. जोखिम प्रबंधन और उसे न्यूनतम करने के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगमित और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संबद्ध है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, न कि निर्धारित समय में एक भिन्न कार्य के रूप में।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों

के अनुसार कंपनी में एक लेखापरीक्षा समिति होती है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. श्री महेंदर गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष के रूप में
2. श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन), सदस्य के रूप में
3. श्री ए. एम. मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य के रूप में उपर्युक्त लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 14.07.2016 को किया गया, जिसमें श्री महेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष एवं श्री ए.एम मनीचन और श्री बी.वी.एन प्रसाद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय सौंपे गए हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 12.04.2017, 29.06.2017, 20.09.2017, 12.09.2017, 20.09.2017, 15.12.2017 तथा 27.02.2018 को सात बैठकें आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज की गई:

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री महेंदर गुप्ता	7	7
श्री बी. वी. एन. प्रसाद	7	7
श्री ए. एम. मणिचन	7	5

4. मेहनताना समिति

सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान जैसे मेहनताना और भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा और उनकी नियुक्ति / संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि लोक उद्यम विभाग यह निर्देश दे चुका है कि प्रत्येक सीपीएसई एक मेहनताना समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक द्वारा की जाएगी जो सभी कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय भुगतान नीति तय करेगी।

वर्ष 2017-18 के दौरान मेहनताना समिति की दिनांक 12.04.2017, 29.06.2017, 12.09.2017, 27.02.2018 और 20.03.2018 को पांच बैठकें आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज की गई :

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री महेंदर गुप्ता	5	5
श्री बी. वी. एन. प्रसाद	5	5
श्री ए. एम. मणिचन	5	5

मेहनताना समिति का दिनांक 14.07.2016 से निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया :

1. श्री महेंदर गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष के रूप में
2. श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन), सदस्य के रूप में
3. श्री ए. एम. मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य के रूप में

5. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण निम्नलिखित है:- (रु. लाख में)

क्र. सं.	नाम	वेतन और भत्ता	अन्य लाभ	निष्पादन प्रोत्साहन	परिलब्धियों का मूल्य	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1.	श्री मनोज मिश्रा	24.76	5.32	0.00	0.00	0.91	2.61	33.6
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद	22.66	4.05	0.00	0.00	0.39	2.39	29.49
3.	श्री एस. सक्तिमणि	20.30	3.62	0.00	0.00	0.17	2.14	26.23
	कुल	67.72	12.99	0.00	0.00	1.47	7.14	89.32

5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ;सीएसआर समिति होना आवश्यक है। कंपनी में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक है। तदनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ;सीएसआर समिति का गठन निम्नलिखित निदेशकों को शामिल करते हुए किया गया है रु.

1. श्री महेंदर गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष के रूप में
2. श्री ए. एम. मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य के रूप में
3. श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन), सदस्य के रूप में

वर्ष 2017-18 के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ;सीएसआर समिति की दिनांक 12.04.2017 और 21.09.2017 को दो बैठकें आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज की गई :

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री महेंदर गुप्ता	2	2
श्री बी. वी. एन. प्रसाद	2	2
श्री ए. एम. मणिचन	2	2

6. शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति

सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और पूरी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित द्वारा धारित की जाती है। अतः ऐसी किसी भी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

8. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

9. वार्षिक आम सभा

पिछले तीन सालों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

वार्षिक आम सभा	51वीं वार्षिक आम सभा	52वीं वार्षिक आम सभा	53वीं वार्षिक आम सभा
तारीख और समय	30 सितम्बर, 2015 को दोपहर 12.30 बजे	27 सितम्बर, 2016 को दोपहर 12.15 बजे	20 सितम्बर, 2017 को दोपहर 3.00 बजे
स्थान	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली – 110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली – 110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली – 110003
परित किया गया विशेष संकल्प (संकल्पों)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

10. प्रकटन

i. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

कंपनी ने निदेशकों या उनके ऐसे संबंधियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुक्रम में अलग-अलग निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन) के साथ ऐसे कोई संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किया है, जो कंपनी के साथ बड़े स्तर पर संभावित हित रखते हैं।

ii. कानुनों का अनुपालन :

मई 2010 में निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं।

कंपनी पर पिछले तीन साल के दौरान विधि के तहत अननुपालन के लिए किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

संविदागत अपेक्षाओं के अनुरूप नियुक्ति की शर्तों के अनुसार नियत खर्चों के अतिरिक्त निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया गया है।

iii. लेखांकन उपचार :

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लिए अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणी और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखांकन मानकों का अनपालन किया है।

iv. राष्ट्रपति जी के निर्देश :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और पिछले तीन साल के दौरान राष्ट्रपति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

11. सतर्कता

सीसीआई पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए तथा सतर्कता अनुभाग, सीसीआई द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए सुलभ है। सीसीआई का सीवीओ की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग भी है।

12. संप्रेषण के साधन

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.ccilttd.in पर पोस्ट कर दिया गया है। कंपनी समय-समय पर सीसीआई की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण निगमित निर्णयों और गतिविधियों पर सरकारी समाचार भी प्रायोजित करती है।

13. व्हिस्ल ब्लोअर नीति

अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहात्मक धोखाधड़ी या नीति के अतिक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त करने हेतु कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। कर्मचारी कंपनी के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक जोकि कंपनी के व्हिस्ल ब्लोअर नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं तक सीधी पहुंच रखते हैं। व्हिस्ल ब्लोअर नीति कंपनी की सरकारी वेबसाइट www.ccilttd.in पर पोस्ट कर दी गई है।

14. अनुपालन प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों के रूप में निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले पूर्णकालिक अभ्यास में कंपनी सचिव, मैसर्स अमित अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स से प्राप्त प्रमाणपत्र, उनकी टिप्पणियां और अवलोकन के अध्यक्षीन है जो यहां **अनुबंध** के रूप में संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

(मनोज मिश्रा)
(अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 26 सितम्बर, 2018

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०

नई दिल्ली-110003

- हमने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2010 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों (समय-समय पर यथासंशोधित) में किए गए उल्लेखानुसार 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर - 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
- निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके अनुपालन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की कोई लेखापरीक्षा है और न ही उन पर व्यक्त किया गया कोई दृष्टिकोण है।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर डीपीई के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेखों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:
 - वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक नहीं था।
 - डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक है।
- हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही ऐसी कोई दक्षता अथवा प्रभावशीलता है, जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

कृते अमित कुमार एंड एसोसिएट्स :

(कंपनी सचिव)

हस्ता/-

एफसीएस-अमित अग्रवाल

(स्वामी)

सी पी संख्या 3647

स्थान : दिल्ली

तारीख : 09.07.2018

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

1. सिंहावलोकन और दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर उन्नत आर्थिक देशों ने 2016 से अपनी विकास गति को और बढ़ाते हुए अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया। निवेश के अच्छे प्रवाह से समर्थित एशियाई विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक रूप से बेहतर व्यापार देखा गया।

ज्यादा पीछे न होते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भी वर्ष 2018 के लिए 7.4% रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ने भी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019 में 7.8% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगी।

भारत, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, ने पिछले 5 वर्ष के दौरान 90 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता जोड़ी है। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि काफी लंबे समय से चली आ रही कम मांग के बाद उद्योग में सीमेंट की मांग बढ़ी है। अवसंरचना के विकास पर सरकार का जोर इस वृद्धि का प्रमुख चालक बना हुआ है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास योजना का भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमेंट की खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

इस वर्ष जीएसटी भी लागू किया गया, जो कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के बाद लागू की गई एकल एवं सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था है। एक तिमाही के लिए मौजूदा समस्याओं के कारण भावनाएं धराशायी हुईं। तथापि सीमेंट की मांग में थोड़ा उछाल आया है। इस वर्ष भारत ने "व्यापार की सहूलियत सूचकांक" के लिए विश्व बैंक की रिपोर्ट में 130 के बजाय 100वां स्थान हासिल कर बेहतर प्रदर्शन किया है और अपनी रैंक में 30 अंकों का सुधार किया है। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का अंतर्वाह बेहतर रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक की रिपोर्ट को भी इस नजर से देखा जाए कि मूडी ने भारत की संप्रभु रेटिंग बीएए3 से बीएए2 कर दी है।

2. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बावजूद भी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्ष दर वर्ष लगातार लाभ अर्जित कर रहा है, तथापि, इसका निबल लाभ गत वित्तीय वर्ष में रु. 42.33 करोड़ से घटकर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 17.99 करोड़ हो गया है। सीमेंट का डिस्पैच गत वित्तीय वर्ष में 7.91 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 52: क्षमता सदुपयोग के साथ 7.53 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

3. जोखिम और चिंताएं

जोखिम प्रबंधन के तहत व्यापार वातावरण प्रचालनरत नियंत्रण और अनुपालन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख जोखिमों का आकलन जोखिम पहचान और वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन केवल खतरे के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जोखिम के संभावित अवसरों की पहचान भी की जाती है। कंपनी ने आपके संगठन के लिए निम्नलिखित जोखिमों की पहचान की है :

क) **प्राथमिक कच्चा माल और ऊर्जा लागत** : चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन के लिए एक आवश्यक प्राथमिक कच्चा माल है। सीसीआई की सभी तीन ऑपरेटिंग इकाइयों में चूना पत्थर आदि के लिए अपनी कैप्टिव खानें हैं। हालांकि, किफायती कीमतों पर कोयले की उपलब्धता ऊर्जा लागत को प्रभावित करती है क्योंकि सीमेंट एक ऊर्जा गहन उद्योग है। वैश्विक मांग परिदृश्य द्वारा संचालित होने के कारण वर्ष के दौरान ईंधन की कीमतों में वृद्धि जारी रही। हम कोयले की कीमत में बढ़ोतरी के दबाव को कम करने के लिए पेट कोक के मिश्रण का उपयोग करने की प्रक्रिया भी शुरू करने वाले हैं।

सीसीआई बिजली की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा बचत उपकरणों को स्थापित करने की प्रक्रिया भी है। ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए अन्य उपायों में ऊर्जा कुशल मोटरों के साथ ऊर्जा अक्षम मोटरों का प्रतिस्थापन अधिकतम मांग के प्रभावी नियंत्रण के लिए मांग नियंत्रकों की स्थापना और प्री-हीटर टावर में ऑक्सीजन के प्रतिशत को इष्टतम स्तर पर बनाए रखने के लिए रिसाव को रोकना शामिल हैं। पारंपरिक लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और ऊर्जा लागत को कम करने और संगठन के कार्बन पदचिह्नों को कम करने के लिए सौर प्लांटों का प्रस्ताव भी पाइपलाइन में हैं।

ख) **कम मांग और क्षमता** : सीमेंट उद्योग विशेष रूप से दक्षिणी बाजारों में अधिक क्षमता से प्रभावित हुआ है। इसके सीमेंट की कीमतों पर दबाव बनाए रखने की संभावना है, इस प्रकार इससे निचले स्तर पर असर पड़ने की उम्मीद है।

ग) **प्रतियोगिता** : सीमेंट बाजार में नए खिलाड़ियों (कंपनियों) के प्रवेश और मौजूदा खिलाड़ियों द्वारा क्षमता विस्तार के साथ भारतीय सीमेंट बाजार जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है में प्रतिस्पर्धा एक चुनौती बनी हुई है। बढ़ी

हुई प्रतिस्पर्धा से मार्जिन और बाजार के शेयरों पर दबाव पैदा हो सकता है। सीसीआई उन्नत विपणन गतिविधियों के माध्यम से अपनी ब्रांड इक्विटी बढ़ाने और गुणवत्ताए वितरण कार्यक्रम और ग्राहक संतुष्टि के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रयासों को भी जारी रखता है।

- घ) **परियोजना निष्पादन** : आपकी कंपनी ने सीमेंट की कमी वाले देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोकाजन इकाई का विस्तार किया है। इस विस्तार परियोजना के समक्ष समय अनुसूची के बढ़ने (टाइम ओवररन्स) का जोखिम है। किसी भी समय के बढ़ने से राजस्व प्रभावित हो सकता है और देरी की अवधि के लिए लाभ कम हो सकता है।
- ड) **मानव संसाधन** : कर्मचारियों की निरंतर सेवानिवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने में कंपनी की योग्यता प्रतिभागों को आकर्षित करने, कंपनी में उन्हें रोक कर रखने और उनकी प्रतिभा में निखार लाने की क्षमता/दक्षता पर निर्भर करती है। इसके विपरीत अपेक्षित प्रतिभावान संसाधनों की कमी और अनुपलब्धता सीसीआई के निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सीसीआई उद्योग जगत में लागू की गई पिछली मानव संसाधन प्रक्रियाओं की लगातार बेंच मार्किंग कर रहा है और प्रतिभागों को आकर्षित करने तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक सुधार कर रहा है।
- च) **नियामक और अनुपालन**: देश में कभी भी विकसित नियामक ढांचे के साथ अननुपालन और जुर्माना का जोखिम बढ़ा हो जाता है और इसमें प्रतिष्ठा का जोखिम भी निहित होता है। कंपनी विनियामक ढांचे में किए जाने वाले विकास की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है तथा लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। प्रचालन प्रक्रियाओं और और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा टीम की सिफारिशों को भी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और व्यवसाय/उद्योग प्रचालन प्रक्रियाओं के सुदृढीकरण हेतु टूल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षकों की

सिफारिशों को लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार लागू किया जाता है।

6. सीएसआर नीति

कंपनी की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया

7. अन्य प्रकटन

केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश के अध्याय-7 में प्रावधान किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अथवा उसके साथ एक अतिरिक्त संलग्नक के रूप में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न मामलों पर कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के आधार पर निर्धारित सीमाओं के भीतर चर्चा-परिचर्चा शामिल होती है। जहां तक क्षेत्रवार और उत्पादवार निष्पादन का संबंध है, कंपनी केवल एक क्षेत्र अर्थात् सीमेंट के विभिन्न ब्रांडों का व्यवसाय करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों तथा पर्यावरण संरक्षण और रक्षा, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण जैसे मुद्दों को निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

उपसंहार

सीमेंट उद्योग की वृद्धि की संभावना अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़ी हुई है। अल्पकालिक दृष्टिकोण अभी भी चुनौतीपूर्ण ही हैं। तथापि सीमेंट उद्योग के लिए दीर्घावधि चालक यथावत बने हुए हैं। मुख्यतः सरकार का मुख्य ध्यान अवसंरचना विकास तथा परिसंपत्तियों के उपयोग पर है, जो सीमेंट उद्योग के लिए एक अच्छा संकेत है।

एहतियाती वक्तव्य

‘प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण में दिए गए विवरण कंपनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों एवं अनुमानों को दर्शाने वाले अग्रवर्ती तथा प्रगतिशील विवरण हैं, जो लागू सुरक्षा कानूनों एवं विनियमों से परिपूर्ण हैं। वित्तीय स्थिति, शासकीय नीतियों एवं अन्य प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार वास्तविक परिणाम व्यक्त अथवा इंगित किये गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

दस वर्ष की स्थिति

रु. लाख में

विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
लाभ और हानि विवरण										
बिक्री और प्रेषण स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	33,075	33317	38,711	39141	31360	30218	35613	30286	33426	32,356
असाधारण आय सहित अन्य आय	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893	3462	4402
खपत किया गया कच्चा माल	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969	3630	3412
खपत किया गया भंडार और पैकिंग सामग्री	1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703	1640	1670
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997	4597	5724
ब्याज	261	225	223	297	295	446	911	3683	3752	3738
मूल्यहास	608	665	790	636	906	811	744	774	899	1107
अन्य विनिर्माण खर्च	24,812	25,553	25404	26,668	24184	20,523	23451	18,340	17095	15,852
लाभ (+) / हानि (-)	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713	5275	5255
तुलन पत्र										
प्रदत्त शेयर पूंजी*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140	81140	81140
आरक्षित भंडार और अधिशेष	(78,846)	(80,690)	(84,923)	(90274)	(93,736)	(95356)	(96,167)	(98110)	(100,823)	(106,098)
ऋण	28100	29600	37,338	37,338	37,338	37,338	37,338	37172	46,875	44,083
थनबल स्थाई परिसंपत्तियां	10,418	11,449	11,919	12,169	12,741	12,911	9863	10,224	10734	11474
वर्तमान परिसंपत्तियां	41100	43316	44,525	40,394	38,412	40,710	42,486	39,269	49,033	41,763
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	31,399	33,481	30,552	32,026	33813	37033	35,737	33137	36059	37404
पूंजी डब्ल्यूआईपी	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051	1577	1329
अन्य परिसंपत्तियां (डीआरई सहित)	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795	1907	1963
नियोजित पूंजी	23875	21,284	25,890	20,535	17,338	16,588	16,612	16,356	27533	19,499
कर्मचारियों की संख्या	640	665	747	813	907	906	907	988	1078	1159

*रु. 45,598 लाख के इक्विटी शेयर और रु. 35,543 लाख के रिडीम किए जाने योग्य प्राथमिकता शेयर शामिल हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,

सदस्य,

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कंपनी)** सीआईएन संख्या— यू74899डीएल 1965 जीओआई 004322 के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें **31 मार्च, 2018** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त सूचना का सारांश शामिल हैं। इसमें ग्यारह यूनितें (मांढार, तान्दूर, चरखी-दादरी, अलकतरा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुर्कुटा, आडिलावाद, बोकाजन, सिल्वर ग्राइंडिंग यूनिट) जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई और राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और निगमित कार्यालय, जिनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, शामिल हैं। यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों का अनुपालन करने के लिए जारी की गई है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने; उपर्युक्त लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने, ऐसे निर्णय करने और अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त।

लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हैं, जो उचित और तत्परक हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी इसमें शामिल है,

जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए और जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों पर विचार किया है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही तस्वीर प्रस्तुत करने पर विचार करता है, जो वित्तीय विवरणों की कंपनी द्वारा तैयारी के संबंध में ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने में सहायक होते हैं, जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपर्युक्त हैं और सही तथा स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों की उपर्युक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपर्युक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

अर्हतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार

- क. कंपनी के पक्ष में कुछ यूनिटों की भूमि के अधिकार और पट्टा अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित हैं तथा भूमि संबंधी विवरणों का पुनर्मिलान किया जाना है अर्थात् वे पुनर्मिलान के अधीन हैं। इसके अलावा डीड ने दिनांक 11.04.2017 को 14.20 एकड़ भूमि एसडीएमसी को स्वमेव हस्तांतरित की और हस्तांतरण की लागत बाह्य पक्षकार से वसूल करने योग्य दावे में स्थानांतरित की गई। रेलवे साइडिंग के लिए आबंटित 6.74 एकड़ भूमि का वास्तविक (भौतिक) कब्जा अभी नहीं किया गया, जो अभी भी कंपनी के पास है। [नोट संख्या 30 का बिंदु सं. 3 देखें]।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि, जिसका प्रयोग पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क मार्ग के रूप में किया गया है, के संदर्भ में एलीनेशन आदश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देयता का निर्धारण न करने और उसके लिए प्रावधान न करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है [नोट 30 का बिंदु सं. 5 देखें]।
- ग. पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येर्रागुंतला यूनिट के संदर्भ में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित असंगतताओं के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है [नोट 30 का बिंदु सं. 12 देखें]।
- घ. व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों और उनसे प्राप्त होने वाली राशियों और अन्य देयताओं की बकाया राशियों की पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है। पुनर्मिलान न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है [नोट 30 का बिंदु सं. 21 देखें]।
- ङ. कंपनी की 7 फ़ैक्टरियां और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी कंपनी की एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ में नोट 30 के बिंदु संख्या 11 में ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के इंपेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपत्तियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक है [नोट 30 का बिंदु सं. 11 देखें]।

- च. कार्पोरेशन ने 22 मार्च 2007 को 07 (सात) वर्ष के लिए 355.43 करोड़ रुपए मूल्य के प्रत्येक 100 रुपए के 3554325 संघयी रिडिमेबल प्राथमिकता शेयर भारत सरकार को जारी किए थे। जारी किए जाने की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्राथमिकता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले रिडीम किया जाना था, जो जारी किए जाने की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मंत्रिमंडल/बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्राथमिकता शेयर जारी करने के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है [नोट 30 का बिंदु सं. 13 देखें]।
- छ. कंपनी द्वारा विभिन्न पक्षकारों के विरुद्ध दायर किए गए 73.14 करोड़ रुपए के दावों और प्रतिदावों, जो न्यायालयों आदि में लंबित हैं/माध्यस्थों के अधीन हैं, के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया। चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस चरण पर इनका आकलन नहीं किया जा सकता है [नोट 30 का बिंदु सं. 1 देखें]।
- ज. नोट सं. 29 में कंपनी ने विभिन्न दावों के संदर्भ में कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरुद्ध दावों के रूप में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत 340.28 करोड़ रुपए की राशि शामिल की है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इस चरण पर इसके परिणाम की गणना नहीं की जा सकती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अर्हता दृष्टिकोण वाले पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मामला पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में संदर्भित निम्नलिखित मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (क) कंपनी के वित्तीय विवरण जारी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जबकि :

- I. इसे रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 31 के खंड (ओ) के अर्थ में एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया है।
- II. कंपनी की संचित हानियां इसकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों से अधिक हो गई हैं।
- III. बीआईएफआर ने नयागांव विस्तार योजना के अंतर्गत दो यूनिटों सहित कंपनी की 7 फैक्टरियों की बिक्री के लिए दिनांक 3 मई 2006 के अपने आदेश के अनुक्रम में एक योजना स्वीकृत की है।

कंपनी की एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में प्रचालन बनाए रखने की योग्यता/क्षमता बीआईएफआर पैकेज में यथा परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर काफी हद तक निर्भर है ख नोट 30 का बिंदु संख्या 9 देखें, वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं किया गया है, जो कंपनी जारी प्रतिष्ठान के रूप में अपना प्रचालन जारी न रख पाने की स्थिति में आवश्यक हो सकती है।

(ख) मूल्यांकन वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए मूल्यांकन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत पूरे किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भत्तों का नुकसान हुआ है। इसके फलस्वरूप कंपनी की मूल्यांकित और आगे लाई गई हानियों में 973.00 करोड़ रुपए की कमी दर्शाई गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की थी। अपीलीय प्राधिकारियों ने दिनांक 23.12.2016 के आदेश के जरिए आदेशों को निरस्त कर दिया और दोनों वित्तीय वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता अणिकारी फिर से भेजा [नोट 30 का बिंदु संख्या 2 (ii) देखें]।

(ग) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 के आदेश के जरिए अनुमोदित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) को 2 (दो) चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007-08 तक पूरा किया जाना था, जिसे 07 (सात) गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से कार्यान्वित करने की योजना थी, अब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। तथापि, नीति आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री का कार्य प्रगति पर है [नोट 30 का बिंदु संख्या 11 देखें]।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के मद में 9.00 लाख रुपए की राशि खर्च की, इस प्रकार पिछले 3 वर्ष के औसत निबल लाभ के आधार पर 82.00 लाख रुपए की राशिऐसी है, जो खर्च नहीं की गई है [नोट 30 का बिंदु संख्या 23 देखें]।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार यथाआवश्यक और कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपर्युक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने इस रिपोर्ट के **अनुबंध-क** में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।
2. हम कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपर्युक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों/उप निदेशों के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;
 - (ख) हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है;
 - (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात् उनसे मेल खाते हैं;
 - (घ) हमारे दृष्टिकोण में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

- (ड) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुक्रम में भारत सरकार की एक कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कार्पोरेशन के लिए लागू नहीं हैं।
- (च) हमारे अवलोकनों के अनुसार ऐसे कोई भी वित्तीय लेनदेन अथवा मामले नहीं हैं, जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनरत प्रभावशीलता के संदर्भ में कृपया “अनुबंध-ख” में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।
- (ज) हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है— वित्तीय विवरणों पर नोट संख्या 29 देखें;

- कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं कीं, जिसके लिए कोई बड़ी दृश्य हानियां हुई हों।
- ऐसी कोई भी निधियां नहीं पाई गईं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता रही हो।
- विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की धारिता के साथ साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटन की आवश्यकता 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए लागू थी, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लागू नहीं हैं। इस प्रकार इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

(सीए पी. बी. कपूर)

भागीदार

सदस्यता सं. 010858

स्थान: दिल्ली

तारीख : 06 सितम्बर, .2018

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें।

ऐसी जांच के आधार पर जिन्हें हमने उपर्युक्त समझा है और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I. इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

- (क) कॉर्पोरेशन ने स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।
- (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन संबंधी चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों (कुछ यूनिटों में छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है जो हमारे दृष्टिकोण से स्थाई परिसंपत्तियों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन का प्रावधान प्रतीत होता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई।
- (ग) शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार कुछ यूनिटों को छोड़कर अचल परिसंपत्तियों के मालिकाना हक विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। खनोट 30 का बिंदु संख्या 3 देखें।

II. इसकी इन्वेंटरी के संदर्भ में:

- (क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार फ़ैक्टरी में कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध तैयार वस्तुओं और ए तथा बी श्रेणी के स्टोर एवं कलपुर्जों की इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन का संबंध है, तो प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा कम से कम एक बार अवश्य किया जाता है। जहां तक कलपुर्जों की श्रेणी ‘सी’ के अंतर्गत आने वाली इन्वेंटरी का संबंध है, तो भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के ब्लॉक में कम से कम एक बार अवश्य किया जाए। तदनुसार ऐसी इन्वेंटरी के एक भाग का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया। ऐसी कोई इन्वेंटरी नहीं हैं, जो तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी हों।
- (ख) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इन्वेंटरी का उचित रिकॉर्ड तैयार किया है और भौतिक सत्यापन

पर बही रिकॉर्डों की तुलना में कोई बड़ी त्रुटियां/कमियां नहीं पाई गई।

- III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य कंपनियों/पक्षकारों को स्वीकृत किए गए सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संदर्भ में:
- हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी अथवा अन्य पक्षकारों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं स्वीकृत किया है; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 2 (iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- IV. ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
- V. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं और न ही उसके पास ऐसी कोई जमा राशियां हैं, जिनके बारे में कोई दावा न किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3 (अ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए यथाविहित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा यह मानना है कि कंपनी ने प्रथम दृष्टया विहित लागत रिकॉर्ड तैयार किए हैं और उन्हें बनाए रखा है। हालांकि हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे परिशुद्ध अथवा पूर्ण है या नहीं।
- VII. सांविधिक देयताओं के संदर्भ में:
- (क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर संग्रहित कर, व्यवसायिक कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर (वैट), सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और इसके लिए यथालागू अन्य बड़ी सांविधिक देयताओं सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संगत प्राधिकारियों को नियमित रूप से किया है। निम्नलिखित अविवादित मामलों में तुलन पत्र की तारीख को भुगतान बकाया राशियों/एरियर के रूप में है जो उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय है:

संविधि का स्वरूप	देयता का स्वरूप	राशि (लाख रु. में)
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	4162.32
निगमित कर	एनएएलए कर	70.05
निगमित कर	संपत्ति कर	788.73
सेवा कर	सेवा कर	2.29
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	11.20
निगमित कर	रॉयल्टी	1046.91
निगमित कर	प्रवेश कर	5.53
आय कर	आयकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.23
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	18.51
स्थानीय बिक्री कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	4.35
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951	सीमेंट पर उपकर	18.03
खनन संबंधी देयताएं	खनन विभाग	225.03

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उप कर और अन्य बड़ी सांघिक देयताएं 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार एरियर के रूप में देय/ बकाया नहीं हैं, जो भुगतान हेतु उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय हैं:

विवरण	देयता का स्वरूप	कहां लंबित है?	राशि (लाख रु. में)
बिक्री कर	बिक्री कर	एपीएसटी अधिकरण/ वित्त आयुक्त/उपर्युक्त पदाधिकारी	1557.96
ईएसआई का अंशदान	संविदा श्रमिकों पर ईएसआई का अंशदान	माननीय बीआईएफआर और क्षेत्रीय निदेशक/ ईएसआईसी	72.84
आयकर शास्त्र	बेमेल मांग	आयकर आयुक्त	49.29
संपत्ति कर	संपत्ति कर	स्थानीय पंचायत	175.30
सेवा कर	जीटीए सेवा	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	38.73
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	अपीलीय प्राधिकारी	538.70

VIII. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी कंपनी ने देयताओं के संदर्भ में ऋणों के मूलधन और उस पर संचित ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है, जिसके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

विवरण	राशि लाख रुपए में	चूक की अवधि
अंतर – निगमित ऋण	625.00	15 वर्ष से अधिक अवधि से
ब्याज सहित भारत सरकार की राशि	27475.00	वर्ष 2011 से

- X. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है अथवा वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।
- XI. हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार कॉर्पोरेशन में लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी धोखाधड़ी नहीं पाई गई अथवा कॉर्पोरेशन पर कोई बड़ी धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई।
- XII. अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं होते हैं। तदनुसार आदेश के खंड 3(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XIII. कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है और इसके लिए निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती हैं, अतः तदनुसार आदेश के खंड 3(xii) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XIV. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और कंपनी (लेखाद्ध नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) 18% संबंधित पक्षकार प्रकटन के तहत यथावश्यक वित्तीय विवरणों का प्रकटन राज्य के नियंत्रणाधीन निकायों के लिए यथालागू सीमा तक किया गया है।
- XV. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेरों अथवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई प्राथमिक आबंटन अथवा निजी स्तर पर कोई नियोजन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XVI. कंपनी ने इसके निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेनदेन नहीं किए हैं। तदनुसार आदेश के खंड 3(xv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XVII. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. 010858

स्थान: दिल्ली
तारीख: 06 सितम्बर, 2018

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”)की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**, “**सीडी कंपनी**” के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ – साथ उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की भी लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कॉर्पोरेशन की नीतियों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने; लेखांकन रिपोर्टों की परिशुद्धता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथावश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना सहित क्रमबद्ध ढंग से और दक्षतापूर्वक इसके व्यापार का संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 ;10 के अंतर्गत यथाविहित माना गया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए उस सीमा तक लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा

जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम सैद्धांतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन योजना इस प्रकार तैयार करें जिससे कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया तथा सभी मूल संदर्भों में ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में जानकारी (समझ) प्राप्त करना, ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करना शामिल है कि वहां कोई बड़ी चूक या कमजोरी हुई है तथा मूल्यांकित जोखिमों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन को भी शामिल किया गया। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करने की दृष्टि से हमने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, वे पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसका आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन देने के लिए डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो

- (1) ऐसे रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेनों और जमा राशियों की परिशुद्ध और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती हैं;
- (2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए यथावश्यक लेनदेनों को रिकार्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किया जा रहा है; और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, इस्तेमाल अथवा जमा करने के संबंध में समय पर पता लगाने अथवा उनकी रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतरनिहित सीमाएं

नष्ट होने की संभावना अथवा अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण नियंत्रणों पर अतिव्याप्ति, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण बड़ी और गलत जानकारी देने की घटना घटित हो सकती है और यह भी संभव है कि उसका पता भी न चले। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग

पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन संबंधी पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर (डिग्री) प्रभावित हो सकता है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में कंपनी के पास सभी वास्तविक संदर्भों में सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. 010858

स्थान: दिल्ली
तारीख: 06 सितम्बर, 2018

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निर्देशों के लिए अनुपालन रिपोर्ट

1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख (लीज डीड) उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कृपया ऐसी फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें, जिसके लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 के बिंदु संख्या 3 में रिपोर्ट की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि के संबंध में स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा अपने पक्ष में ऐसी भूमि का स्पष्ट अधिकार प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।
2.	क्या कर्जों/ ऋणों/ ब्याज आदि में छूट दिए जाने अथवा उन्हें बट्टे खाते में डाले जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कृपया उसके कारण बताएं और यह भी बताएं कि ऐसे मामलों में कितनी राशि शामिल थी ?	वर्ष के दौरान कंपनी ने बकाया देनदारियों का निराकरण किया है 5.37 करोड़ रुपए की छूट प्राप्त की है।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों और तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी वस्तुओं (इंवेंटरी) के लिए उचित रिकॉर्ड रखा गया है?	कंपनी में तृतीय पक्षकार के पास कोई भी बड़ी इंवेंटरी नहीं पड़ी है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार और अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्तियां प्राप्त नहीं की हैं।

अनुबंध-11

वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत यथावश्यक उप निदेश

कंपनी के लेखाबहियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर और/अथवा सूचना नीचे दिए अनुसार हैं:

1. कर्मचारी लाभ

कॉर्पोरेशन के लिए सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात ग्रेच्युटी, छुट्टी संराशिकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के संबंध में देयता के लिए प्रावधान करने हेतु आवश्यक सूचना और जानकारी अर्थात कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति की आयु और छूट की दर के संबंध में ऐक्चुअरी के द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों, भविष्य में बढ़ने वाली लागत, मृत्यु दर आदि के बारे में ऐक्चुअरी को उपलब्ध करायी गयी सूचना/इनपुट का विधिवत सत्यापन वास्तविक मूल्यांकन के साथ किया गया है और इसे उचित पाया गया है।

2. बीआईएफआर योजना

कंपनी को माननीय बीआईएफआर द्वारा अपने दिनांक 08.08.96 के पत्र संख्या 501/96-बेंच IV एसओएल के जरिए रुग्ण उद्यम घोषित किया गया। माननीय बीआईएफआर ने अपनी दिनांक 21.03.2006 को आयोजित सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना को अपना अनुमोदन प्रदान किया। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 को परिचालित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित और असुरक्षित क्रेडिटर्स के समाधान और तीन प्रचालनरत प्लांटों के विस्तार/प्रौद्योगिकीय उन्नयन के साथ-साथ शेष 7 गैर प्रचालनरत प्लांटों को बंद करने/उनकी बिक्री की परिकल्पना की गई। स्वीकृत योजना के अनुसार 7 यूनिटों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आगे स्वीकृत की गई योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र और लाभ एवं हानि विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
I.	इक्विटी और देनदारियां			
1)	शेयरधारकों की निधियां			
	क) शेयरपूंजी	1	81141	81141
	ख) आरक्षित और अधिशेष	2	(78846)	(80690)
2)	शेयर अनुप्रयोग धनराशि, लंबित आवंटन		0	0
			-----	-----
			2295	451
3)	गैर चालू देनदारियां			
	क) दीर्घकालिक ऋण	3	15090	15715
	ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	25875	26688
	ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	7149	8043
			-----	-----
			48114	50446
4)	चालू देनदारियां			
	क) अल्पकालिक ऋण	6	625	1500
	ख) व्यापारिक देय राशियां	7	1581	1559
	ग) अन्य चालू देनदारियां	8	5837	6376
	घ) अल्पकालिक प्रावधान	9	3342	3200
			-----	-----
			11385	12635
	कुल		61794	63532
II.	परिसंपत्तियां			
1)	गैर चालू परिसंपत्तियां			
	क) स्थायी परिसंपत्तियां			
	i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	10418	11449
	ii) चालू पूंजीगत कार्य	11	8117	6706
	iii) अमूर्त परिसंपत्तियां – विकासाधीन	11 A	0	0
	ख) गैर चालू निवेश	12	228	228
	ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	2731	2752
	घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	14	41	41
	ङ) अपरिशोध्य व्यय	15	1931	1833
			-----	-----
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		23466	23009
2)	चालू परिसंपत्तियां			
	क) चालू निवेश	16	0	0
	ख) इवेंटरी	17	13955	13352
	ग) व्यापारिक प्राप्तियां	18	1177	1225
	घ) नकद और बैंक में शेष राशियां	19	17826	21695
	ङ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	20	4584	3415
	च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	786	836
			-----	-----
	कुल चालू परिसंपत्तियां		38328	40523
	कुल		61794	63532

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (नोट संख्या 32) और संलग्न नोट संख्या 1 से 31 वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में हैं।

हस्ता./-
मनोज कुमार पात्रा
वित्त प्रमुख

हस्ता./-
अजय कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

हस्ता./-
एस. शक्तिमनी
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 001676 एन

हस्ता./-
मनोज मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2018

हस्ता./-
(सीए पीबी कपूर)
भागीदार
सदस्यता संख्या . 010858

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	नोट सं.	01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
राजस्व			
I प्रचालन से राजस्व			
क) उत्पादों की बिक्री		32958	37254
घटाएं : उत्पाद शुल्क		813	3624
		-----	-----
		32145	33630
ख) अन्य प्रचालन राजस्व		156	114
प्रचालन से निबल राजस्व		32301	33744
II अन्य आय	22	5794	4228
III कुल राजस्व		38095	37972
व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	23	4224	4191
तैयार माल की इवेंटरी में परिवर्तन			
जारी कार्य और व्यापार में स्टॉक	24	(930)	313
कर्मचारी लाभ व्यय	25	6847	7690
अन्य व्यय	26	26430	27124
वित्तीय लागत	27	261	225
मूल्यहास और अमूर्तकरण	10	603	659
IV कुल व्यय		37435	40202
V आपवादिक और असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि)		660	(2230)
VI असाधारण मदें	28(A)	1139	6463
VII असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि)		1799	4233
VIII असाधारण मदें	28(C)	0	0
IX कर पूर्व लाभ/(हानि)		1799	4233
X निरंतर प्रचालनों का कर संबंधी खर्च		0	0
XI निरंतर प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		1627	1660
XII बाधित प्रचालनों से लाभ/(हानि)	28(D)	172	2573
XIII बाधित प्रचालनों से कर संबंधी खर्च		0	0
XIV बाधित प्रचालनों से लाभ/हानि (कर पश्चात)		172	2573
XV वर्ष के लिए लाभ/हानि		1799	4233
XVI प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)		14	(49)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (नोट संख्या 32) और संलग्न नोट संख्या 1 से 31 वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में हैं।

हस्ता./-
मनोज कुमार पात्रा
वित्त प्रमुख

हस्ता./-
अजय कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

हस्ता./-
एस. शक्तिमनी
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

हस्ता./-
मनोज मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 001676 एन

हस्ता./-
(सीए पीबी कपूर)
भागीदार
सदस्यता संख्या . 010858

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2018

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	प्रचालनरत इकाईयां		गैर प्रचालनरत इकाईयां		योग	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
I.	प्रचालन गतिविधियों से नकद (कैश)						
	विवरण की अनुसार कर पूर्व निबल लाभ	1627	1660	172	2573	1799	4233
	जोड़ें : समायोजन के लिए						
	मूल्यहास और ऋणमोचन (निबल)	476	532	132	133	608	665
	स्थायी परिसंपत्तियों के निपटान से लाभ	0	(1)	0	0	0	(1)
	ऋण व अग्रिमों के बट्टे खाते के लिए प्रावधान के लिए	57	14	235	0	292	14
	वित्त लागत	148	113	113	112	261	225
	डी आर ई समायोजन	224	176	0	0	224	176
	घटाएं रू.						
	आय ब्याज व अन्य प्राप्तियां	(3291)	(3209)	(711)	(720)	(4002)	(3929)
	अन्य-अत्यधिक प्रावधान वापसी	(1181)	(247)	(611)	(51)	(1792)	(298)
	आपवादिक आय	0	(6463)	(1139)		(1139)	(6463)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ रू.						
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन:	(1940)	(7425)	(1809)	2047	(3749)	(5378)
	परिचालित परिसंपत्ति में कमी/वृद्धि के लिए समायोजन:						
	वस्तुसूची	(741)	143	138	0	(603)	143
	व्यापारि प्राप्तियां	48	(86)	0	0	48	(86)
	अल्प कालिक और दीर्घ कालिक ऋण और अग्रिम	19	(490)	(82)	(2)	(63)	(492)
	अन्य चालू परिसंपत्तियां	50	0	0	0	50	0
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0
	परिचालित देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन:						
	व्यापारिक प्राप्तियां	31	392	(9)	9	22	401
	अन्य दीर्घ कालिक चालू देयताएं	(219)	1586	(597)	(174)	(816)	1412
	अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक प्रावधान	789	1188	36	12	825	1200
	डी आर ई (परिवर्धन)	(322)	(198)	0	0	(322)	(198)
	प्रचालन गतिविधियों से निबलनकदी	(2285)	(4890)	(2323)	1892	(4608)	(2998)
II.	निवेश गतिविधियों से नकदप्रवाह (कैश फ्लो)						
	अचलपरिसंपत्तियों की खरीद	(116)	(196)	0	0	(116)	(196)
	ब्याज एवंअन्य प्राप्तियां	3291	3390	712	720	4003	4110
	अचलपरिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	0	1	0	0	0	1
	कार्यप्रगतिपर	(1645)	(1081)	0	0	(1645)	(1081)
	निवेश गतिविधियों से निबल नकदी	(755)	(2776)	(1611)	2612	(2366)	(164)
III.	वित्तीय गतिविधियों से कैश						
	शेयर पूंजी	0	0	0	0	0	0
	गैर प्रचालनरत इकाईयों को निधि का अंतरण	(1614)	2619	1614	(2619)	0	0
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	45	0	0	0	45	0
	प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋण	(1500)	(1275)	0	0	(1500)	(1275)
	ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	0	0	0	0	0	0
	ब्याज का भुगतान	(48)	(10)	0	0	(48)	(10)
	वित्तीय कार्यकलापों से प्राप्त निबल नकदी						
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निबल	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	वृद्धि (+) / कमी (-)	(3872)	(1442)	3	(7)	(3869)	(1449)
	नकदी एवं समतुल्य नकदी (प्रारंभिक)	21692	23134	3	10	21695	23144
	नकदी एवं समतुल्य नकदी (अंतिम)	17820	21692	6	3	17826	21695

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
नकदी एवं बैंक के शेष का पुनर्मिलान रु.		
नकदी हाथ में	2	1
चेक हाथ में	0	158
बैंक में जमा राशियां	14998	19171
चालू खाता	917	1359
बैंक बैलेंस जो कि अधीन है—प्रतिभूत	1609	706
साख पत्र	300	300
योग	17826	21695

- जब जब अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हुई, तो स्वयं के संसाधनों से इसकी पूर्ति करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- बैंकों में जमा राशि में रुपए 673.97 लाख (गत वर्ष 13942.01 लाख) जिनकी परिपक्वता (मैच्यूरिटी) अवधि 12 महीनों से अधिक है भी सम्मिलित है।

हस्ता./—
मनोज कुमार पात्रा
वित्त प्रमुख

हस्ता./—
अजय कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

हस्ता./—
एस. शक्तिमनी
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

हस्ता./—
मनोज मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या— 001676 एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2018

हस्ता./—
(सीए पीबी कपूर)
भागीदार
सदस्यता संख्या . 010858

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों से व्युत्पन्न उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है और इसे एतद्द्वारा नियमानुसार तैयार किया गया पाया है।

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या— 001676 एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2018

हस्ता./—
(सीए पीबी कपूर)
भागीदार
सदस्यता संख्या . 010858

नोट सं. 1 : शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
प्राधिकृत		
प्रत्येक रु.1000 के 5000000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000000 इक्विटी शेयर)	50000	50000
प्रत्येक रु.1000 के 4000000 (गत वर्ष 4000000) 0.01% गैर-संचयी	40000	40000
मोचन योग्य अधिमानी शेयर
	90000	90000
निर्गमित अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त		
प्रत्येक रु.1000 के पूर्णतः प्रदत्त 4559749 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4559749 इक्विटी शेयर)	45598	45598
प्रत्येक रु.1000 के 3554325 (गत वर्ष 3554325) 0.01% गैर-संचयी मोचन योग्य अधिमानी शेयर	35543	35543
कुल	81141	81141

वर्ष के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्गिलान

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	4559749	4559749
जोड़े : वर्ष के दौरान आवंटित किए गए शेयरों की संख्या	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	4559749	4559749

वर्ष के प्रारंभ में और अंत में बकाया अधिमानी शेयरों की संख्या का पुनर्गिलान

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	3554325	3554325
जोड़े : वर्ष के दौरान आवंटित किए गए शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	3554325	3554325
ऐसे शेयरधारकों के विवरण जो कॉर्पोरेशन में 5: से अधिक शेयर धारित करते हैं :		
शेयरधारक का नाम / श्रेणी - भारत सरकार		
- इक्विटी शेयर	100%	100%
- अधिमानी शेयर	100%	100%

नोट संख्या 2 : आरक्षित और अधिशेष निधियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
(क) अन्य पूंजीगत आरक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	0	0
जोड़ें : वर्ष के अनुसार प्राप्ति	45	0
उप योग	45	0
(ख) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष/(घाटा)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	(80690)	(84923)
घटाएं : वर्ष के दौरान लाभ	1799	4233
उप योग	(78891)	(80690)
कुल (क + ख)	(78846)	(80690)

नोट संख्या 3 : दीर्घकालिक ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
असुरक्षित/अप्रतिभूत*		
सरकारी ऋण	15090	15090
अंतर निगमित ऋण	0	625
कुल	15090	15715

ऋणों और उधार ली गई राशियों के विवरण:-

*स्वीकृत योजना के अनुसार योजना ऋण और उधार ली गई राशियों के उपर्युक्त मूलधन की राशि का भुगतान गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से किया जाएगा।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	ऋण की बकाया राशि	चूक की अवधि	2017-18		2016-17	
				मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	2125	1995	625	0	2125	0
2	भारत सरकार	15090	1975 से	15090	0	15090	0
3	भारत सरकार	0	2011 से	0	12385	0	12385
	कुल	17215		15715	12385	17215	12385

नोट संख्या 4 : अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
व्यापारिक देय राशियां		
-एमएसएमई	80	81
अन्य	2706	2673
सुरक्षा जमा राशि और पेशगी के रूप में प्राप्त राशि	2007	2053
उपभोक्ताओं से प्राप्त अग्रिम	401	634

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
देय बिक्री कर	657	657
विद्युत	1285	2268
भुगतान हेतु देय रॉयल्टी	777	507
भारत सरकार से ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	12385	12385
अन्य ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	0	0
अन्य देय राशियां	5577	5430
कुल	25875	26688

नोट संख्या 5 : दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
उपदान (ग्रैच्युटी)	2897	3464
जारी पूंजीगत कार्य	11	11
अर्जित छुट्टी की देयता	1484	1732
अन्य	2757	2836
कुल	7149	8043

नोट संख्या 6 : अल्पकालिक उधार ली गई राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
बैंकों से	0	0
अंतर निगमित जमा राशियों	625	1500
कुल	625	1500

नोट संख्या 7 : व्यापार देय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
व्यापार देय		
एम. एस. एम. ई.	42	0
जमा	0	3
अन्य	1539	1556
कुल	1581	1559

नोट संख्या 8 : अन्य चालू दायित्व

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
ग्राहकों से अग्रिम	973	984
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशि	1079	899
जीएसटी / बिक्री कर देय	682	573
विद्युत बकाया	1495	2170
कर्मचारियों को देय	524	461
रॉयल्टी देय	38	288
अन्य देय	1046	1001
कुल	5837	6376

नोट संख्या 9 : अल्प कालिक प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
उपदान (प्रैच्युटी)	993	1159
अर्जित अवकाश दायित्व	434	480
अन्य प्रावधान	1904	1550
बोनस	11	11
कुल	3342	3200

नोट 10 : स्थायी परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास					शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन / समायोजन	कटौतियां / बिक्री	अन्तरण आया / गया	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को	वर्ष के लिए	समायोजन / निपटान	अन्तरण आया / गया	31 मार्च 2018 को डीईपी प्रावधान	31 मार्च 2018 का	31 मार्च 2017 को
वर्क्स												
फ्रीहोल्ड भूमि	1294	0	0	0	1294	146	0	0	0	146	1148	1148
पट्टे की भूमि	481	0	319	0	162	158	0	0	0	158	4	323
सड़कें एवं पुलिया	654	0	21	0	633	622	0	20	0	602	31	32
संयंत्र भवन	8884	0	797	0	8087	8142	92	718	0	7516	571	742
गैर संयंत्र भवन	1054	0	198	0	856	682	11	92	0	601	255	372
जल आपूर्ति, मल निकास व व्ययन	1119	0	38	0	1081	972	3	36	0	939	142	147
रेलवे साइडिंग	2095	0	0	0	2095	1608	25	0	0	1633	462	487
विद्युत संस्थापन	1980	0	130	0	1850	1890	1	124	0	1767	83	90
प्लॉट और मशीनरी	46889	98	1308	0	45679	39872	416	1283	0	39005	6674	7017
एरियल रोपवे	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
रेलवे रॉलिंग स्टॉक	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
खदान संबंधी उपकरण	2519	0	0	0	2519	2378	0	0	0	2378	141	141
वाहन	428	0	1	0	427	393	8	1	0	400	27	35
फर्नीचर और जुड़नार	264	10	10	0	264	255	2	10	0	247	17	9
कार्यालय उपस्कर	487	6	8	0	485	432	16	8	0	440	45	55
विविध उपस्कर	917	1	15	0	903	791	11	15	0	787	116	126
5000 रु. तक की लागत वाला पी एंड एम	53	1	4	0	50	53	1	4	0	50	0	0
कुल कार्य	70247	116	2849	0	67514	59472	586	2311	0	57747	9767	10775

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास					शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन/समायोजन	कटौतियां/बिक्री	अन्तरण आया/गया	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को	वर्ष के लिए	समायोजन/निपटान	अन्तरण आया/गया	31 मार्च 2018 को डीईपी प्रावधान	31 मार्च 2018 का	31 मार्च 2017 को
टाउनशिप												
फ्रीहोल्ड भूमि	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	15
पट्टे की भूमि	32	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	32
सड़कें एवं पुलिया	39	0	0	0	39	37	0	0	0	37	2	2
आवासीय और कल्याण भवन	1754	0	3	0	1751	1147	22	2	0	1167	584	607
जल आपूर्ति, मल निकास व व्ययन	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
विद्युत संस्थापन	42	0	0	0	42	40	0	0	0	40	2	2
वाहन	122	0	0	0	122	116	0	0	0	116	6	6
फर्नीचर और जुड़नार	19	0	0	0	19	17	0	0	0	17	2	2
कार्यालय उपस्कर	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	0	0
विविध उपस्कर	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
कुल टाउनशिप	2205	0	3	0	2202	1531	22	2	0	1551	651	674
कुल वर्क्स एवं टाउनशिप का योग	72452	116	2852	0	69716	61003	608	2313	0	59298	10418	11449
गत वर्ष	72269	196	(13)	0	72452	60350	665	0	(12)	61003	11449	11919

प्रभारित मूल्यहास	चालू वर्ष	गत वर्ष
लाभ और हानि खाते का विवरण	603	659
आईईडीसी खाता	0	0
खदान (नोट संख्या 23)	5	6
कुल	608	665

नोट 11 : निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य

(लाख रुपए में)

विवरण	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2017 के अंत में आंकड़े	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीगत	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2018 के अंत में आंकड़े
यांत्रिक परामर्श	120	11	0	0	131
सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	2998	531	0	0	3529
संयंत्र और मशीनरी – प्रतिस्थापन के अधीन सहित	3278	1202	0	98	4382
संयंत्र और मशीनरी प्रतिस्थापन व्यय	1	0	0	0	1
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन करना है (संलग्न संदर्भित)	136	0	0	0	136
पूंजीगत भंडार	12	0	0	0	12
अन्य	164	0	0	0	164
कुल	6709	1744	0	98	8355
प्रावधान + डब्ल्यूआईपी					
सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	3	235	0	0	238
कुल	6706	1509	0	98	8117

नोट 11 (क) : निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय लेखा (अमूर्तकारी परिसंपत्तियां)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2017 के अंत में आंकड़े	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीगत	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2018 के अंत में आंकड़े
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	0	0	2
योग	2	0	0	0	2
घटाएं प्रावधानरू .					
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	0	0	2
योग	0	0	0	0	0

नोट संख्या -11 का संलग्नक : निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय लेखा7

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित सुविधाएं		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	0	0
कुल पारिश्रमिक	0	0
विद्युत	1	0
विविध व्यय	0	0
कानूनी व्यय	0	0
सुरक्षा व्यय	22	11
वर्ष के दौरान निबल व्यय	23	11
नयागाँव विस्तार में अंतरित शेष	23	11
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0
आईईडीसी खाते का सारांश		
आईईडीसी का आरंभिक शेष	136	136
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0
घटाएं :- वर्ष के दौरान पूंजीगत किया गया	0	0
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	0	0
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी के लिए आईईडीसी टीएफडी का अंतिम शेष	136	136

नोट 12 : गैर चालू निवेश

विवरण	बाजार मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	बही मूल्य
दीर्घकालिक निवेश	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार
लागत पर उद्धरित शेयर (पूर्णतः प्रदत्त)				
(I) आंध्रा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक रु. 10 के 31 इक्विटी शेयर	@	@	@	@
एनएसई पर बाजार मूल्य 9.70 प्रति शेयर की दर से (गत वर्ष रुपया 9.00 प्रति शेयर))				
;पद्ध एसीसी लिमिटेड के प्रत्येक रु. 10 के 280 इक्विटी शेयर (180 बोनस शेयरों सहित), जो प्रत्येक रुपए 100 के 28 शेयरों से परिवर्तित किए गए। नए शेयर प्रमाण पत्रों की प्रतीक्षा है। एनएसई पर बाजार मूल्य 1507.50 प्रति शेयर की दर से (गत वर्ष 1446.05 प्रति शेयर)	4	@	4	@
लागत पर अनुद्धरित शेयर (पूर्णतः प्रदत्त)				
;पद्ध असम बंगाल कंपनी लिमिटेड का रु. 10 का 01 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
;पद्ध जयपुर उद्योग लिमिटेड के प्रत्येक रु. 10 के 79 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
;पद्ध सोनवैली सीमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक रु. 5 के 40 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
;पद्ध आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रत्येक रु. 10 के 5531520 इक्विटी शेयर (2315520 बोनस शेयरों सहित)	322		322	
(134000 बोनस शेयरों सहित 1610680 शेयरों की बिक्री की गई)				
प्रत्येक रु. 10 के 3920840 बकाया धारित शेयर (2181520 बोनस शेयरों सहित)	94		94	
कुल: - गैर चालू निवेश		228		228
उद्धरित निवेश का योगफल		228		228
लागत	-	@	-	@
बाजार मूल्य	4	-	4	-
अनुद्धरित निवेश का योगफल				
लागत		228	-	228
कुल : गैर चालू निवेश		228		228
/ रु. 1 लाख से कम की राशि				
अभी कॉर्पोरेशन के नाम पर हस्तांतरण होना बाकी है				

नोट 13: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
पूँजीगत अग्रिम		
– सुरक्षित और सही माने गए	61	61
– असुरक्षित और सही माने गए	259	379
– संदेहास्पद	13	13
घटाएं : अशोध्ध और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	13	13
उपयोग	320	440
जमा राशियां		
. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
. –सुरक्षित, सही माने गए	0	0
. –असुरक्षित, सही माने गए	222	235
– संदेहास्पद	98	98
घटाएं : अशोध्ध और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	98	98
उप योग	222	235
. अन्य जमा राशियां		
. –सुरक्षित, सही माने गए	0	0
. –असुरक्षित, सही माने गए	1329	1234
– संदेहास्पद	25	25
घटाएं : अशोध्ध और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	25	25
उप योग	1329	1234
संविदाकार और आपूर्तिकर्ता		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	42	48
– संदेहास्पद	251	251
घटाएं : अशोध्ध और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	251	251
उप योग	42	48
सरकारी विभागों के पास बकाया राशियां		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	244	222
– संदेहास्पद	173	175
घटाएं : अशोध्ध और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	173	175
उप योग	244	222
बीमा और अन्य दावे		-
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	36	40
– संदेहास्पद	179	179
घटाएं : अशोध्ध और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	179	179
उप योग	36	40

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
– सुरक्षित और सही माने गए	1	1
– असुरक्षित और सही माने गए	0	0
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्‍य और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	0	0
उप योग	1	1
वसूल किए जाने वाले दावे – रेलवे		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	0	0
– संदेहास्पद	402	402
घटाएं : अशोध्‍य और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	402	402
उप योग	0	0
ईडी राहत – वसूल की जाने वाली		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	108	108
– संदेहास्पद	24	24
घटाएं : अशोध्‍य और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	24	24
उप योग	108	108
कर्मचारियों से वसूल किए जाने वाले		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	2	6
– संदेहास्पद	8	8
घटाएं : अशोध्‍य और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	8	8
उप योग	2	6
बाह्य पक्षकारों से वसूल किए जाने वाले		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	427	418
– संदेहास्पद	765	765
घटाएं : अशोध्‍य और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	765	765
उप योग	427	418
कमी से होने वाली हानियां, जांच लंबित		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	0	0
– संदेहास्पद	590	590
घटाएं : अशोध्‍य और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	590	590
उप योग	0	0
सकल योग	2731	2752

नोट संख्या 14 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
दीर्घकालिक व्यापारिक प्राप्तियां		
– सुरक्षित और सही माने गए	0	0
– असुरक्षित और सही माने गए	0	0
– संदेहास्पद	1501	1501
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	1501	1501
कुल	0	0
ऋणों और अग्रिमों पर देय एवं प्रोदभूत ब्याज (असुरक्षित और सही माने गए)	41	41
कुल	41	41
कुल	41	41

नोट संख्या 15: अपरिशोधित व्यय

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
खदान विकास व्यय		
अथशेष बकाया राशियां	1833	1811
वृद्धि	322	198
	2155	2009
घटाएं : समायोजित / पूंजीकृत	224	176
कुल	1931	1833

नोट संख्या 16 :- चालू निवेश

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
चालू निवेश रु		
गैर व्यापारिक निवेश	0	0
कुल	0	0
1. उद्धरित निवेश	0	0
2. अनुद्धरित निवेश	0	0
कुल	0	0

नोट संख्या 17 :- वस्तु सूचियां (इंवेंटरी)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
क) भंडार और अतिरिक्त कल-पुर्जे		
. – स्टॉक में	6523	6733
– पारगमन में	20	9
कुल	6543	6742
(ख) जारी प्रगति पर कार्य		
. – स्टॉक में	3641	2793
– पारगमन में	0	0
कुल	3641	2793
(ग) तैयार माल थ्रूअैम्ब्व ळव्वै		
. – स्टॉक में	1109	897
– पारगमन में	88	209
कुल	1197	1106
(घ) कच्चा माल		
. – स्टॉक में	884	1013
– पारगमन में	3	7
कुल	887	1020
		खपेज संख्या 29,
(ङ) फुटकर औजार		
. – स्टॉक में	0	1
– पारगमन में	0	0
कुल	0	1
(च) पैकिंग सामग्री		
. – स्टॉक में	166	49
– पारगमन में	0	0
कुल	166	49
(छ) कोयला		
. – स्टॉक में	1250	1361
– पारगमन में	0	0
कुल	1250	1361
ज) स्क्रैप		
. – स्टॉक में	282	291
– पारगमन में	0	0
कुल	282	291
कुल इनवेंटरी	13966	13363
घटाएं : अप्राप्य वस्तु सूची (इंवेंटरी)	11	11
सकल योग	13955	13352

नोट संख्या 18 :- व्यापारिक प्राप्तियां

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
(क) व्यापारित प्राप्तियां जो 6 माह से से अधिक अवधि से बकाया हैं		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
. – असुरक्षित, सही मानी गई	166	99
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
कुल (क)	166	99
(ख) अन्य व्यापारित प्राप्तियां		
– सुरक्षित, सही मानी गई	76	135
. – असुरक्षित, सही मानी गई	935	991
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
कुल (ख)	1011	1126
कुल (क. ख)	1177	1225

नोट संख्या 19 : नकद और बैंक में जमा राशियां

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
नकद और नकदी समतुल्य		
हाथ में नकद राशि	2	1
हाथ में चेक / डीडी	0	158
बैंक में जमा राशियां	14998	19171
बैंकों के चालू खाता में जमा राशियां	917	1359
कुल	15917	20689
बैंक में अन्य बकाया राशियां		
मार्जिन मनि के रूप में रखी गई बैंक में जमा राशियां		
गारंटी/लेटर ऑफ क्रेडिट के विरुद्ध एफडीआर के रूप में		
गारंटियां	1609	706
लेटर ऑफ क्रेडिट	300	300
सकल योग	17826	21695

नोट : बैंक में जमा राशियों में रु. 673.97 लाख (गत वर्ष रु. 13942.01 लाख) की राशियां शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक है।

नोट संख्या 20 : अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
सरकारी विभागों के पास बकाया राशियां		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– असुरक्षित, सही मानी गई	506	164
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
उप योग	506	164
संविदाकार और आपूर्तिकर्ता		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– असुरक्षित, सही मानी गई	503	747
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
उप योग	503	747
वसूल किए जाने वाले दावे – रेलवे		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– असुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
उप योग	0	0
अन्य जमा राशियां		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– असुरक्षित, सही मानी गई	413	402
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
उप योग	413	402
बीमा और अन्य दावे		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– असुरक्षित, सही मानी गई	106	102
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
उप योग	106	102
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
– सुरक्षित, सही मानी गई	9	15
– असुरक्षित, सही मानी गई	6	1
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
उप योग	15	16
वसूल की जाने वाली ईडी / वैट राहत		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– असुरक्षित, सही मानी गई	303	192
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
उप योग	303	192
कर्मचारियों से वसूल की जाने वाली राशियां		
– सुरक्षित, सही मानी गई	23	30
– असुरक्षित, सही मानी गई	8	10
– संदेहास्पद	0	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	0	0
उप योग	31	40
बाह्य पक्षकार से वसूल की जाने वाली राशि		
– सुरक्षित, सही मानी गई	0	0
– असुरक्षित, सही मानी गई	2707	1752
– संदेहास्पद	57	0
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए भत्ते	57	0
उप योग	2707	1752
सकल योग	4584	3415

नोट 21 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
सावधि जमा राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज	786	836
कुल	786	836

नोट 22 : अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
निम्नलिखित से आय :		
बजटीय सहायता योजना के अंतर्गत रिफंड	313	0
संपत्ति से किराया	1892	1601
ऋण और अग्रिमों पर ब्याज – कर्मचारियों से	8	9
टारुनशिप से प्राप्तियां	41	49
पूर्वावधि आय (निबल) (नोट संख्या 28 ख)	0	0
अतिरिक्त प्रावधान – वापस बट्टे खाते में डाला गया	1792	304
बैंक ब्याज	1388	1733
विविध आय	360	531
हटाई गई परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0	1
कुल	5794	4228

नोट 23 : खपत किए गए कच्चे माल की लागत

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
अथशेष	1013	1089
वर्ष के दौरान अधिग्रहण		
चूना पत्थर, खनन और परिवहन –		
	3219	3162
(नीचे दिए गए विवरण देखें)		
खरीदे गए अन्य कच्चे माल	878	953
उप योग	5110	5204
घटाएं : कच्चे माल का समायोजन	-2	
घटाएं : इतिशेष स्टॉक	884	1013
खपत किया गया कुल कच्चा माल	4224	4191

@ चूना पत्थर, खनन और परिवहन

चूना पत्थर, खनन और संविदाकारों को भुगतान		742	656
कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ			
वेतन, मजदूरी और बोनस	455	478	
भुगतान किया गया उपदान (ग्रेच्युटी)	130	40	
कर्मचारियों को लाभ	0	0	
भविष्य निधि में अंशदान	34	35	
पेंशन निधि में अंशदान	9	10	
छुट्टियों का नकदीकरण	40	13	
चिकित्सा व्यय	25	25	
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0	0	
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	0	0	
खपत किया गया भंडार	-----	693	601
सकल राशि	221	249	
घटाएं : सुधार कार्य के अंतर्गत राशि	90	128	
	-----	131	121
विद्युत	75	58	
ईंधन	22	30	
दरें और करें	18	46	
संविदाकार को भुगतान	355	297	
रॉयल्टी और उपकर	1172	1217	
खदान विकास व्यय –बट्टे खाते में डाला गया	224	176	
यात्रा व्यय	2	2	
अन्य व्यय	12	22	
मूल्यहास	5	6	
	-----	1885	1854
सुधार कार्य – मशीनरी	57	74	
– भवन	0	4	
– अन्य	33	50	
	-----	90	128
उपयोग		3541	3360
घटाएं : खदान विकास व्यय		322	198
कुल		3219	3162

नोट 24 : तैयार माल की वस्तुसूचियों में परिवर्तन, जारी कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	
अर्ध तैयार माल				
. – इतिशेष स्टॉक	3641		2793	
. – अथशेष स्टॉक	2793		2749	
	-----	848	-----	44
तैयार माल				
. – इतिशेष स्टॉक	1,109		897	
. – अथशेष स्टॉक	897		1,174	
	-----	212	-----	(277)
पारगमन में तैयार माल				
. – इतिशेष स्टॉक	88		209	
. – अथशेष स्टॉक	209		168	
	-----	(121)	-----	41
स्क्रेप स्टॉक				
. – इतिशेष स्टॉक	282		291	
. – अथशेष स्टॉक	291		412	
	-----	(9)	-----	(121)
कुल उपचय / (अनुपचय)		930		(313)

नोट संख्या 25 : कर्मचारी लाभों के लिए व्यय

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
वेतन, मजदूरी और बोनस	4749	4604
भुगतान किया गया उपदान (ग्रैच्युटी)	705	664
कर्मचारियों के लिए हितलाभ	10	9
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	11	196
भविष्य निधि में अंशदान	306	324
पेंशन निधि में अंशदान	68	75
चिकित्सा व्यय	262	293
छुट्टियों का नकदीकरण	405	450
ग्रैच्युटी के लिए प्रावधान	20	831
स्टाफ कल्याण व्यय	311	244
कुल	6847	7690

नोट संख्या 26 : अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
विद्युत	6559	7716
कोयला	9276	9170
ईंधन तेल	22	24
किराया	22	20
उत्पाद मुल्क	0	124
दर और कर	183	404
बीमा	26	21
	-----	-----
उप योग	16088	17479
सुधार कार्य और रखरखाव		
प्लांट और मशीनरी	1179	966
भवन	196	110
अन्य	247	217
कुल	----- 1622	----- 1293
अन्य उत्पादन व्यय	804	913
उपकरण और औजार –बट्टे खाते में डाले गए	0	1
यात्रा व्यय	128	143
बिक्री संबंधी व्यय		
सीमेंट का माल भाड़ा	3003	2846
हथालन (उतराई – चढ़ाई) व्यय	230	309
गोदाम प्रभार	165	158
बिक्री संवर्धन और प्रचार –प्रसार	23	32
अन्य बिक्री संबंधी व्यय	8	5
कुल बिक्री संबंधी व्यय	----- 3429	----- 3350
वाहनों का परिचालन व्यय	33	34
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
लेखापरीक्षा फीस	6	6
व्यय की प्रतिपूर्ति	1	0
अन्य क्षमता में	2	1
लेखापरीक्षकों का कुल पारिश्रमिक	----- 9	----- 7
लागत लेखापरीक्षा फीस	1	1
लागत लेखापरीक्षा व्यय	0	0
कुल लागत लेखापरीक्षा व्यय	----- 1	----- 1
सीआरआई और अन्य को अंशदान	8	10
कच्चे माल का समायोजन	2	0
संचार प्रभार	30	34
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	31	36
डाटा प्रसंस्करण पर किराया प्रभार	10	8
कानूनी और पेशेवर फीस	118	122

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
सुरक्षा व्यय	685	528
कामगारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	3	10
विविध व्यय	289	303
संविदा श्रमिकों को भुगतान	1191	1096
बंद कर दी गई परियोजना पर व्यय	23	11
संदेहास्पद प्राप्तियों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	292	14
पूर्वावधि व्यय (निबल) (नोट संख्या 28 ख) देखें	7	160
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	9	0
उप योग	24812	25553
भंडार और अतिरिक्त कल पुर्जे		
सकल राशि	1620	1469
घटाएं : सुधार कार्य और रखरखाव में शामिल राशि	1048	927
निबल भंडार और अतिरिक्त कल पुर्जे, जिनकी खपत की गई	-----	-----
पैकिंग सामग्री	1046	1029
कुल	26430	27124

नोट संख्या 27 : वित्तीय लागत

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
निम्नलिखित पर ब्याज		
– स्टॉकिस्ट से प्राप्त जमा राशियां	13	14
– अन्य	248	211
कुल	261	225

नोट 28: पिछले वर्षों से संबंधित आपवादिक, अतिरिक्त साधारण मर्दें और समायोजन

नोट 28 (क) : आपवादिक मर्दें

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
आय		
ब्याज इत्यादि की छूट	537	6463
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	602	0
कुल आपवादिक आय	1139	6463
व्यय		
कुल आपवादिक व्यय	0	0
निबल आपवादिक मर्दों से आय / (व्यय)	1139	6463

नोट 28 (ख) : पूर्वावधि मर्दे

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
आय		
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ	0	0
भंडार और अतिरिक्त कलपुर्जे	0	6
मूल्यहास	0	0
दरें और कर	0	0
ब्याज	0	0
विद्युत और ईंधन	0	0
कुल पूर्वावधि – आय	0	6
व्यय		
सुधार कार्य और रखरखाव	2	0
कच्चा माल	0	0
भंडार और पैकिंग सामग्री	1	66
क्षतिपूर्ति प्रभार (डिमरेज)	0	0
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ	0	25
रॉयल्टी	2	0
मूल्यहास	0	0
बिक्री व्यय	0	0
ब्याज	0	0
विद्युत और ईंधन	0	19
बिक्री कर	0	37
मालभाड़ा प्रभार	0	0
बीमा	0	0
अन्य	2	19
कुल पूर्वावधि व्यय	7	166
निबल पूर्वावधि आय / (व्यय)	(7)	(160)

नोट 28 ग) : अतिरिक्त साधारण मर्दे

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
असाधारण मर्दे		
आय		
कर्मचारी, पारिश्रमिक और हितलाभ	0	0
ब्याज	0	0
चूनापत्थर पर रॉयल्टी एमआरटी और सेस	0	0
विद्युत और ईंधन	0	0
अतिरिक्त प्रावधान – वापस बट्टे खाते में डाला गया	0	0
अन्य	0	0
उत्पाद गुल्क	0	0
कुल अतिरिक्त असाधारण आय	0	0
व्यय		
एकेओ में बर्गलरी / चोरी के कारण हानि	0	0
कुल अतिरिक्त साधारण व्यय	0	0
निबल असाधारण आय / (व्यय) साधारण व्यय	0	0

नोट 28 (घ) : 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सतत और बाधित प्रचालन के राजस्व और व्यय का विवरण

विवरण	सतत् प्रचालन		बाधित प्रचालन		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
क. राजस्व:						
कारोवार (टर्नओवर) (निबल)	32145	33630	0	0	32145	33630
अन्य प्रचालन राजस्व	156	114	0	0	156	114
अर्ध तैयार माल और तैयार माल						
का उपचय / (अनुपचय)	967	(313)	(37)	0	930	(313)
कुल आय	33268	33431	(37)	0	33231	33431
ख. व्यय						
प्रचालन व्यय	35966	37034	2138	2630	38104	39664
इंफेयरमेंट हानि	0	0	0	0	0	0
कुल व्यय	35966	37034	2138	2630	38104	39664
ग. ब्याज से पहले लाभ / (हानि) और प्रचालन गतिविधियों से कर						
ब्याज व्यय	147	113	114	112	261	225
घ. कर पूर्व लाभ / (हानि)	(2845)	(3716)	(2289)	(2742)	(5134)	(6458)
ड. आय कर	0	0	0	0	0	0
च. कर पश्चात प्रचालन गतिविधियों से लाभ / (हानि)	(2845)	(3716)	(2289)	(2742)	(5134)	(6458)
छ. अन्य आय	4472	3457	1322	771	5794	4228
ज. आपवादिक मर्दे – आय / (व्यय)	0	1919	1139	4544	1139	6463
झ. अतिरिक्त साधारण मर्दे –आय / (व्यय)	0	0	0	0	0	0
ञ. प्रचालन गतिविधियों से निबल लाभ / (हानि)	1627	1660	172	2573	1799	4233

नोट 29 : आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
क. आकस्मिक देयताएं		
(क) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
1. आयकर की मांग (गत वर्ष में मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के लिए अधिनियम की धारा 271 (1) (ग) के अंतर्गत)	49	2961
2. तांदूर और बोकाजन यूनिट इत्यादि के लिए बिक्री कर की मांग	1983	1995
3. बोकाजन विस्तार संविदा	11200	0
4. नॉर्टन पॉलिमर्स लिमिटेड – माध्यस्थता का मामला	587	587
5. अकलतारा और मंधार के संदर्भ में न्यूनतम टैरिफ प्रभार	1152	36449
6. तांदूर के संदर्भ में पावर व्हिलिंग प्रभार इत्यादि	9178	5266
7. अन्य – विविध मामले	9879	9480
(ख) अन्य धनराशि, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से जबावदेह है	0	0
कुल (क)	34028	56738
ख. प्रतिबद्धताएं		
(क) पूंजीगत लेखाओं में क्रियान्वित की जाने वाले षेष और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि	15837	15739
(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं (विशिष्ट प्रकृति की)	0	0
कुल (ख)	15837	15739
कुल (क. ख)	49865	72477

(क) सेवा संबंधी मामलों इत्यादि के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति / पदोन्नति / दावों हेतु विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए खाताबही में उसके प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उनकी राशि अभी निश्चित नहीं की जा सकती है।

नोट 30 : 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. 7313.9 लाख रुपए (गत वर्ष रु. 7663.19 लाख) के लिए कॉर्पोरेशन के दावे / प्रतिदावे जो मध्यस्थम के अधीन / न्यायालयों में लंबित हैं और इनके परिणाम केवल तब ज्ञात होंगे जब इनका अधिनिर्णय / डिक्री आदि की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, इसलिए लेखाओं में इनका प्रभाव उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2. (i) 17.97 लाख रुपए (गत वर्ष रु. 220.35 लाख) के लिए तुलन पत्र की तारीख तक 'सी', 'डी' और एफ / बी . प फॉर्म आदि प्राप्त न होने पर बिक्री कर की देयता, जिनके अंतिम मूल्यांकन पूर्ण होने से पहले प्राप्त होने की उम्मीद है और / या अपील को अंतिम रूप दे दिया जाता है, इसलिए प्रावधान नहीं किया।
(ii) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए निर्धारण अधिकारी (आयकर विभाग) आदेशों के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः 885,00,87,850 / - रुपए और 87,98,64,000 / - रुपए की आय का मूल्यांकन किया और कंपनी के आगे ले जाए गए नुकसान के साथ इसका समायोजन किया। इसे ध्यान में रखते हुए आकलन किया गया कंपनी का घाटा 972,99,51,850 / - रुपए कम हो गया है। कंपनी ने अपीलीय प्राधिकरणों के सामने एक अपील दायर की है। आईटीएटी ने अपने दिनांक 23-12-2016 आदेश में उक्त दोनों मूल्यांकनों को निरस्त कर दिया। उपर्युक्त को देखते हुए आकलन अधिकारी द्वारा दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए मामले का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा।
(iii) 142.40 करोड़ रुपए के लिए बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री का अनुबंध वर्ष 2010 में मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलूर को दिया गया था। हालांकि, उपर्युक्त काम अभी भी प्रगति पर है। इसी बीच, मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्य आदेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ को नियुक्त किया गया है और मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो गई है। बोकाजन विस्तार कार्य का निष्पादन शुरू न होने के कारण सीसीआई को हुई हानि/क्षति के लिए भी सीसीआई प्रतिदावा दायर करेगा। सीसीआई उपर्युक्त नुकसान/क्षति का निर्धारण करने की प्रक्रिया में है। मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेशन के विरुद्ध 112 करोड़ रुपए का दावा पेश किया है और इसे नोट नंबर 29 के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।
3. 1.06 एकड़ (मंधार), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतरा), 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) के लिए अधिकार विलेख और 155.83 एकड़ (नायागांव) और 58.81 एकड़ (आदिलाबाद) के लिए पट्टा विलेख के काम अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। डीएचआई ने गैर-ऑपरेटिंग यूनिटों का विनिवेश करने का निदेश दिया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग यूनिट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ जमीन पट्टे पर आवंटित की।
डीडीए ने दिनांक 11.04.2017 के आदेश के जरिए ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए सीसीआई को आवंटित की गई पट्टे वाली 14.20 एकड़ भूमि दक्षिण दिल्ली नगर कॉर्पोरेशन (एसडीएमसी) को स्वमेव हस्तांतरित कर दी। भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) की मंजूरी के परिणामस्वरूप और ईजीएम में अनुमोदन के बाद यूनिट की सभी अचल परिसंपत्तियों और इनवेंटरी को 'जैसी हैं, जहां है' आधार पर 9 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। 14.20 एकड़ भूमि की लागत को अब 'बाह्य पक्षकों से पुनर्प्राप्त करने योग्य' शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि यह एसडीएमसी / डीडीए से वसूल की जानी है। इस बिक्री से लेनदेन पर हुए लाभ को नोट संख्या 28 में असाधारण आय के रूप में दर्शाया गया है। शेष बची 6.74 एकड़ भूमि अभी भी कॉर्पोरेशन के कब्जे में है क्योंकि कॉर्पोरेशन की भूमि का अभी पुनर्मिलान किया जा रहा है।
4. खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 दिनांक 03/12/2015 के अनुसार यह मान लिया गया है कि सभी सरकारी कंपनियों को खनन पट्टा दे दिया गया है, तदनुसार सीसीआई के लिए भी यह मान लिया जाता है कि उसे खनन पट्टे प्रदान कर दिए गए हैं और वे अभी भी वैध हैं।
5. सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक सड़क के रूप में का उपयोग की गई 32 गुंता सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जिसके लिए राजस्व विभाग की ओर से पृथक्करण के आदेश की प्रतीक्षा है, इस को ध्यान में रखते हुए लेखाओं में प्रावधान, यदि कोई है, नहीं किया गया।
6. 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार साइलोस में पड़े नैकड सीमेंट के शून्य (गत वर्ष 10290.852 मीट्रिक टन) के संबंध में भुगतान न किए गए उत्पाद शुल्क की राशि शून्य रुपए (गत वर्ष 51.28 लाख रुपए) की देयता के लिए प्रावधान किया गया है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 8604.618 मीट्रिक टन (गत वर्ष 10290.852 मीट्रिक टन) सीमेंट स्टॉक

पर सेस की देयता हेतु भी 0.06 लाख रुपए (गत वर्ष 0.04 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया है। हालांकि, उपर्युक्त उपचार से कॉर्पोरेशन के लाभ और हानि विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण खराब नहीं होता है।

7. स्वर्गीय श्री आर. के. डालमिया द्वारा धारित विभिन्न कंपनियों के शेयर (37.79 लाख रुपए अंकित मूल्य वाले) और उनके द्वारा लिए गए 214.00 लाख रुपए के ऋण के विरुद्ध पूर्ववर्ती डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के साथ सुरक्षा के रूप में रखे गए शेयरों पिछले वर्ष के दौरान अपने कब्जे में लिया गया है। हालांकि इन शेयरों की कीमत 2.80 लाख रुपए (वसूल किए जाने योग्य यथार्थ मूल्य पर) थी, लेकिन इसे संदेहस्पद माना गया और पूर्ववर्ती वर्षों में इसके लिए तदनुसार प्रावधान किया गया।
8. स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में विद्युत स्थापना की लागत 5.70 लाख रुपए को छोड़कर कार्यालय भवन की 266.58 लाख रुपए की लागत को मूल्यहास के माध्यम से अनंतिम रूप से परिशोधित किया जा रहा है। मानद मालिक समझते हुए ऐसा किया जा रहा है, हालांकि कॉर्पोरेशन के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
9. दिनांक 25.04.96 के पत्र संख्या एसईसी / 84/96/513 के जरिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को एक संदर्भ भेजा गया। माननीय बीआईएफआर के दिनांक 21.03.2006 पत्र संख्या 501/96-बेंच चतुर्थ एसओएल के अनुसार कंपनी को रुग्ण घोषित किया गया। दिनांक 8.8.96 को आयोजित की गई सुनवाई में माननीय बीआईएफआर ने मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना को मंजूरी दी और भारत सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। माननीय बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना को दिनांक 03.05.2006 को परिचालित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ यह परिकल्पना की गई कि सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों का निराकरण किया जाए और 3 प्रचालनरत प्लांटों का विस्तार / तकनीकी उन्नयन किया जाए तथा शेष बची गैर – प्रचालनरत / बंद पड़े प्लांटों को बंद किया जाए / उनकी बिक्री की जाए। मंजूर की गई योजना के अनुसार सात यूनिटों को बंद कर दिया गया है।
10. (i) लेनदारों, राज्य सरकार, अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के संबंध में राहत और रियायतों पर उचित ढंग से तब विचार किया जाएगा जब इस तरह के भुगतान किए जाते हैं और ऐसे रियायतें / राहत, जैसा भी मामला हो, से जुड़ी किसी आकस्मिकता के बिना निश्चित हो जाती हैं या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
(ii) माननीय बीआईएफआर द्वारा 3 मई 2006 को मंजूर की गई योजना के अनुसार सात भारत सरकार से 150.90 करोड़ रुपए (गत वर्ष 150.90 करोड़ रुपए) के योजना ऋण (ब्याज मुक्त) की राशि को गैर – प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से चुकाया जाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर योजना ऋण पर 123.85 करोड़ रुपए के ब्याज की अर्जित राशि को दिनांक 01.04.2011 अप्रभावी (फ्रीज़) कर दिया गया है। ब्याज का भुगतान गैर – प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से किया जाएगा।
11. निम्नलिखित यूनिटों में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से उत्पादन बंद कर दिया गया है :

i)	मंधार (छत्तीसगढ़)	– 06 / 06 / 1996
ii)	चरखी दादरी (हरियाणा)	– 14 / 08 / 1996
iii)	अकलतरा (छत्तीसगढ़)	– 09 / 12 / 1996
iv)	नायागांव – नायागांव विस्तार (मध्य प्रदेश)	– 30 / 06 / 1997
v)	कूर्कुनता (कर्नाटक)	– 01 / 11 / 1998
vi)	आदिलबाद (तेलंगाना)	– 05 / 11 / 1998
vii)	क) दिल्ली पीसने वाली इकाई	– 08 / 02 / 1999
	ख) भटिंडा पीसने वाली इकाई(पंजाब)	– कमीशन नहीं हुई

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) दिनांक 21.03.2006 को आयोजित सुनवाई में माननीय बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई और स्वीकृत योजना दिनांक 03/05/2006 को परिचालित की गई, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों का निपटान करने और 7 गैर – प्रचालनरत यूनिटों की बंद करने / उनकी बिक्री करने की परिकल्पना की गई। कथित योजना में किए गए उल्लेख के अनुसार उपर्युक्त 7 यूनिटों के संबंध में संपत्तियों का बाजार मूल्य बही मूल्य की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार, बोकाजन, राजबान और तंदूर यूनिटों के संबंध में संपत्तियों का बाजार मूल्य बही मूल्य की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है। इसलिए संभावित क्षतिपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है। इसलिए, खातों में क्षतिपूर्ण हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं करने पर विचार किया गया है।

12. येररागुंतला यूनिट के संबंध में समझौता ज्ञापन/बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार एसबीआई कैप्स, व्यापारी बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दी थी। मैसर्स इंडिया सीमेंट लिमिटेड के साथ सुलह और पुष्टि लंबित होने के कारण बिक्री की तिथि को संचित पाई गई आवश्यक देनदारियों पर पहले से ही खातों में विचार कर लिया गया है।
13. पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में दिनांक 22-03-2007 को सात वर्ष की अवधि के लिए 355.43 करोड़ रुपए के गैर-संचयी वरीयता शेयर जारी किए गए, मंत्रीमंडल / बीआईएफआर के दिशानिर्देश के अनुसार वरीयता शेयर पुनः जारी करने के लिए इसके आगे विस्तार की मांग की गई है।
14. आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य अवधि के भीतर स्थगित कर संपत्तियों की प्राप्ति की आभासी निश्चितता के अभाव में स्थगित कर संपत्तियों / देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है।
15. चालू देनदारियों के अंतर्गत चालू और गैर चालू बकाया राशियों के वर्गीकरण के लिए इसकी प्रकृति के अलावा स्वीकृत योजना में निहित शर्तों को भी ध्यान में रखा गया है।
16. कॉर्पोरेशन के व्यापार की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानक - 17 के तहत सेगमेंट रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।
17. अग्रिमों की समायोजित न की गई / दावा न की गई राशि की समीक्षा की जाती है और 83.65 लाख रुपए (पिछले वर्ष 260.28 लाख रुपए) की राशि, जो खाताबही में एक दशक से भी अधिक समय से पड़ी हुई थी, को चालू वर्ष में बट्टे खाते में डाला गया है अन्य आय के अंतर्गत लेखा के नोट -22 में दर्शाया गया है।
18. i) नायागांव यूनिट की 964.19 लाख रुपए की विद्युत देयता की राशि में से ओटीएस पर 555.90 लाख रुपए का निपटारा कर दिया गया है और 412.29 लाख रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते में डाला गया है और "अपवादिक आय" नोट संख्या 28क में दर्शाया गया है।
ii) दिशानिर्देशों के मुताबिक, डीपीई द्वारा आईडीए कर्मचारियों के लिए 3^क वेतन संशोधन का आदेश दिनांक 29.05.2017 को जारी किया गया है। मौजूदा परम्परा के अनुसार, 'निदेशक मंडल' की सिफारिश को मंजूरी के लिए डीएचआई को भेज दिया गया है। अभी डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, लेखाओं में अनुमान के आधार पर प्रावधान किया गया है।
19. लेखांकन मानक - 29 के अनुसार प्रावधान के विवरण के लिए नोट 5 और 9 देखें (रुपए करोड़ में)

यूनिटें	अथशेष		वर्ष के दौरान समायोजन / किया गया भुगतान		वर्ष के दौरान अभिवृद्धि		इति शेष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
उपदान	46.23	40.34	16.09	4.04	8.76	9.93	38.90	46.23
बोनस	0.11	0.22	0.03	0.19	0.03	0.08	0.11	0.11
पूजीगत कार्य जो प्रगति पर है	0.11	0.24	0.00	0.13	0.00	0.00	0.11	0.11
ई. एल. देयता	22.12	20.29	5.47	1.23	2.53	3.06	19.18	22.12
अन्य	43.86	40.30	39.19	18.55	41.94	22.11	46.61	43.86

20. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय/भुगतान किए गए ब्याज के विवरण (लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	लेखांकन वर्ष के अंत में मूलधन की राशि आपूर्तिकर्ता को अदेय बनी रही।	122	81
2.	लेखांकन वर्ष के अंत में उस पर देय ब्याज अदेय बना रहा।	325	311
3.	धारा 16 के मामले में भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ साथ वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	0	0
4.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है, लेकिन वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	0	0
5.	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया राशि।	14	14
6.	यहां तक कि आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य ब्याज की आगे की बकाया राशि, उस तारीख तक जब तक उपर्युक्त देय ब्याज का अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन से छोटे उद्यमों को वास्तव में भुगतान किया जाता है।	325	311

21. लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी लाभ

कॉर्पोरेशन ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ को अपनाया है :

i) भविष्य निधि

कॉर्पोरेशन पूर्व निर्धारित दरों से एक अलग ट्रस्ट में पीएफ के निश्चित अंशदान का भुगतान करता है जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। ट्रस्ट को इसके सदस्यों को उनके अंशदान पर न्यूनतम ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। पीएफ ट्रस्ट का नुकसान, यदि कोई होता है, तो वह कॉर्पोरेशन द्वारा वहन किया जाता है।

ii) उपदान

कॉर्पोरेशन की एक परिभाषित ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। ग्रेच्युटी की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

ईएल, एचपीएल इत्यादि जमा करने वाले पात्र कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण की राशि देय होती है। छुट्टी नकदीकरण की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ

कॉर्पोरेशन में अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में सेटल होने की एक योजना लागू है। इसे लाभ और हानि विवरण में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

लाभ और हानि लेखा विवरण और तुलनपत्र में जिन विभिन्न परिभाषित लाभों को मान्यता दी गई है, उनका सारांश निम्नानुसार है : –

क. लाभ और हानि विवरण में जिन व्ययों को मान्यता दी गई

(रुपए लाख में)

		उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
क)	वर्तमान सेवा लागत	154.95	151.87	131.75	116.05	0.82	0.92
ख)	ब्याज लागत	338.22	313.63	164.84	161.19	1.86	2.18
ग)	अवधि में मान्यता दिया गया निवल उपार्जन (लाभ/ हानि)	(41,449)	201.03	(16,221)	308.77	(4.43)	(0.67)
घ)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता दिया गया व्यय	78.68	1305.29	134.38	586.02	(174)	2.42

ख. तुलनपत्र में मान्यता दी गई राशियां

(रुपए लाख में)

		उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
क)	अवधि के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.82
ख)	वित्तपोषित स्थिति/अंतर	(377,674)	(450,966)	1903.77	(219,784)	(1974)	(2482)
ग)	तुलनपत्र में मान्यता दी गई निवल परिसम्पत्ति/ (देयता)	(377,674)	(450,966)	(190,377)	(219,784)	(1974)	(2482)

ग. बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए लाख में)

		उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
क)	अवधि के आरंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.83	27.24
ख)	ब्याज लागत	338.22	313.63	164.84	161.19	1.86	2.18
ग)	वर्तमान सेवा लागत	154.95	151.87	131.75	116.05	0.82	0.92
घ)	भुगतान किया गया लाभ	(81,161)	(71,607)	(428.44)	(40310)	(3.35)	(484)
ई)	बाध्यता पर उपार्जित (लाभद्व पर / हानि	(41,449)	201.03	(16,221)	308.77	(4.43)	(0.67)
च)	अवधि के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.82

घ. वर्तमान अवधि के लिए राशि

(रुपए लाख में)

		उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ	
		31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
क)	अवधि के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.82
ख)	अधिशेष / (घाटा)	(377,674)	(450,966)	(190,377)	(219,784)	(1974)	(2482)

ङ. बीमांकिक अवधारणाएं

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार
i)	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
ii)	आयु	निकासी दर % 30 वर्ष तक – 00.00 31 से 44 वर्ष तक – 1% 44 वर्ष से ऊपर – 1%
iii)	छूट दर	7.70%
iv)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6%
v)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	—

22. अग्रिम, व्यापारिक देय राशियों और व्यापारिक लेनदार आदि मदों के तहत दर्शाई गई राशियां पुष्टि/पुनर्मिलान के अध्वधीन हैं। इनमें कुछ पुरानी बकाया राशियां शामिल हैं, जो समायोजन के लिए जांच हेतु लंबित हैं। इसके पूरा होने पर आवश्यक प्रभाव दिया जाएगा।

23. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न गतिविधियों के मद में किया गया व्यय लेखाओं के नोट संख्या 26 में दर्शाए जाते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

(रुपए लाख में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) पिछले तीन वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन का औसत निवल लाभ	— 4531	3660
ख) निर्धारित सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत उपर्युक्त का 2:)	— 91	73
ग) नीचे दिए अनुसार वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि	— 9	0
घ) खर्च न की गई राशि (ख – ग)	— 82	73

क्र. सं.	विवरण	नकद में		अभी भी नकदी के रूप में भुगतान किया जाने वाला		कुल योग (रुपए लाख में)	
		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
	उपर्युक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों पर						
	i) शैचालय – स्वच्छ भारत मिशन के तहत	2.96	0	0	0	0	0
	ii) स्वास्थ्य (चिकित्सा) – कैम्प	1.9 1	0	0	0	0	0
	iii) वाटर कूलर और आरओ सिस्टम	1.41	0	0	0	0	0
	iv) सेप्टिक टैंक और सोक पिट	1.00	0	0	0	0	0
	v) जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन	1.65	0	0	0	0	0

24. "कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के लेखांकन मानक – 18 "संबंधित पार्टि प्रकटीकरण" के अनुसार प्रबंधन द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया गया है"। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का नाम	पदनाम	राशि (रुपए लाख में)	
			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1	श्री मनोज मिश्रा	सी और एमडी	33.63	32.66
2	श्री बी. वी. एन. प्रसाद	निदेशक (एचआर)	29.51	28.98
3	श्री एस. शक्तिमणि	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	26.26	24.97
4	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	14.49	14.22

इसके अलावा, सी और एमडी और पूर्णकालिक निदेशक को भी 2000/- रुपए प्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी तक गैर-कर्तव्य यात्रा के लिए कंपनी वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

25. भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 के अनुसार कंपनी का प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
1	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	4559749	4559749
2	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	1000	1000
3	वर्ष के लिए कर के बाद निवल लाभ (रुपए लाख में)	1799	4233
4	घटाएं: -गैर-संचयी वरीयता शेयरों पर लाभांश की राशि (रुपए लाख में)	4	4
5	इक्विटी शेयरधारकों के लिए देय कर के बाद निवल लाभ (3-4) (रुपए लाख में)	1795	4229
6	प्रति शेयर आधारभूत और तनुकृत अर्जन – रुपए में	14	(49)

*असाधारण/आपवादिक मदों को छोड़कर – 1139 लाख रुपए (गत वर्ष 6463 रुपए)।

26. पिछले वर्ष के आंकड़ों को विभाजित किया गया है और जहां भी आवश्यकता महसूस की गई है, वहां चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप उन्हें फिर से समूहबद्ध किया गया है।

हस्ता./-
मनोज कुमार पात्रा
वित्त प्रमुख

हस्ता./-
अजय कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

हस्ता./-
एस. शक्तिमणी
निदेशक (वित्त) / सीएफओ

हस्ता./-
मनोज मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 001676 एन

हस्ता./-
(सीए पीबी कपूर)
भागीदार
सदस्यता संख्या . 010858

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2018

नोट 31 : मात्रात्मक विवरण

विवरण	01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े		01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की गत रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	
	मात्रा मीट्रिक टन	मूल्य रुपया (लाख में)	मात्रा मीट्रिक टन	मूल्य रुपया (लाख में)
1. वास्तविक उत्पादन				
1.1 पोर्टलैंड सीमेंट – साधारण	683475	मीट्रिक टन	705196	मीट्रिक टन
– पोज्जोलाना	69600	मीट्रिक टन	85335	मीट्रिक टन
कुल	753075	मीट्रिक टन	790531	मीट्रिक टन
2. क्लिंकर (सीमेंट के पहले चरण से संबंधित एक सामग्री न कि कोई अतिरिक्त उत्पाद)	753011	मीट्रिक टन	756295	मीट्रिक टन
2.1 खरीदा गया क्लिंकर	0	मीट्रिक टन	0	मीट्रिक टन
3. सीमेंट का प्रेषण	747166	मीट्रिक टन	798179	मीट्रिक टन
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	मीट्रिक टन	रुपया (लाख में)	मीट्रिक टन	रुपया (लाख में)
4. अथशेष स्टॉक				
फैक्टरी में स्टॉक				
– सीमेंट ओपीसी	12678	473	19111	656
– सीमेंट पीपीसी	2223	86	3438	125
डंप में स्टॉक				
– सीमेंट ओपीसी	4273	336	9894	393
– सीमेंट पीपीसी	0	0	0	0
पारगमन में ओपीसी	8719	207	3385	149
पारगमन में पीपीसी	48	2	408	19
– सेट / क्षतिग्रस्त सीमेंट				
– सीमेंट ओपीसी	6038	2	5993	0
– सीमेंट पीपीसी	3016	0	3016	0
	36995	1106	45245	1342
– क्लिंकर	133209	2154	135928	2111
– क्लिंकर (खरीद)	0	0	0	0
कुल	133209	2154	135928	2111
5. स्वयं की खपत / स्थानांतरण सहित निबल बिक्री				
क) सीमेंट ओपीसी	679348	32145	711738	33630
ख) सीमेंट पीपीसी	68338	0	86873	0
ग) स्वयं खपत किया गया ओपीसी	333	0	83	0
घ) स्वयं खपत किया गया पीपीसी	0	0	37	0
कुल	748019	32145	798731	33630
ड) क्लिंकर	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
6. कद्ध इतिशेष स्टॉक – सीमेंट				
फैक्टरी में स्टॉक				
– सीमेंट ओपीसी	17380	617	12678	473
– सीमेंट पीपीसी	3533	140	2223	86
डंप में स्टॉक				
– सीमेंट ओपीसी	9200	352	4273	336
– सीमेंट पीपीसी	0	0	0	0
पारगमन में ओपीसी	2787	88	8719	207
पारगमन में पीपीसी	0	0	48	2
– सेट / क्षतिग्रस्त सीमेंट ओपीसी	4292	0	6038	2
– सेट / क्षतिग्रस्त सीमेंट पीपीसी	3016	0	3016	0
कुल	40208	1197	36995	1106

विवरण	01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े		01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की गत रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	
ख) इतिशेष स्टॉक – क्लिंकर				
स्टॉक में क्लिंकर	161325	3169	133209	2154
ग) सीमेंट – परीक्षण के लिए प्रयुक्त	0	0	0	0
– यूनिट ओपीसी को स्थानांतरित स्टॉक	0	0	0	0
– पारगमन के दौरान ओपीसी की कमी	0	0	0	0
– पारगमन के दौरान पीपीसी की कमी	199	0	50	0
– स्क्रेप के रूप में बेचा गया सीमेंट	1644	0	0	0
– स्क्रेप के रूप में बेचा गया क्लिंकर	4002	37	0	0
कुल	5845	37	50	0
7. क्लिंकर– सीमेंट ग्राइंडिंग के लिए प्रयुक्त	720893	21239	759014	21742
8. खपत हुआ कच्चा माल				
– चूना पत्थर	1113966	3337	1111904	3131
– लैटेराइट	5877	26	11484	49
– लौह अयस्क	20519	367	16535	417
– जिप्सम	13280	290	14204	351
– शेल	29114	101	21770	78
– प्लाई ऐश	16426	75	15211	124
– बर्नट क्ले	22137	28	26197	41
– अन्य	0	0	0	0
खपत किया गया कुल कच्चा माल		4224		4191
9. सीआईएफ आधारित परिकलित किए गए आयात का मूल्य के संदर्भ में				
i) कच्चा माल	0	0	0	0
ii) संघटक और कल पुजे	0	0	0	0
iii) पूंजीगत माल	0	0	0	0
10. वर्ष के दौरान खपत किए गए सभी आयातित कच्चे माल, कल-पुर्जो और				
संघटकों का मूल्य और इसी प्रकार खपत किए गए सभी स्वदेशी कच्चे माल,				
कल-पुर्जो, संघटकों का मूल्य तथा कुल खपत की तुलना में प्रत्येक का प्रतिशत				
– आयातित	0	16	0	14
– स्वदेशी	100	6465	100	6266
कुल	100	6481	100	6280
11. विदेशी मुद्रा में प्रेषित की गई राशि	0	0	0	0
12. विदेशी विनिमय से अर्जन	0	0	0	0

हस्ता./-
मनोज कुमार पात्रा
वित्त प्रमुख

हस्ता./-
अजय कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

हस्ता./-
एस. शक्तिमनी
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

हस्ता./-
मनोज मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 001676 एन

हस्ता./-
(सीए पीबी कपूर)
भागीदार
सदस्यता संख्या . 010858

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2018

नोट 32: विशिष्ट लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

लेखाओं को निम्नलिखित मदों, जिनकी गणना नकद आधार पर की जाती है, को छोड़कर लेखांकन की बीमांकिक विधि को अपनाने वाले ऐतिहासिक लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

- परिसमापन क्षति / शास्तियों / रेलवे और बीमा से इतर किए गए दावों की गणना उनकी वसूली/प्राप्ति पर की जाती है और उसे विविध आय में शामिल किया जाता है।
- स्टोर और कलपुर्जों के अधिशेष / धीमी गति से चलने वाले / गैर-चलायमान वस्तुओं आदि पर लाभ / हानि, यदि कोई है, की गणना उनके निपटान वाले वर्ष में ही की जाती है।

2. राजस्व मान्यता

दिनांक 30-06-2017 तक एक्साइज ड्यूटी सहित बिक्री का उल्लेख किया जाता है और वैट / बिक्री कर और जीएसटी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक्साइज ड्यूटी को अलग से दर्शाया गया है।

3. भूमि और अमूर्तकरण

- राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्यांकन नाममात्र कीमत पर किया जाता है या इसके अधिग्रहण पर किए गए अनुषंगी खर्च के आधार पर किया जाता है।
- खदान में खनन पट्टे के तहत भूमि फ्री होल्ड भूमि और 99 वर्ष से कम पट्टे के साथ पट्टा धारक भूमि का अमूर्तकरण संबंधित यूनिट के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है।

4. निवेश

- दीर्घकालिक निवेश को लागत आधार पर दर्शाया जाता है। इस तरह के निवेश के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।
- मौजूदा निवेश का उल्लेख तुलनात्मक रूप से कम लागत और उद्धृत / उचित मूल्य पर किया जाता है। उद्धृत न किए गए वर्तमान निवेश लागत पर बताए जाते हैं।

5. उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के कारण उत्पन्न हुई ऋण लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। कोई भी अर्हताप्राप्त परिसंपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लागतों को राजस्व से प्रभारित किया जाता है।

6. वस्तुसूची (इनवेंटरी)

क) मूल्यांकन

- नीचे विंदु संख्या (पप) में दिए गए अनुसार उसमें उल्लिखित को छोड़कर स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और कच्चे माल को भारित औसत लागत पर बताया गया है। अप्रचलित / अनुपयुक्त स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स को निर्धारित होने पर स्क्रेप के रूप में माना जाता है और उन्हें निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

- किलकर और अन्य अर्द्ध तैयार माल को यूनिट की भारित औसत लागत या वर्क बैक फॉर्मूला के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर बताया/दर्शाया जाता है। हालांकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में, इसे शून्य मूल्य पर दर्शाया जाता है।

- फैक्ट्रियों / परियोजनाओं / डंप में या डंप के लिए पारगमन में तैयार माल को यूनिटों के भारित औसत लागत या वसूली योग्य/प्राप्य मूल्य की तुलना में कम से कम बताया जाता है। डंप तक बिक्री व्यय में शामिल माल भाड़े (फ्रेंट) में विभिन्न डंपों में पड़े हुए तैयार माल की कीमत को शामिल किया जाता है।

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न स्क्रेप वस्तुओं की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित आइटम के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, जहां पहली बार उत्पन्न होने वाले स्क्रेप के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध नहीं हैं या पहले से उसका निपटान नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्क्रेप आइटमों के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य को मूल्यांकन के प्रयोजन से अपनाया जाता है।

ख) फुटकर उपकरण और वस्तुएं

उपकरणों और वस्तुओं को तीन वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. मूल्यहास

- वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के तहत तैयार किए गए हैं।

- परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान तब किया जाता है, तब वे पूरी हो जाती हैं और उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती हैं।

- वर्ष के दौरान जोड़ा गया परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को उस तारीख से यथानुपात (प्रोराटा) आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिससे उन्हें पूंजीकृत किया जाता है और तारीख तक के लिए किया जाता है, जिस तक उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता है/बेच नहीं दिया जाता है/ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है/नष्ट नहीं कर दिया जाता है।

- ऐसी कोई भी व्यक्तिगत परिसंपत्ति जिसका नीचे लिखा गया मूल्य वर्ष के प्रारंभ में रुपए 5000/- या इससे कम होता है, तो अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बिना वर्ष के दौरान उसका पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है।

- वर्ष के दौरान खरीदी गई रुपए 5000/- तक की लागत वाली कोई भी व्यक्तिगत परिसंपत्ति को सकल ब्लॉक में लिया जाता है और उसी वर्ष में पूरी तरह से उसका मूल्यहास कर दिया जाता है।

8. आस्थगित राजस्व व्यय

- प्रॉस्पेक्टिंग और बोरिंग पर व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय

के रूप में माना जाता है और यूनिटों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होना के बाद तीन से पांच वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

- ii) खदानों में अधिक बोझ इत्यादि को हटाने पर किए गए व्यय, जिसका सदुपयोग सड़कों, स्टॉकयार्ड, कोल्हू रैंप इत्यादि तैयार करने जैसे कामों के लिए किया जाता है, को पूंजीकृत किया जाता है। अधिक बोझ इत्यादि को हटाने पर किए गए व्यय के शेष भाग को आरंभिक तौर पर 'आस्थगित राजस्व व्यय' के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान प्रभारित किया जाता है जिसके लिए खदान विकास के कारण चूना पत्थर बाहर निकला जाता है और दोहन के लिए उपलब्ध होता है।
- iii) किराए पर ली गई इमारतों में आंतरिक विभाजन और अन्य फिक्स्चर्स की लागत को सीधे स्थापना के वर्ष में प्रभारित किया जाता है, लेकिन यदि लागत एक लाख रुपए से अधिक है, तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन से पांच वर्ष के भीतर प्रभारित किया जाता है।
- iv) किसी यूनिट के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद हार्ड-क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया में के प्रारंभिक पूर्ण प्रभार को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है। हालांकि, साज़ - सज्जा प्रभारों को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।
- v) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध नहीं है, तो सीमान्त (टर्मिनल) लाभ जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन या सेवा की शेष अवधि के लिए मजदूरी, जो भी कम है, के बराबर वीआरएस भुगतान के लिए देय होते हैं और नोटिस की अवधि के वेतन को व्यक्तियों की सेवा की शेष अवधि या 5 वर्ष की अधिकतम अवधि, जो भी कम हो के दौरान आस्थगित किया जाता है और प्रभारित किया जाता है। हालांकि, 1/4/2003 को या उसके बाद किसी भी व्यय पर वीआरएस / वीएसएस पर किए गए किसी भी व्यय को ऐसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी, जब यह व्यय किया जाता है और उसी वर्ष में ही पूरी तरह से प्रभारित किया जाएगा।

9. पूर्वावधि/असाधारण समायोजन

लेखाओं के बंद होने अर्थात् अंतिम तारीख के बाद संज्ञान में आने वाले किसी वर्ष विशेष से संबंधित व्यय /प्राप्तियों को अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाता है, बशर्ते कि इसमें शामिल राशि 10,000/- रुपए से अधिक न हो। यदि यह राशि 10,000/- रुपए से अधिक है, तो ऐसे मामले में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के लेखांकन मानक - 5 में निहित प्रावधानों को चालू वर्ष / पूर्व अवधि / असाधारण व्यय / प्राप्तियों के प्राकृतिक शीर्ष के अंतर्गत इसकी जवाबदेही के निर्धारण के लिए लागू किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखा

विदेशी ऋण देनदारियों का मूल्यांकन बंद हो रही बाजार विनिमय दरों पर किया जाता है। लेनदेन के निपटारे पर लाभ या हानि को (क) परियोजना अवधि के दौरान उपस्करों की प्रासंगिक लागत में / से क्रेडिट / डेबिट की जाती है, जो अतिरिक्त कलपुर्जा और सेवा

से संबंधित होती है, उसे आईईडीसी में/से क्रेडिट / डेबिट की जाती है, (ख) परियोजना का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाने के बाद लाभ / हानि को उपस्कर की प्रासंगिक लागत में क्रेडिट/ डेबिट कर दिया जाता है, लेकिन अतिरिक्त कलपुर्जा और सेवाओं से संबंधित लागत पर लाभ और हानि को लाभ और विवरण में प्रभारित किया जाता है। स्थाई परिसम्पत्तियों के इस तरह के समायोजन पर मूल्यहास को संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

- i) विशिष्ट स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उनका बही मूल्य निकालने के लिए संबंधित परिसंपत्ति के सकल मूल्य से घटा दिया जाता है। जहां विशिष्ट स्थाई परिसम्पत्ति से संबंधित अनुदान की राशि परिसंपत्ति की पूरी लागत या परिसंपत्ति की लगभग लागत पूरी लागत के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सामान्य अंकित मूल्य पर या उसके अधिग्रहण/स्थापना पर किए गए अनुषंगी व्यय के आधार पर किया जाता है।
- ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के लिए अनुदान और अन्य राजस्व अनुदानों की संबंधित व्यय से कटौती की जाती है।
- iii) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन में शामिल केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के तहत प्राप्त सरकारी अनुदानों और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य ऐसे ही अनुदानों, जहां कोई उनके संदर्भ में आमतौर पर पुनर्भुगतान की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है, ऐसी मामलों में अनुदानों को पूंजीगत आरक्षित धनराशि के रूप में माना जाता है।
- iv) ऊपर विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के अलावा पूंजी / राजस्व अनुदान / सब्सिडी की गणना भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -12 के अनुसार की जाती है।

12. कॉर्पोरेशन के दावे

- i) बीमा संबंधी दावों को सर्वेक्षक की रिपोर्ट और / या दायर किए गए दावों, जहां खाते में भुगतान प्राप्त किया गया है, के आधार पर खाते में लाया जाता है। तथापि, ऐसे मामले, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट खातों के समापन से पहले प्राप्त नहीं होती है, में उसके प्रभाव का प्रकटीकरण लेखाओं के लिए नोट्स के रूप में किया जाता है।
- ii) रेलवे के दावों को दावों के दायर करने पर लेखाओं में लाया जाता है।

13. जमा कार्य

प्रगति पर जमा कार्य के संबंध में इसे कॉर्पोरेशन के जारी पूंजीगत - कार्य के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान अनुषंगी व्यय को आनुपातिक रूप से जमा कार्यों में उस समय जोड़ दिया जाता है जब उसका स्वामित्व स्थानांतरित और पूंजीकृत होता कर दिया जाता है।

14. कर्मचारी लाभ

- i) ग्रैज्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को सेवारत

सभी कर्मचारियों के संदर्भ में प्रावधान किया जाता है और कंपनी की अपनी ग्रैच्युटी योजना बनाई जाती है।

- ii) अर्जित छुट्टी/आधे वेतन छुट्टी आदि, जिनका किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या उसकी मृत्यु होने पर नकदीकरण किया जा सकता है, के लिए प्रावधान एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में किया जाता है।
- iii) बोनस के लिए देयता का प्रावधान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार यूनिट के आधार पर किया जाता है और पूरी तरह से कॉर्पोरेशन के लिए नहीं किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए बोनस की देयता का प्रावधान उस दर से किया जाता है जो उन दरों की औसत दर होती है जिस पर अन्य यूनिटों के लिए बोनस का प्रावधान किया जाता है।

15. डिबेंचरों के मोचन (रिडेम्प्शन) पर प्रीमियम

डिबेंचरों के मोचन ;रिडेम्प्शन पर देय प्रीमियम को ऐसी समान किशतों में लाभ और हानि विवरण/आईईडीसी खाते में प्रभारित किया जाता है, मानो कि डिबेंचरों की अवधि उस वर्ष से शुरू होती है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

16. प्रीपेड व्यय

प्रत्येक मामले में आगामी वर्ष (वर्ष) के लिए अग्रिम रूप से किए गए 10,000/- रुपए या उससे कम के व्यय को चालू वर्ष के व्ययों के रूप में प्रभारित किया जाता है।

17. अशोध्य और संदेहास्पद प्राप्तियों / ऋणों / अग्रिमों आदि के लिए लेखांकन

- i) संदेहास्पद प्राप्तियों / ऋणों और अग्रिमों के लिए उस समय प्रावधान किया गया है जब वसूली की दृष्टि से उसे संदेहास्पद माना जाता है, परन्तु वसूली के अवसर फिर भी रहते हैं।
- ii) राशियों को उस समय बट्टे खाते में डाला जाता है, जब कानूनी प्रक्रिया के कारण वसूली के प्रयास विफल हो जाते हैं या जहां ऐसा विचार किया जाता है कि मुकदमेबाजी फलदायी नहीं होगी है और वसूली संभव नहीं है।

18. अंतर यूनिट / अंचल / कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानान्तरण

- i) यूनिटों द्वारा स्थानांतरित तैयार वस्तुओं का शुरुआत में डिस्पैच योजना दरों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और फिर बेची गई मात्रा को वास्तविक शुद्ध प्राप्य मूल्य पर आंचलिक स्तर पर निपटाया जाता है।

- ii) अंतर यूनिट/अंचल/कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर स्थाई परिसम्पत्तियों इत्यादि की गणना बही मूल्य पर की जाती है।
- iii) क्लिकर के अंतर यूनिट अंतरण की गणना इसकी वास्तविक वसूली योग्य दरों (सीमेंट से कार्य वापसी विधि द्वारा) की जाती है और पारगमन में इसकी हानियों को प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा खर्च की जाने वाली लागत में आमेलित किया जाता है।
- iv) अंतर यूनिट / अंचल / कॉर्पोरेट कार्यालय की बकाया राशियों का नियमित रूप से पुनर्मिलान किया जाता है और बकाया राशियों की पुष्टि करवाई जाती है।

19. व्यय वर्गीकरण

- i) नीचे विंदु संख्या ;पपद्ध में दर्शाए गए अनुसार को छोड़कर भंडार और अतिरिक्त कलपुर्जों की लागत सहित स्थाई परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय को लाभ और हानि विवरण प्रभारित किया जाता है।
- ii) भंडार और अतिरिक्त कलपुर्जों की लागत सहित स्थाई संपत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव पर किए गए व्यय, जिससे मौजूदा परिसंपत्तियों के भावी लाभों में उनके कार्यनिष्पादन के पिछले मूल्यांकित मानक की तुलना में वृद्धि होती है, को पूंजीकृत किया जाता है अर्थात् उनकी क्षमता में वृद्धि दर्शाई जाती है।
- iii) वेतन और मजदूरी प्लांट और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च किए गए वेतन और मजदूरी को सीधे वेतन और मजदूरी लेखा से प्रभारित किया जाता है।
- iv) अन्य फुटकर व्यय पार्को, वृक्षारोपण और तंबू और टैरपोल की खरीद इत्यादि पर किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

20. मौजूदा प्लांट के निकट विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर किया गया अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा प्लांटों द्वारा प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर किए गए सामान्य व्यय को मौजूदा प्लांटों के निकट विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर किए गए व्यय से प्रभारित नहीं किया जाता है।

21. कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय का आवंटन

कॉर्पोरेट कार्यालय के निबल राजस्व व्यय/आय को प्रबंधन द्वारा निर्धारित विभिन्न यूनिटों या परियोजनाओं के संबंध में उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार अलग अलग यूनिटों और परियोजनाओं को अनुमानित लाभों या उनसे संबंधित लाभों के आधार पर अनुमानों के अनुसार सभी यूनिटों और परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

हस्ता./-
मनोज कुमार पात्रा
वित्त प्रमुख

हस्ता./-
अजय कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

हस्ता./-
एस. शक्तिमनी
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

हस्ता./-
मनोज मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 001676 एन

हस्ता./-
(सीए पीवी कपूर)
भागीदार
सदस्यता संख्या . 010858

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2018



संख्या / No. : MAB/CA/BE/1-2/2018-19/232
 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
 कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
 एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
 नई दिल्ली
 INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
 COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
 AUDIT BOARD - II, NEW DELHI

दिनांक / DATE 19/9/2018

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
 सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 कोर 5 स्कोप काम्पलेक्स 7,
 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अशेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(नन्दना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
 एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II,
 नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथानिर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 06 सितम्बर, 2018 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए किया है, जो उनकी दिनांक 31 जुलाई, 2018 की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक ही सीमित है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ अवलोकनों को प्रवृत्त करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आगे कोई टिप्पणी करने अथवा उसे प्रतिस्थापित करने के संबंध में मेरा कोई विचार नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

ह./—

(नंदना मुंशी)

महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड – II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 सितम्बर, 2018

हमारे कर्मचारी— हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्तियां

मानव संसाधन

“मानव संसाधन” किसी उद्यम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय होते हैं और रखे गए कुल संसाधनों का एक प्राथमिक खंड होते हैं। “मानव संसाधनों” का एक अनोखा पहलू यह है कि जहां एक ओर इन संसाधनों में अनंत संभावनाएं और क्षमताएं निहित होती हैं, वहीं दूसरी ओर इन संसाधनों में से कुछ लोगों से जो भी कुछ हासिल किया जाता है वह आम तौर पर हिमशैल की चोटी पर चढ़ने (कठिन कार्य के समान है) शेष बचे हुए लोग से काम निकालना गहरे समुद्र से मोती निकालने जैसा दुर्गम कार्य है। इसलिए श्वास्तविक और शंभावित के बीच के अंतर को दूर करने के लिए जुटकर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मानव संसाधनों को “जननी संसाधन” के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है जिनके माध्यम से अन्य अन्य दुर्लभ संसाधन जैसे मशीनें सामग्री धनराशि व्यवस्थित समन्वयित निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। इस “जननी संसाधन” (मदर रिसोर्सेज की क्षमताओं का अधिकतम दोहन एक उद्यम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। इन-हाउस प्रबंधन और नेतृत्व की शैली, प्रतिभागी सहयोगी और सहायक वातावरण प्रेरक वातावरण देखभाल चिंता और एक-दूसरे के लिए सहयोगपूर्ण भावनाएं संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए दिए गए फ्रेमवर्क के भीतर प्रचालन करने की स्वतंत्रता और लचीलापन, उत्पादकता उन्मुख कार्यनिष्पादन की यार्ड स्टिक और मानवीय अतिक्रमण के खतरे से बचने के लिए प्रशिक्षण और विकास प्रयास हेतु प्रबंधन की सतत सकारात्मक जागरूकता मानव संपत्ति रूपी इन संसाधनों को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक इनपुट हैं। इसके अलावा मानव संसाधन केवल समय के प्रभाव से तब अत्यधिक विनाशकारी हो जाते हैं जब प्रभावी रूप से और अर्थपूर्ण रूप से उनका लगातार सदुपयोग नहीं किया जाता है।

मौजूदा मानव क्षमता पर एक अच्छी अंतर्दृष्टि सीसीआई के कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर वितरित मानव शक्ति के पेशेवार और आयु वर्गवार 32७34: मानव प्रोफाइल से के अच्छी तरह से महसूस की जा सकती है, जो उनकी तकनीकी और पेशेवर योग्यता डिग्री / डिप्लोमा धारकों का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः संगठन के 33७90: स्टाफ सदस्य लगभग 26.50 वर्ष के आयु वर्ग में है। हालांकि हमारे कर्मचारियों की औसत आयु 48 साल आती है। सीसीआई की मानव शक्ति का विस्तृत वितरण निम्नानुसार है :

पेशेवर प्रोफाइल			
क्र. सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी	1	2
2	पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स	2	2
3	स्नातक अभियंता	75	69
4	एमबीए	30	28
5	प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक	16	18
6	स्नातकोत्तर	26	30
7	सीए / आईसीडब्ल्यूए / एसएसएस / एसीएस	14	10
8	अभियंता डिप्लोमा धारक	70	66
9	स्नातक	90	98
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	131	127
1 1	अन्य लोग	185	215
	कुल	640	665

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों के आयु वर्ग और श्रेणीवार वितरण								
पंक्ति सूचक	<30	30.35	36.41	42.47	48.53	54.60	कुल योग	औसत आयु
कार्यपालक अधिकारी	8	30	9	18	28	71	164	48
पर्यवेक्षक	27	12	5	2	25	116	187	50
गैर पर्यवेक्षक	16	51	29	10	55	128	289	48
कुल	51	93	43	30	108	315	640	48
प्रतिशत	8	15	7	5	17	49	100	

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एससी / एसटी / ओबीसी का प्रतिनिधित्व		कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या												
(01.01.2018 की स्थिति के अनुसार)		सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा				
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क - टीओटी	167	22	3	20	20	2	0	5	52	7	1	0	0	0
समूह ख - टीओटी	195	27	13	38	10	1	0	3	78	9	5	0	0	0
समूह ग - टीओटी	185	38	28	29	8	1	2	3	24	2	1	0	0	0
समूह घ - टीओटी	113	15	28	34	35	5	7	16	6	1	3	0	0	0
कुल	660	102	72	121	73	9	9	27	160	19	20	0	0	0

यूनिट का नाम सीसीआई लिमिटेड

01ध01ध2018 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग जनशक्ति

01ध01ध2018 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)								पदोन्नति							
	(01.01.2018 की स्थिति के अनुसार)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				बनाई गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्त किए गए)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				बनाई गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्त किए गए)			
	कुल	वीएच	एचएच	ओह	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच		
समूह क	167		
समूह ख	195	.	.	2	1		
समूह ग	185	.	.	1		
समूह घ	113		
कुल	660	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

नोट : वीएच से दृष्टिहीन विकलांगता (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति) अभिप्रेत है।

ii) एचएच से श्रवण विकलांगता (श्रवण हानि से ग्रस्त व्यक्ति) अभिप्रेत है।

iii) ओएच ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगता (लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति) अभिप्रेत है।

हमारी यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं

मंडर (जिला रायपुर ए छत्तीसगढ़)

यह कॉर्पोरेशन की प्रथम इकाई है जिसका उत्पादन प्रक्रिया को अपनाते हुए जुलाई, 1970 में शुरू किया गया तथा नवंबर, 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। स्लैग सीमेंट की आवश्यकता भिलाई इस्पात संयंत्र को होती है।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	-	-	-
लाभ / (हानि) (लाख में)	(1.08)	3,25	(1,40)

इकाई के अव्यवहार्य होने के कारण उत्पादन बंद कर दिया गया।

कुर्कुटा (जिला गुलबर्गा कर्नाटक)

यह दूसरी गीली प्रक्रिया वाली इकाई है जिसमें अक्टूबर 1972 से उत्पादन शुरू किया गया।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	1,98	1,98	1,98
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	-	-	-
लाभ / (हानि) (लाख में)	(2.17)	3,67	(1,13)

बोकाजान (जिला करबी एंग्लोंग असम)

यह इकाई असम के कार्बी आंगलोंग जिला के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना महज आर्थिक विचार की तुलना में पड़ोसी क्षेत्रों को सीमेंट की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केवल सामाजिक आर्थिक बिंदु को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस इकाई के लिए चूना पत्थर बड़े मुश्किल इलाके से गुजरने वाले 18 किलोमीटर लंबे रोपवे द्वारा पहुंचाया जाता है। इस इकाई का उत्पादन अप्रैल 1977 से शुरू किया गया।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1,98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	1.12	0.80	1.03
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	56.39	37,52	44,39
लाभ / (हानि) (लाख में)	(6,86)	(19,75)	35

राजबन (जिला सिर्मुर्ग ए हिमाचल प्रदेश)

यह पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्र में स्थित एक और इकाई है। जहां साधारण संचार कठिन है, ऐसी स्थिति में इस इकाई के लिए कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद दोनों का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता है, जिसमें अधिक समय एवं लागत खर्च होते हैं क्योंकि यूनिट के समीप कोई रेल शीर्ष/लाइन नहीं है। इस फ़ैक्टरी के कुल उत्पादन की सुपुर्दगी सड़क परिवहन के माध्यम से करनी पड़ती है। दुर्गम पहाड़ियों में अवस्थित खदानों से चूना पत्थर 9 किलोमीटर लंबे रोपवे से पहुँचाया जाता है। इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल 1980 से शुरू किया गया।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.35	1.69	1.91
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	74.67	90,97	88,83
लाभ / (हानि) (लाख में)	2,21	10,22	11,88

नायगांव (जिला मंडसौर ए मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक स्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	-	-	-
लाभ / (हानि) (लाख में)	0.15	3,36	(1,18)

स्थान विभाजन की अवधारणा अर्थात् नयागांव में क्लंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लंकर की ग्राइंडिंग के आधार पर और 10 लाख टन क्षमता के साथ परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में क्लंकर स्टेशन और दिल्ली में क्लंकर की ग्राइंडिंग यूनिट का वाणिज्यिक उत्पादन 01.05.1990 से शुरू किया गया।

नायागांव विस्तार, डीजीई और बीजीई सहित

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	-	-	-
लाभ / (हानि) (लाख में)	2.31	3,00	25

अकलतरा (जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़)

इस इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन 01 अप्रैल, 1981 से शुरू किया गया।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	-	-	-
लाभ / (हानि) (लाख में)	2.92	7,89	2,13

यूनिट के अलाभकारी होने के कारण उत्पादन बंद बना हुआ है।

चरखी दादरी (जिला भिवानी हरियाणा)

यह एक बीमार इकाई थी जिसका भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया और जून, 1981 में इसे सीसीआई को सौंपा गया। कम अवधि के अंदर पुनर्वास के बाद सीमेंट की ग्राइंडिंग सितंबर, 1981 में शुरू की गई तथा क्लंकर का उत्पादन बाद में शुरू किया गया। दोनों शाखाओं में से केवल एक का ही पुनर्वास किया जा सका।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	-	-	-
लाभ / (हानि) (लाख में)	(2.78)	3,60	(142)

यूनिट के अलाभकारी होने के कारण उत्पादन बंद बना हुआ है।

आदिलाबाद (जिला आदिलबाद तेलंगाना)

इस इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1984 से शुरू किया गया।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	-	-	-
लाभ / (हानि) (लाख में)	238	98	(5,12)

तंदूर (जिला के. वी. रंगा रेड्डी तेलंगाना)

इस इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन 01 जुलाई, 1987 से शुरू किया गया।

	2017-18	2016-17	2015-16
स्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	5.06	5.42	6.19
उत्पादन का मूल्य (लाख में)	2,00,07	2,04,68	2,53,88
लाभ / (हानि) (लाख में)	20,92	26,11	49,15